

Compilation of Landmark Judgments of Honourable Supreme Court and High Courts

(Under NDPS Act, 1985)



NARCOTICS CONTROL BUREAU

Ministry of Home Affairs
Government of India

प्रस्तावना

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ड्रग मामलों के संबंध में आसूचना, प्रवर्तन और समन्वय हेतु केंद्रीय प्राधिकरण है। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम (एनडीपीएस, एक्ट), 1985 एक विशेष कानून है तथा इसमें कतिपय विशिष्ट प्रक्रियात्मक विशेषताएं शामिल हैं। चूंकि ड्रग्स मामलों में कानूनी प्रावधानों का अभी भी विकास हो रहा है इसलिए अभियोजन को सुदृढ़ करने के लिए विधियों की व्याख्या किया जाना अति महत्वपूर्ण है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को कानून का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, जो देश के कानूनों और न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाते हैं और हमारी कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम (एनडीपीएस, एक्ट) के लागू होने के बाद से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के द्वारा इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की गई है तथा समय-समय पर दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) सक्रिय रूप से संगठित अपराधिक गिरोहों का पर्दाफाश करने में लगा हुआ है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव अभी होता है जब अनुसंधान तथा कानूनी सुनवाई के परिणाम स्वरूप दौषसिद्धि हो जाती है तथा अपराधों के लिए सजा दी जाती है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो विभिन्न ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सभी मामलों में निरंतर समन्वय करने का प्रयास करता है ताकि उनकी कार्य-पद्धति को सुदृढ़ बनाया जा सके।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जांच तथा अनुसंधान, कानूनी प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए और अनुचित प्रक्रियाओं और तकनीकी त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए। इसलिए स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम (एनडीपीएस, एक्ट) के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णयों के संकलन की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की गई ताकि ड्रग कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की सही ढंग से विवेचना एवं अनुप्रयोग किए जाने में सक्षम बनाया जा सके। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम (एनडीपीएस, एक्ट) के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों से संबंधित इस संकलन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह एक विनम्र प्रयास और निष्ठापूर्ण आशा है कि इससे लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा तथा सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए), लोक अभियोजक (पीपी) और विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपी) को उनके कार्य में प्रभावी रूप से मदद करेगा। मैं, श्री जापान बाबु, उप विधि सलाहकार और विधि अनुभाग को इस संकलन कार्य के प्रकाशन में इनके सार्थक प्रयासों के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ।

सत्य नारायण प्रधान
महानिदेशक



हर घर तिरंगा

Index

Sr. No.	Title of the case	Citation	Topic	Page No.
1.	कडुक्ककुन्निल अप्पाचन और अन्य बनाम आबकारी सकिल इंस्पेक्टर	केरल उच्च न्यायालय सीआरएल एम.सी. 886/1990	सीआरपीसी धारा 167(2), एनडीपीएस अधिनियम	1
	Kadukkakunnil Appachan & Another vs. Excise Circle Inspector	Kerala High court Crl M.C. 886/1990	S. 167(2) CrPC., NDPS Act	
2.	राज कुमार करवाल बनाम भारत संघ	(1990) 2 एससीसी 409	धारा 67 स्वीकारोक्ति	1-2
	Raj Kumar Karwal versus Union of India	(1990) 2 SCC 409	S.67 Confession	
3.	नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाम किशन लाल और अन्य	(1991) 1 एससीसी 705	धारा 37 जमानत	2
	Narcotic Control Bureau vs. Kishan Lal & Ors.,	(1991) 1 SCC 705	S.37 Bail	
4.	पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह	एआईआर 1994 एस सी 1872	धारा 50 तलाशी और जब्ती	2-4
	State of Punjab V/s Balbir Singh	AIR 1994 SC 1872	S.50 Search & seizure	
5.	सैयद मो. बनाम राज्य	1995 सीआरएलजे 2662	धारा 50 तलाशी और जब्ती	5-6

	Saiyad Mohd. V/s State	1995 SCC (CrIj) 564	S. 50 Search & seizure	
6.	भारत संघ बनाम थमीशरसी और अन्य	(1995(3) स्केल 72	धारा 37 जमानत	6
	Union of India Vs. Thamisharasi and Ors.	(1995(3) SCALE 72	S.37 Bail	
7.	डॉ. बिपिन शान्तिलाल पांचाल बनाम गुजरात राज्य	एआईआर 1996 एससी 2897	डिफॉल्ट जमानत S.167 CrPC	7-8
	Dr. Bipin Shantilal Panchal Vs. State of Gujarat	AIR1996SC2897	Default bail S.167 CrPC	
8.	मेघा सिंह बनाम. हरियाणा राज्य	(1996) 11 एससीसी 709	गवाहों की गवाही	8
	Megha Singh Vs. State of Haryana	(1996) 11 SCC 709	Testimony of witnesses	
9.	एमडी काले, आसूचना अधिकारी बनाम मो. अफजल मोहम्मद यारखान	(1998) 2 माह। एल.जे. 779 (एस.एस.नज्जर जे)	धारा 37	8-9
	M.D. Kale, Intelligence Officer Vs. Mohd. Afzal Mohd Yarkhan	(1998) 2 Mah. L.J. 779 (S.S.Njjar. J)	S.37	
10.	राजेंद्र प्रसाद बनाम. नारकोटिक सेल	एआईआर 1999 एससी 2292	गवाहों को पुनः बुलाना	9-10
	Rajendra Prasad Vs. The Narcotic Cell	AIR 1999 SC 2292	Re-summoning of witnesses	

11.	पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह	एआईआर 1999 एससी 2378	धारा 50 तलाशी	10-11
	State of Punjab Vs. Baldev Singh	AIR 1999 SC 2378	S.50 Search	
12.	भारत संघ बनाम मेराजुद्दीन	(1999) 6 एससीसी 43	धारा 37 जमानत	11-12
	Union of India Vs. Merajuddin	(1999) 6 SCC 43	S.37 Bail	
13.	भारत संघ बनाम राम समुझ और अन्य	(1999) 9 एससीसी 429	धारा 37 जमानत	12-13
	Union of India Vs. Ram Samujh and Another	(1999) 9 SCC 429	S.37 Bail	
14.	टीएन राज्य व अन्य बनाम ई. थलाईमलाई और अन्य	भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपील 160/2000	एनडीपीएस अधिनियम के तहत पैरोल	13-15
	State Of T.N And Another vs. E. Thalaimalai And Another	Supreme Court Of India Criminal appeal 160/2000	Parole under NDPS Act	
15.	भारत संघ बनाम। अहरवा दीन	एआईआर 2000 एससी 3512 ए	धारा 37 जमानत	15-16
	Union of India Vs. Aharwa Deen	AIR 2000 SC 3512 A	S.37 Bail	
16.	दादू @ तुलसीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य	एआईआर 2000 एससी 3203	धारा 32 ए सजा का निलंबन	16-18
	Dadu @ Tulsidas Vs. State of Maharashtra	AIR 2000 SC 3203	S. 32 A Suspension of Sentence	

17.	अधीक्षक, नारकोटिक्स केंद्रीय ब्यूरो बनाम आर. पॉलसामी	एआईआर 2000 एससी 3661,	धारा 439 सीआरपीसी जमानत रद्द	18- 19
	Superintendent, Narcotics Central Bureau Vs. R. Paulsamy	AIR 2000 SC 3661,	S. 439 CrPC bail cancellation	
18.	अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी बनाम. गुजरात राज्य	एआईआर 2000 एससी 821	धारा 35 & 54	19
	Abdul Rashid Ibrahim Mansuri Vs. State of Gujarat	AIR 2000 SC 821,	S.35 & 54	
19.	आसूचना अधिकारी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम शंभू सोनकर और अन्य	एआईआर 2001 एससी 830	धारा 37 जमानत	19- 21
	Intelligence Officer, Narcotics C. Bureau vs. Sambhu Sonkar and Anr.	AIR2001SC830	S.37 Bail	
20.	दिल्ली एनसीटी राज्य सरकार बनाम सुनील और अन्य।	2001 1 एससीसी 652	विचारण	21- 22
	State, Govt. of NCT of Delhi v. Sunil and Anr.	2001 1 SCC 652	Trial	
21.	बबुआ @ तजमुल हुसैन बनाम। उड़ीसा राज्य	एआईआर 2001 एससी 1052	धारा 37 जमानत	22- 23
	Babua @ Tazmul Hossain Vs. State of Orissa Decided On: 30.01.2001	AIR2001SC1052	S.37 Bail	

22.	बिपिन शांतिलाल पांचाल बनाम गुजरात राज्य और अन्य	एआईआर 2001 एससी 1158	धारा 37 जमानत	23- 24
	Bipin Shantilal Panchal Vs. State of Gujarat and Anr. AIR2001SC1158	AIR2001SC1158	S.37 Bail	
23.	भारत संघ बनाम अशोक कुमार जायसवाल	(2007)15 एससीसी 569	धारा 37 जमानत	24- 25
	Union of India Vs. Ashok Kumar Jaiswal	(2007)15SCC569	S.37 Bail	
24.	म.प्र. राज्य बनाम काजाद	(2001) 7 एससीसी 673	धारा 37 जमानत	25- 27
	State of M. P.Vs. Kajad,	2001) 7 SCC 673.	S.37 Bail	
25.	कर्नाटक राज्य बनाम ए कुचिदान्द	एआईआर 2002 एससी 1875	धारा 61&62	27
	State of Karnataka v. AKunchidanned	(2002) 9 SCC 90	S. 61 &62	
26.	खेत सिंह बनाम भारत संघ	एआईआर 2002 एससी 1450	जब्ती	28- 29
	Khet Singh Vs. Union of India	AIR 2002 SC 1450	Seizure	
27.	मदन लाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	एआईआर 2003 एससी 3642	कब्जा	29- 31
	Madan Lal and Ors. Vs. State of Himachal Pradesh	AIR2003SC 3642	Possession	
28.	एम. प्रभुलाल बनाम राजस्व आसूचना निदेशालय	एआईआर 2003 एससी 4311	धारा 67 इकबालिया बयान	31- 32

	M. Prabhulal versus Directorate of Revenue Intelligence	AIR 2003 SC 4311	S.67 Confessional statement	
29.	भारत संघ बनाम गुरचरण सिंह	2003 11 एससीसी 764	धारा 37 एवं सीआरपीसी की धारा 439	32
	Union of India Vs. Gureharan Singh	2003 11 SCC 764	S.37 & S. 439 of CrPC	
30.	सरिजा बानो बनाम राज्य	(2004)12एससीसी266	धारा 42	32-33
	Sarija Banu Vs. State,	2004 12 SCC 266	S.42	
31.	भारत संघ बनाम महबूब आलम	(2004) 4 एससीसी 105	एस. 439 सीआरपीसी, एस.37 एनडीपीएस	33
	Union of India Vs. Mahaboob Alam	2004 (2) SCALE 775	S. 439 CrPC, S.37 NDPS	
32.	सीमा शुल्क, नई दिल्ली बनाम अहमदलीवा नोदिरा	(2004) 3 एससीसी 549	धारा 37 जमानत	33-34
	Customs, New Delhi Vs. Ahmadalieva Nodira	2004 (3) SCALE 211	S.37 Bail	
33.	बशीर @ एन.पी. बशीर बनाम. केरल राज्य	(2004) 3 एससीसी 609	धारा 4	34-35
	Basheer @ N.P. Basheer Vs. State of Kerala	(2004) 3 SCC 659	S.4	

34.	राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु बनाम जयपाली	(2004) 5 एससीसी 223	एनडीपीएस मामलों की जांच	35-36
	State rep. by Inspector of Police, Vigilance and Anti Corruption, Tiruchirapalli, Tamil Nadu Vs. Jayapaul	(2004)5SCC223	Investigation of NDPS cases	
35.	पंजाब राज्य बनाम माखन चांद	(2004) 3 एससीसी 453	ड्रग डिस्पोजल	36-37
	State of Punjab Vs. Makhan Chand	2004(2) SCALE/778	Drug disposal	
36.	राजस्थान राज्य बनाम राम चंद्र	(2005) 5 एससीसी 151	एस. 41,42, 50	37-38
	State of Rajasthan Vs. Ram Chandra,	(2005) 5 SCC 151	S.41,42, 50	
37.	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम. कर्म फुंटसोक और अन्य।	(2005) 12 एससीसी 480	धारा 37 जमानत	38-39
	Narcotics Control Bureau Vs. Karma Phuntsok and Ors. Decided On: 22.08.2005	(2005)12SCC480	S. 37 Bail	
38.	पंजाब राज्य बनाम बलवंत राय	एआईआर (2005) एससी 1576	धारा 50 जब्ती और तलाशी	39-40
	State of Punjab Vs. Balwant Rai	AIR (2005) SC 1576	S.50 Search and seizure	

39.	मो. इरशाद @ शिव राज बनाम राज्य	दिल्ली उच्च न्यायालय 134 (2006) डीएलटी 507	किशोर न्याय अधिनियम की प्रयोज्यता	40- 42
	Mohd. Irshad @Shiv Raj vs State	Delhi High Court 134 (2006) DLT 507	Applicability of Juvenile Justice Act	
40.	रामजी राय व अन्य बनाम बिहार राज्य	(2006) 13 एससीसी 229	गवाहों की परीक्षण	42- 43
	Ramjee Rai and Ors. State of Bihar	(2006) 13 SCC 229	Examination of witnesses	
41.	उत्तरांचल राज्य बनाम. राजेश कुमार गुप्ता	2007 (1) एसीआर 1093 (एससी)	धारा 37 जमानत	43- 44
	State of Uttaranchal Vs. Rajesh Kumar Gupta Decided On: 10.11.2006	2007(1)ACR1093(SC)	S.37 Bail	
42.	भारत संघ बनाम श्री शिव शंकर केसरी	(2007) 7 एससीसी 798	धारा 37 जमानत	44- 46
	Union of India Vs. Shri Shiv Shanker Kesari	[2007]10SCR964	S.37 Bail	
43.	सईद अबुल अला बनाम. भारत संघ और अन्य।	(2007)15 SCC 208	धारा 37 जमानत	46- 47
	Sayed Abul Ala Vs. Union of India and Ors.	[2007]10SCR631	S.37 Bail	
44.	नूर आगा बनाम पंजाब राज्य	(2008) 16 एससीसी 417	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 और 54 के तहत उपधारणा	47- 48

	Noor Aga v. State of Punjab	(2008) 16 SCC 417	S. 35 & 54 Presumptions under NDPS Act	
45.	ई. माइकल राज मामला	(2008) 5 एससीसी 161	ड्रग्स की शुद्धता प्रतिशत	48-51
	E. Michael Rajcase	(2008) 5 SCC 161	Purity percentage of drugs	
46.	कन्हैयालाल बनाम भारत संघ	(2008) 4 एससीसी 668.	धारा 67 स्वीकारोक्ति	51-52
	Kanhaiyalal versus Union of India	(2008) 4 SCC 668.	S. 67 Confession	
47.	भारत संघ बनाम बाल मुकुंद व अन्य	(2009) 12 एससीसी 161	धारा 67	52
	Union of India (UOI) Vs. Bal Mukund and Ors.	(2009) 12 SCC 161	S. 67	
48.	करनैल सिंह बनाम. हरियाणा राज्य	(2009) 8 एससीसी 539	धारा 42, 50	52-54
	Karnail Singh Vs. State of Haryana	(07.10.2009 - SC) : MANU/SC/1728/2009	S.42, 50	
49.	सामी उल्लाह बनाम अधीक्षक, नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो	एआईआर 2009 एससी 1357	धारा 37 जमानत, लैब रिपोर्ट	54
	Sami Ullaha Vs. Superintendent, Narcotic Central Bureau	AIR2009SC1357	S.37 Bail, Lab Report	
50.	रतन कुमार विश्वास बनाम. यू.पी. राज्य और अन्य	एआईआर 2009 एससी 581	धारा 37 जमानत	55

	Ratan Kumar Vishwas Vs. State of U.P. and Anr.	AIR2009SC581	S.37 Bail	
51.	संजय कुमार केडिया बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो	(2009) 17 एससीसी 631	धारा 36ए (4)	56
	Sanjay Kumar Kedia v. Narcotics Control,	(2009) 17 SCC 631	S. 36 A (4)	
52.	सरजू बनाम राज्य	एआईआर 2009 एससी 3214	धारा 39 परीवीक्षा	56-57
	Sarju v. State	AIR2009SC3214	S.39 Probation	
53.	करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (29.07.2009 - एससी)	(2009)8एससीसी539	धारा 41 & 42	57-58
	Karnail Singh vs. State of Haryana (29.07.2009 - SC)	MANU/S C/1323/2009	S. 41 & 42	
54.	दलेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य	आरसीआर 119 एससी 2010 (07.10.2009 - एससी): मनु/एससी/172 8/2009	धारा 42, अनिवार्य अनुपालन	58
	Dalel Singh V/s State of Haryana	RCR 119 SC 2010 (07.10.2009 - SC) : MANU/SC/1728/2009	S. 42, Mandatory compliance	
55.	पंजाब राज्य बनाम हरि सिंह	(2009) 4 एससीसी 200	कब्जा	58-59
	State of Punjab v. HariSingh	(2009) 4 SCC 200	Possession	

56.	बलबीर कौर बनाम राज्य	(2009) 15 एससीसी 795	धारा 35	59
	Balbir Kaur v. State	(2009) 15 SCC 795	S. 35	
57.	राजू प्रेमजी बनाम सीमा शुल्क	(2009) 16 एससीसी 496	धारा 35 सदोष मानसिक स्थिति	59-60
	Raju Premji v. Customs	(2009) 16 SCC 496.	S.35 Culpable mental state	
58.	धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य	(2010) 9 एससीसी 608.	धारा 35 सदोष मानसिक स्थिति	60
	Dharam Pal Singh V/s state of Punjab	(2010) 9 SCC 608.	S.35 Culpable mental state	
59.	देहल सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	(2010) 9 एससीसी 85.	धारा 35 सदोष मानसिक स्थिति	60-61
	Dehal Singh v. State of Himachal Pradesh	(2010) 9 SCC 85.	S.35 Culpable mental state	
60.	विजय सिंह चंदूभा जडेजा	एआईआर 2011 एससी 77	धारा 50 तलाशी	61
	Vijay Singh Chandubha	AIR 2011 SC 77	S.50 Search	
61.	निर्मल सिंह पहलवान बनाम. इंस्पेक्टर, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क हाउस पंजाब	(2011)12एससीसी298	धारा 50 तलाशी	61-62
	Nirmal Singh Pehlwan Vs. Inspector, Customs, Customs House Punjab	(2011)12SCC298	S.50 Search	

62.	भोला सिंह बनाम पंजाब राज्य	(2011) 11 एससीसी 653.	धारा 35 सदोष मानसिक स्थिति	62-63
	Bhola Singh v. State of Punjab	(2011) 11 SCC 653.	S.35 Culpable mental state	
63.	राम सिंह बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स	(2011) 11 एससीसी 347	धारा 67 स्वीकारोक्ति धारा 35 सदोष मानसिक स्थिति, नौकर का कब्जा	63
	Ram Singh versus Central Bureau of Narcotics	(2011) 11 SCC 347	S.67 Confession S.35 Culpable mental state Possession by servant	
64.	अशोक बनाम म.प्र. राज्य	(2011)5 एससीसी 123.	जब्त की गई ड्रग्स की कस्टडी	63
	Ashok v. State of M.P.	(2011) 5 SCC 123.	Custody of seized drugs	
65.	जरनैल सिंह बनाम राज्य	एआईआर 2011 एससी 964	नमूना	63-64
	In Jarnail Singh v. State,	(2011) 3 SCC 521	Sample	
66.	हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य	(2011)4 एससीसी 441	अफीम का शुद्धता प्रतिशत	64
	Harjit Singh versus State of Punjab	(2011)4 SCC 441	Purity percentage of opium	

67.	शहजादखान महबूबखान पठान बनाम. गुजरात राज्य	(2013)1SCC570	सजा	64
	Shahejadjkhan Mahebubkhan Pathan Vs. State of Gujarat	(2013)1SCC570	Sentence	
68.	फेलिक्स ओहिमैन इवबोरोखाई बनाम गोवा राज्य	मनु-एमएच-1041-2012	धारा 37, धारा 439 सीआरपीसी	64
	Mr. Felix Ohimain Evborokhai Vs. State of Goa	MANU-MH-1041-2012	S.37 S.439 CrPC	
69.	उदय कुमार अभेवर्धन बनाम. भारत संघ	2012 ऑल एमआर (सीआरई) 2619	धारा 50 तलाशी और जब्ती	64- 65
	Uday Kumar Abhevardhan Vs. The Union of India & Anr.	2012 ALL MR (Cri) 2619	Section 50 Search & Seizure	
70.	मोहम्मद शहाबुद्दीन बनाम असम राज्य	(2012) 13 एससीसी 491	धारा 21 कोडीन कफ सिरप	65- 66
	Md Sahabuddin versus State of Assam	(2012) 13 SCC 491	Codeine cough syrup S.21	
71.	राम स्वरूप बनाम दिल्ली राज्य (एन.सी.टी.सरकार)	एआईआर 2013 एससी 2068	धारा 67	66- 67
	Ram Swaroop Vs. State (Govt. NCT) of Delhi,	AIR 2013 SC 2068	S.50	
72.	थाना सिंह बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स	(2013) 2 एससीसी 603	परीक्षण, पुनः परीक्षण	67- 72

	Thana Singh V/s Central Bureau of Narcotics	(2013) 2 SCC 603	Trial, Retesting	
73.	सुखदेव सिंह बनाम हरियाणा राज्य	एआईआर 2013 एससी 953	धारा 41 & 42	75- 75
	Sukhdev Singh Vs. State of Haryana	AIR2013SC953	S. 41 & 42	
74.	अशोक कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य	2013(1) स्केल 39	धारा 50 तलाशी	75- 77
	Ashok Kumar sharma Vs. State of Rajasthan	2013(1) SCALE 39	S. 50 Search	
75.	अब्बास अली बनाम पंजाब राज्य	(2013) 2 एसएससीसी 195	धारा 35 सदोष मानसिक स्थिति	77
	Abbas Ali versus State of Punjab	(2013) 2 SSCC 195.	S.35 Culpable mental state	
76.	किशन चंद बनाम राज्य	(2013) 2 एससीसी 502	धारा 52 & 57	77
	Kishan Chand v. State,	(2013) 2 SCC 502	S. 52 & 57	
77.	सुमित तोमर बनाम पंजाब राज्य	(2013) 1 एससीसी 395	स्वतंत्र गवाह	78
	Sumit Tomar v. State of Punjab,.	(2013) 1 SCC 395	Independent witness	
78.	राजस्थान राज्य बनाम भेरू लाल	2013 70 स्केल 428	धारा 42	78
	State Of Rajasthan Vs. Bheru lal	2013(70) SCALE 428	S.42	
79.	गुरजंत सिंह बनाम. पंजाब राज्य	2013 (13) स्केल 295	धारा 42, 50	78

	Gurjant Singh Vs. State of Punjab	2013 (13) SCALE 295	S. 42, 50	
80.	विजय जैन बनाम. मध्य प्रदेश राज्य	मनु/एससी/0709/2013, 2013 (9)स्केल 439	जब्ती धारा 100/102 सीआरपीसी	78- 79
	Vijay Jain Vs. State of Madhya Pradesh	MANU/SC/0709/2013, 2013 (9)SCALE 439	Seizure S. 100/102 Crpc	
81.	ज्ञान चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य	2013 (9) स्केल 544	धारा 35 & 54	79- 81
	Gian Chand and Ors. Vs. State of Haryana	2013 (9) SCALE 544	S.35 & 54	
82.	याशिए योबिन और अन्य बनाम सीमा शुल्क विभाग	2014(1) स्केल 39	धारा 42 सूचना	81- 83
	Yasihey Yobin and anr.Vs. The Department of customs	2014(1) SCALE 39	S. 42 Information	
83.	भारत संघ बनाम शेओ शंबुगिरी	2014 (4) स्केल 58	ट्रांसशिपमेंट	83- 85
	Union of India Vs. Sheo Shambugiri	2014 (4) SCALE58	Transshipment	
84.	कृष्णन और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2014 (4) स्केल 1	धारा 32 ए	85- 86
	Krishnan and Ors. Vs. State of Haryana and Ors.	2014 (4) SCALE 1	S. 32 A	
85.	कृष्ण कुमार बनाम हरियाणा राज्य	मनु/एससी/0509/2014	प्रमाण का मानक	86- 87
	Krishan Kumar Vs. State of Haryana	MANU/SC/0509/2014	Standard of Proof	

86.	राजस्थान राज्य बनाम परमानंद और अन्य	2014(2) आरसीआर (आपराधिक) 40 (एससी)	धारा 50 तलाशी	87-88
	State of Rajasthan v/s Parmanand and another	2014(2)RCR (Criminal)40 (SC)	S. 50 Search	
87.	विनोद कुमार और अन्य एस बनाम पंजाब राज्य और अन्य एस	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय सीडब्ल्यूपी 11699/2012	ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, धारा 80 एनडीपीएस एक्ट के तहत वैध लाइसेंस धारक	88-91
	Vinod Kumar And Others S vs. State Of Punjab And Others	Punjab & Haryana High CourtCWP 11699/2012	Valid License Holder under Drugs & Cosmetics Act, S. 80 NDPS Act	
88.	भारत संघ बनाम मोहनलाल और अन्य (सीआरएल अपील 652/2012)	(2016) 3 एससीसी 379	धारा 52ए ड्रग डिस्पोजल, सैंपलिंग	91-95
	Union of India v/s Mohanlal & Anr (Crl. Appeal 652/2012)	(2016) 3 SCC 379	S. 52-A, Drug Disposal, Sampling	
89.	दीबाग सिंह बनाम पंजाब राज्य	(2017) 11 एससीसी 290	जब्ती	96
	Dibagh Singh Vs. State of Punjab	(2017) 11 SCC 290	Seizure	
90.	सलीम जमशेद अली शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य	2018 ऑल एमआर (सीआरई) 3729	धारा 50 तलाशी और जब्ती	96-97

	Salim Jamshed Ali Shaikh Vs. The State of Maharashtra	2018 ALL MR (Cri) 3729	S.50 Search and seizure	
91-	हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप कुमार व अन्य	एआईआर 2018 एससी 1345	गवाहों का परीक्षण	97-99
	The State of Himachal Pradesh Vs. Pradeep Kumar and ors	AIR 2018 SC 1345	Examination of witnesses	
92-	आरिफ खान @ आगा खान बनाम उत्तराखंड राज्य	आपराधिक अपील संख्या 273 2007	धारा 50	99-100
	Arif Khan @Agha Khan v/s State of Uttarakhand	Criminal Appeal No. 273 of 2007	S. 50	
93-	मोहिंदर सिंह बनाम. पंजाब राज्य	एआईआर 2018 एससी 3798 (3 न्यायाधीश)	धारा 50	100-102
	Mohinder Singh Vs. The State of Punjab	AIR 2018 SC 3798 (3 Judges)	S.50	
94-	पंजाब राज्य बनाम राकेश कुमार	एआईआर 2019 एससी 84	एनडीपीएस अधिनियम और ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम की उपयोगिता	102-103
	State of Punjab vs. Rakesh Kumar :	2018 SCC OnLine SC 2651	Applicability of NDPS Act and Drugs & Cosmetics Act	
95-	सुरिंदर कुमार खन्ना बनाम, खुफिया अधिकारी	एआईआर 2018 एससी 3574	धारा 67 इकबालिया बयान	103

	राजस्व खुफिया निदेशालय			
	Surinder Kumar Khanna vs. Intelligence Officer Directorate of Revenue Intelligence:	AIR 2018 SC 3574	S. 67 Confessional statement	
96.	धर्मबीर बनाम राज्य	एससीसी ऑनलाइन डेल 12305	धारा 50	104
	Dharambir v. State	2018 SCC OnLine Del 12305	S.50	
97.	पी. अब्दुलखदरी बनाम केरल राज्य,	2018 एससीसी ऑनलाइन केर 4657	पुनः परीक्षण	104
	P. Abdulkhader v. State of Kerala,	2018 SCC OnLine Ker 4657	Retesting	
98.	जोगिंदर सिंह v. हिमाचल प्रदेश राज्य	2018(2) शिमएलसी 1044	धारा 50	104-105
	Joginder Singh v. State of H.P.,	2018 SCC OnLineHP 836	S.50	
99.	हिमाचल प्रदेश	2018 एससीसी ऑनलाइन एचपी 265	धारा 32ए छूट	105
	In re State of H.P.	2018 SCC OnLineHP 265	S.32A Remission	
100.	कमलेश बनाम राजस्थान राज्य	2018 एससीसी ऑनलाइन राज 1227	वाहन की रिहाई	105
	Kamlesh v. State of Rajasthan,	2018 SCC OnLine Raj 1227	Release of vehicle	
101.	एसके राजू बनाम. पश्चिम बंगाल राज्य	एआईआर 2018 एससी 4255	धारा 35	106

	SK Raju Vs. State of West Bengal	2018 ALL SCR (Cri) 1554= MANU-SC-0944-2018	S.35	
102.	मोहम्मद फासरीन बनाम राज्य प्रतिनिधि। खुफिया अधिकारी द्वारा	एआईआर 2019 एससी 4427	धारा 67	106-107
	Mohammed Fusrin v/s state rep. by the intelligence officer	AIR 2019 SC 4427	S.67	
103.	युसुजी हिनागाटा बनाम राज्य,	2019(4)बॉमसीआर(Cri)846	धारा 50	107-108
	Yusuji Hinagata v. State,	2019(4)BomCR(Cri)846	S.50	
104.	राजस्थान राज्य बनाम सही राम	एआईआर 2019 एससी 4723	नमूना	108
	State of Rajasthan Vs. Sahi Ram	AIR2019SC4723	Sample	
105.	हनीफ खान @ अन्नू खान बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स	(2020)16एससीसी709	धारा 35, सबूत का भार	108-109
	Hanif Khan @ Annu Khan Vs Central Bureau OfNarcotics	(2020)16SCC709	S.35 Burden of Proof	
106.	मंजूर अहमद खवाजा बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य	2019 एससीसी ऑनलाइन जम्मू और कश्मीर 579	एनडीपीएस एक्ट के तहत निवारक निरोध	109
	Manzoor Ahmad Khawaja v. State of Jammuand Kashmir	2019 SCC OnLineJ&K 579	Detention under NDPS Act	

107.	दीपेन्द्र कुमार बनाम राज्य	2019(1) जेसीसी 644	एनडीपीएस एक्ट के तहत फरलो	109
	Deepender Kumar v. State	2019(1)JCC644	Furlough under NDPS Act	
108.	वरिंदर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	(2020) 3 एससीसी 321,	एनडीपीएस मामलों की सुनवाई	110-111
	Varinder Kumar vs. State of Himachal Pradesh	(2020) 3 SCC 321,	Trial of NDPS Cases	
109.	शाहजहां, v. आबकारी निरीक्षक आदि	सीआरएल.रेव.पेट नं.1440/2018	एनडीपीएस अधिनियम के तहत वाहनों का डिस्पोजल	111-112
	Shajahan, V. Inspector of Excise etc.	Crl.Rev.Pet No.1440/2018	Disposal of vehicles under NDPS Act	
110.	एयर कस्टम बनाम मोसाफियर अलीजाही व अन्य	सीआरएल एम.सी. 1490/2020 और सीआरएल.एम.ए. 7224/2020	धारा 52ए	112-113
	Air Customs Vs. Mosaffer Alizahi and ors.	Crl. MC. 1490/2020 & Crl.M.A. 7224/2020	Section 52 A	
111.	केरल राज्य आदि बनाम राजेश आदि	आपराधिक अपील संख्या (एस) 2020 का 154-157	धारा 37 जमानत	113-114
	State of Kerala etc. Vs. Rajesh Etc	CRIMINAL APPEAL NO(S). 154157 OF 2020	Section 37 Bail	
112.	मेसर्स स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, V. केरल राज्य	डब्ल्यूपी (सी) संख्या 5042 ऑफ 2020(ई)	एनडीपीएस अधिनियम के तहत वाहनों का डिस्पोजल	114

	M/S.SMART LOGISTICS, V. State of Kerala	WP(C).No.5042 OF 2020(E)	Disposal of vehicles under NDPS Act	
113.	मुकेश सिंह बनाम. राज्य (दिल्ली की नारकोटिक शाखा)	एआईआर 2020 एससी 4297	धारा 42	114-115
	Mukesh Singh Vs. State (Narcotic Branch of Delhi)	AIR 2020 SC 4297	S.42	
114.	रिजवान खान बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य	एआईआर 2020 एससी 4297	धारा 50 तलाशी और जब्ती	115-117
	Rizwan Khan Vs. State of Chhattisgarh	AIR 2020 SC 4297	Search and seizure S.50	
115.	गुरमेल चंद बनाम पंजाब राज्य	एआईआर 2020 एससी 2161	जब्ती	117-118
	Gurmail Chand v. State of Punjab	Criminal Appeal No. 149 of 2020 Supreme Court	Seizure	
116.	शेरू बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2020 (4) आरसीआर (आपराधिक) 242	2020(4) आरसीआर (आपराधिक) 242	धारा 32A सजा का निलंबन	118-119
	Sheru v. Narcotics Control Bureau	2020(4)RCR(Criminal)242	S.32A Suspension of sentence	
117.	जीत राम बनाम. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़	एआईआर 2020 एससी 4313	धारा 50 तलाशी और जब्ती	119
	Jeet Ram Vs. Narcotics Control Bureau, Chandigarh	AIR 2020 SC 4313	Search and seizure S.50	
118.	रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ	2021 सीआरएलजे 248	धारा 37 एनडीपीएस	119-120

	Rhea Chakraborty vs Union of India	2021 CriLJ 248	Section 37 NDPS	
119.	रवीन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	2011 की आपराधिक अपील संख्या 2187-88	गवाहों की गवाही	120
	Raveen Kumar vs. State of Himachal Pradesh	Criminal Appeal No. 2187-88 of 2011	Testimony of witnesses	
120.	एम रवींद्रन बनाम खुफिया अधिकारी	एस.एल.पी. (अपराधी) संख्या 2333 ऑफ 2020	धारा 167 (2) सीआरपीसी और 36 ए (1) (4) एनडीपीएस अधिनियम	121-123
	M Ravindran vs The Intelligence Officer	S.L.P. (Criminal) No. 2333 of 2020	Section 167(2) CrPC & 36 A(1)(4) NDPS Act	
121.	मो. जाहिद बनाम राज्य एनसीबी के माध्यम से	2021 की आपराधिक अपील संख्या 147	मादक पदार्थों की तस्करी पर न्यायालय का दृष्टिकोण	123-125
	Mohd. Zahid vs. State through NCB	Criminal Appeal No. 147 of 2021.	Court view on drug trafficking	
122.	आर्यन एस खान बनाम भारत संघ	2021 की आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 3624	धारा 67	125-126
	Aryan S Khan vs Union of India	Criminal Bail Application No. 3624 of 2021	Section 67	
123.	सर्तेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो	2021 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5191	आपराधिक मामलों में जमानत	126

	Satender Kumar Antil vs. Central Bureau of Investigation	SLP (CrL) No. 5191 of 2021	Bail in criminal cases	
124.	भारत संघ बनाम प्रतीक शुक्ला	2021 की आपराधिक अपील संख्या 284	नियंत्रित पदार्थों में जमानत रद्द	127
	Union of India v. Prateek Shukla	Criminal Appeal No 284 of 2021	Bail cancellation in controlled substances	
125.	भारत संघ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से बनाम मोहम्मद नवाज खान	2021 की आपराधिक अपील संख्या 1043	जमानत रद्द धारा 37	127-128
	Union of India through Narcotics Control Bureau vs Md. Nawaz Khan	Criminal Appeal No. 1043 of 2021	Bail cancellation S.37	
126.	दयालू कश्यप बनाम छत्तीसगढ़ राज्य	2022 की आपराधिक अपील संख्या 130	धारा 50	128
	Dayalu Kashyap vs. the State of Chhatisgarh	Criminal Appeal No.130 of 2022	S. 50	
127.	सुखदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य	2016 की आपराधिक अपील संख्या 1004	नशीले पदार्थों की भौतिक प्रकृति	129
	Sukhdev Singh vs. State of Punjab	CRIMINAL APPEAL No.1004 OF 2016	Physical nature of drugs	
128.	संजीव और एन. बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	2016 की आपराधिक अपील संख्या 870; मार्च 09, 2022	धारा 50	129-130

	Sanjeev & Anr. Versus State Of Himachal Pradesh	Criminal Appeal No.870 Of 2016; March 09, 2022	S.50	
129.	गुलाम मो. भट बनाम एनसीबी	जमानत याचिका नंबर 409/2021	धारा 67	130- 131
	Ghulam Mohd. Bhat vs. NCB	Bail App. No. 409/2021	S.67	
130.	ओडिशा राज्य बनाम। रजिस्ट्रार जनरल, उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक	रिट याचिका (सिविल) 2021 की संख्या 32580	ड्रग डिस्पोजल धारा.52A	131
	State of Odisha vs. Registrar General, Orissa High Court, Cuttack	Writ Petition (Civil) No. 32580 of 2021	Drug Disposal S.52A	
131.	भारत संघ बनाम मोहम्मद जमाल	2022 की आपराधिक अपील संख्या 752	धारा 37	131- 132
	Union of India vs. Md. Jamal	Criminal Appeal No 752 of 2022	S.37	
132.	जोसविन लोबो बनाम कर्नाटक राज्य	आपराधिक याचिका संख्या 6916/2021	धारा 50 राजपत्रित अधिकारी	132
	Joswin Lobo vs. State of Karnataka	Criminal Petition no. 6916/2021	S.50 Gazetted officer	
133.	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम मोहित अग्रवाल	2022 की आपराधिक अपील संख्या 1001-1002	धारा 37	133
	Narcotics Control Bureau v. Mohit Aggarwal	Criminal Appeal Nos. 1001- 1002 of 2022	S.37	

Sr. No.	Year	Title of the case	Citation	Excerpt
1.	1990	कडुककुन्निल अप्पाचन और अन्य बनाम आबकारी सर्विस इंस्पेक्टर	केरल उच्च न्यायालय सीआरएल एम.सी. 886/1990	माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धारा 167 (2), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत अपराधों के लिए भी काम करेगा और फिर स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम की धारा 27 का कोई उपयोग नहीं है। दूसरे शब्दों में, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम। 1985 अधिनियम की धारा 27 संहिता की धारा 167 (2) को ओवरराइड नहीं करती है। इसलिए अप्पाचन बनाम एक्साइज सर्विस इंस्पेक्टर, (1990) 2 एएलटी 610 (डीबी) में बालकृष्णन, जे द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति सही है।
	1990	Kadukkak unnil Appachan & Another vs. Excise Circle Inspector	Kerala High court Crl M.C. 886/1990	Honorable Supreme Court, ultimately came to the conclusion that section 167 (2), cr. p. c. would operate even for offences under the NDPS act and then section 27 of the NDPS act has no application. In other words, section 27 of the NDPS act does not override section 167 (2) of the code. Hence the legal position set out by Balakrishnan, J. in Appachan v. Excise Circle Inspector, (1990) 2 ALT 610 (DB) is correct
2.	1990	राज कुमार करवाल बनाम भारत संघ	(1990) 2 एससीसी 409	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 53 के तहत अपराधों की जांच की शक्तियों के साथ नियेशित डीआरआई / सीमा शुल्क के अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में पु लिस अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि उनके पास मु कदमा

				दर्ज करने की शक्ति नहीं है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा 173 के तहत रिपोर्ट - ऐसे अधिकारियों को दिया गया इकबालिया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से प्रभावित नहीं होता है।
	1990	Raj Kumar Karwal versus Union of India	(1990) 2 SCC 409	Honorable Supreme Court Has held - Officers of DRI/Customs invested with powers of investigation of offences under S. 53 of the NDPS Act are not Police Officers within the meaning of S. 25 of the Indian Evidence Act, as they do not have power to lodge a report under S. 173 of the Cr. P.C.-- Confessional statement made to such officers is not hit by S. 25 of the Indian Evidence Act.
3-	1991	नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाम किशन लाल और अन्य	(1991) 1 एससीसी 705	स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम एक विशेष कानून होने के कारण इसके प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता! १९७३ पर लागू होते हैं और इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता! १९७३ के तहत जमानत देने की शक्ति स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम की धारा 37 में निर्धारित शर्तों के अधीन है।
	1991	Narcotic Control Bureau vs. Kishan Lal & Ors.,	(1991) 1 SCC 705	The NDPS Act being a special statute its provisions prevail over those of Cr.P.C. and therefore the power to grant bail under the Cr. P.C. is subject to the conditions laid down in the NDPS Act S. 37.
4-	1994	पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह	एआईआर 1994 एससी 1872	दण्ड प्रक्रिया संहिता! १९७३ , धारा 100 और 165 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम के तहत अपराधों पर लागू होते हैं , क्योंकि बाद वाला अधिनियम एक पूर्ण कोड नहीं है।

			<p>ख. तलाशी या गिरफ्तारी - नशीले पदार्थों के अपराध - दण्ड प्रक्रिया संहिता! १९७३ - स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम, धारा 50 के तहत जांच के सामान्य क्रम में नशीले पदार्थों की बरामदगी करने वाले पुलिस अधिकारी को आकर्षित नहीं किया गया-पुलिस अधिकारी, यदि वह स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम के तहत सशक्त है, को सूचित करना चाहिए एक अधिकार प्राप्त अधिकारी, जिसे उसके बाद स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।</p> <p>ग. तलाशी या गिरफ्तारी - नारकोटिक्स अपराध - एक अधिकार प्राप्त या अधिकृत अधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता! १९७३ , धारा 100 और 165 के प्रावधानों का अनुपालन न करना, "अनियमितता" के बराबर होगा, लेकिन परीक्षण को खराब नहीं करेगा।</p> <p>घ. तलाशी - नारकोटिक्स अधिकारी - अधिकार प्राप्त या अधिकृत अधिकारी, पूर्व सूचना पर कार्य करना - स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम, धारा 50 की आवश्यकताएँ अनिवार्य हैं - गैर-अनुपालन अभियोजन मामले को प्रभावित करेगा और परीक्षण को प्रभावित करेगा।</p> <p>इ. गिरफ्तारी या जव्ती - मादक पदार्थ अपराध - स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ</p>
--	--	--	---

			अधिनियम। 1985 अधिनियम, धारा के तहत की गई जब्ती या गिरफ्तारी। 41 से 44 - स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम। 1985 अधिनियम की धारा 52 और 57 के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं, गैर-अनुपालन मुकदमे या दोषसिद्धि को अमान्य नहीं करता है, लेकिन साक्ष्य की सराहना पर असर पड़ेगा।
1994	State of Punjab V/s Balbir Singh	AIR 1994 SC 1872	<p>A. Searches, seizures and arrests--Narcotics offences--Cr. P.C., Ss. 100 & 165 are applicable to offences under the NDPS Act, since the latter Act is not a complete code.</p> <p>B. Search or arrest--Narcotics offences--Police officer making a chance recovery of narcotics, in the normal course of investigation under the Cr. P.C.--NDPS Act, S. 50 not attracted--Police officer, if he is empowered under the NDPS Act, should inform an empowered officer, who should thereafter proceed in accordance with the provisions of the NDPS Act.</p> <p>C. Search or arrest--Narcotics offences--Non-compliance with provisions of Cr. P.C., Ss. 100 & 165 by an empowered or authorised officer, would amount to an "irregularity" but not vitiate the trial.</p> <p>D. Search--Narcotics officer--Empowered or authorised officer, acting on prior information--Requirements of NDPS Act, S. 50 are mandatory-- Noncompliance would affect prosecution case and vitiate the trial.</p> <p>E. Arrest or seizure--Narcotics offences--Seizure or arrest made under NDPS Act, Ss. 41 to 44--Provisions of Ss. 52 & 57 of NDPS Act not mandatory, noncompliance does not invalidate trial or conviction, but will have bearing on appreciation of evidence.</p>

5-	1995	सैयद मो. बनाम राज्य	1995 सीआरएलजे 2662	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि # तलाशी लेने वाले अधिकारी को, तलाशी देने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में आरोपी को उसके तलाशी देने के अधिकार के बारे में सूचित करना अनिवार्य है " इस संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है " यह भी हो सकता है कि इस बिंदु को पहली बार अपील में उठाया जाए। स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में, कि तलाशी लेने वाले अधिकारी ने व्यक्ति को तलाशी लेने के लिए सूचित किया था कि वह तलाशी के समय एक राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति की मांग करने का हकदार था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत न्यायालय के लिए यह अनुमान लगाने के लिए कोई जगह नहीं है कि अधिकारी ने उस व्यक्ति को सुरक्षा के बारे में सूचित किया होगा जिसे कानून ने उसे धारा 50, स्वापक ओषधि और मतःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम, 1985 के तहत दिया था।
----	------	------------------------	--------------------------	--

	1995	Saiyad Mohd. V/s State	1995 CrLJ 2662	Honorable Supreme Court Has held :It is mandatory for the searching officer to inform the searched person about his right to be searched in the presence of a Magistrate or a Gazetted Officer-- No presumption can be made in this regard--This point can also be raised in Appeal for the first time-- -In the absence of clear evidence that the Officer conducting the search had informed the person to be searched that he was entitled to demand the presence of a Gazetted Officer or a Magistrate at the time of search, there is no room for the Court to draw a presumption U/S. 114 of the Evidence Act that the Officer must have informed the person to be searched about the protection the law gave him under S. 50, NDPS Act, 1985 .
6.	1995	भारत संघ बनाम थमीशरसी और अन्य	(1995(3) स्केल 72	दण्ड प्रक्रिया संहिता! १९७३ की धारा 167, की उप"धारा 2) के प्रावधान, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 के मामलों पर लागू होता है और इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध करने के लिए गिरफ्तार किए गए आरोपी, दण्ड प्रक्रिया संहिता! १९७३ की धारा 167(2)(ए) के तहत निदिष्ट अवधि की समाप्ति पर, यदि शिकायत दर्ज नहीं की जाती है तो आरोपी जमानत पर रिहाई का दावा कर सकता है।
	1995	Union of India Vs. Thamishara si and Ors.	(1995(3) SCALE 72	Proviso to Sub-Sec. (2) of Sec. 167, Cr.P.C. applies to cases under N.D.P.S. Act and an accused arrested for commission of offences under the Act can claim release on bail on the expiry of the period specified u/s. 167(2)(a) Cr.P.C., if the complaint is not filed within that period.

7.	1996	डॉ. बिपिन शांतिलाल पांचाल बनाम गुजरात राज्य	ए.आई.आर. 2001 एससी 1158	सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के माध्यम से संजय दत्त बनाम राज्य में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा और यह माना कि यदि कोई आरोपी व्यक्ति कानून द्वारा अनुमत अधिकतम समय के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करने में अभियोजन पक्ष की विफलता के लिए जमानत पर रिहा होने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो वह यह तर्क नहीं दे सकता है कि इस तथ्य के बावजूद कि इस बीच आरोप पत्र दायर किया गया है, उसे किसी भी समय इसका प्रयोग करने का एक अपरिहार्य अधिकार था, लेकिन दूसरी ओर यदि वह कानून द्वारा अनुमत समय के भीतर अधिकार का प्रयोग करता है और ऐसी परिस्थितियों में जमानत पर रिहा हो जाता है, तो वह जैसा कि असलम बाबालाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बताया गया है, केवल आरोप-पत्र दाखिल करने पर फिर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
	1996	Dr. Bipin Shantilal Panchal Vs. State of Gujarat	AIR 2001 SC 1158	The Supreme Court placing reliance upon the decision of the Constitution bench in Sanjay Dutt v. State through C.B.I. Bombay (II) MANU/SC/0554/1994 held if an accused person fails to exercise his right to be released on bail for the failure of the prosecution to file the charge-sheet within the maximum time allowed by law, he cannot contend that he had an indefeasible right to exercise it at any time notwithstanding the fact that in the meantime the charge sheet is filed, But on the other hand if he exercises the right within the time allowed by law and is released on bail under such circumstances, he cannot be rearrested on the mere filing

				of the charge-sheet, as pointed out in Aslam Babalal Desai v. State of Maharashtra case.
8.	1996	मेघा सिंह बनाम. हरियाणा राज्य	(1996) 11 एससीसी 709	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि बयान में कोई विसंगति है और किसी भी स्वतंत्र पुष्टि के अभाव में ऐसी विसंगति मामले की विश्वसनीयता के बारे में विश्वास को प्रेरित नहीं करती है।
	1996	Megha Singh Vs. State of Haryana	(1996) 11 SCC 709	Honorable Supreme Court has held if there is any discrepancy in deposition and in absence of any independent corroboration such discrepancy does not inspire confidence about reliability of case.
9.	1998	एमडी काले, आसूचना अधिकारी बनाम मो. अफजल मोहम्मद यारखान	1998(2) एमएचएलजे 779	वर्तमान मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या एक मामले में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42 के तहत बयान की प्रकृति और प्रावधानों के अनुपालन पर निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट मिनी ट्रायल आयोजित कर सकता है। व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत देने का निर्णय - यह माना गया कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने की परीक्षण स्तर पर जांच की जा सकती है लेकिन न्यायालय इस तथ्य पर विचार कर सकता था कि अभियुक्त ने अधिनियम की धारा 67 के तहत एक इकबालिया बयान दिया था। भले ही इसे बाद में वापस ले लिया गया हो - इस प्रकार न्यायालय मिनी ट्रायल नहीं कर सका जमानत इस आधार पर मांगी गई थी कि आरोपी ने इकबालिया बयान वापस ले लिया था

				और इसका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं था - यह माना गया था कि तथ्य, चाहे बयान स्वैच्छिक था या नहीं, परीक्षण में साक्ष्य दर्ज करने के बाद ही तय किया जा सकता है। सत्र न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 37(1)(बी) के तहत ठोस कारण दर्ज किए बिना जमानत देने में गलती की थी।
	1998	M.D. Kale, Intelligence Officer Vs. Mohd. Afzal Mohd Yarkhan	1998(2) MhLj 779	<p>In the present case the question before Honorable Supreme Court was that whether the trial Court could hold the mini trial to decide on the nature of the statement and compliance of the provisions under Section 42 of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 in a case of grant of bail on personal bond - It was held that the non-compliance with the provisions of the Act could be examined at the trial stage but the Court could have considered the fact that accused had made a confessional statement under Section 67 of the Act, even if it was retracted later - Thus the Court could not hold the mini trial</p> <p>The bail was sought on the ground that the accused had retracted the confessional statement and it had no evidentiary value - It was held that the fact, whether the statement was voluntary or not, could be decided only after recording the evidence in the trial thus the session judge had erred in granting the bail without recording sound reasons in terms of Section 37(1)(b) of the Act.</p>
10.	1999	राजेंद्र प्रसाद बनाम नारकोटिक सेल	एआईआर 1999 एससी 2292	इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा गवाहों को फिर से बुलाना न्यायोचित है - यदि एक बार उस शक्ति का प्रयोग किया गया था तो न्यायालय किसी

				<p>गवाह को फिर से समन करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है और न ही केवल जमीन पर शक्ति को कम किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष ने कुंडी तभी खोजी जब बचाव पक्ष ने अंतिम तर्कों के दौरान उन्हें उजागर किया - आयोजित, न्यायालय की शक्ति मामले के किसी भी चरण में किसी भी गवाह को बुलाने या यहां तक कि किसी भी गवाह को वापस बुलाने की शक्ति थी यदि न्यायालय इसे उचित निर्णय के लिए आवश्यक समझता है - परीक्षण की अनुमति इसलिए कुछ गवाहों को फिर से तलब करने के लिए अदालत को खारिज नहीं किया जा सकता और न ही उस पर माथापच्ची की जा सकती है।</p>
	1999	Rajendra Prasad Vs. The Narcotic Cell	AIR 1999 SC 2292	<p>In the present case the question before Honorable Supreme Court was that whether re-summoning of witnesses by Trial Court justified - Court cannot exercise power of re-summoning any witness if once that power was exercised nor can the power be whittled down merely on the ground that prosecution discovered latches only when the defence highlighted them during final arguments - Held, the power of the Court was plenary to summon or even recall any witness at any stage of the case if the Court considers it necessary for a just decision - Permission of Trial Court for re-summoning certain witnesses cannot therefore be spurned down nor frowned at.</p>
11.	1999	पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह	एआईआर 1999 एससी 2378	<p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि- यह एक अनिवार्य आवश्यकता है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अधिनियम द्वारा कवर की गई</p>

			<p>वस्तुओं के कब्जे के लिए किसी व्यक्ति की तलाशी लेने का इरादा रखने वाला एक अधिकार प्राप्त अधिकारी उसे सूचित करे कि उसे तलाशी लेने का अधिकार है, यदि वह ऐसा चाहता है, तो उसकी उपस्थिति में राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट। आवश्यकता सुरक्षा और सुरक्षा के लिए है और इसका ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। आरोपी को सूचित करने का अधिकार है, हालांकि लिखित रूप में नहीं। ऐसा करने में विफलता खोज को अवैध बना देगी और यदि ट्रायल नहीं तो दोषसिद्धि को नष्ट कर देगी - पंजाब राज्य बनाम बलवीर सिंह [1997 (69) ईसीआर 260 (एससी)] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपात। स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम, 1985 : एस. 50।</p>
	1999	State of Punjab Vs. Baldev Singh	<p>AIR 1999 SC 2378</p> <p>Honorable Supreme Court Has held that it is an imperative requirement that an empowered officer intending to search a person for possession of articles covered by NDPS Act should inform him that he has a right to be searched, if he so chooses, in the presence of a Gazetted Officer or a Magistrate. The requirement is for safeguard and protection and it must be followed scrupulously. The accused has a right to be informed, though not in writing. Failure to do so would render search illegal and would vitiate the conviction if not the trial-ratio of Supreme Court judgment in the case of State of Punjab v. Balbir Singh [1997 (69) ECR 260 (SC)]. NDPS Act, 1985 : S. 50.</p>
12.	1999	भारत संघ बनाम	<p>(1999) 6 एससीसी 43</p> <p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ</p>

		मेराजुद्दीन		अधिनियम! 1985 अधिनियम की धारा 37 के आदेश का उल्लंघन करते हुए अनसस्टेनेबल-जमानत निरस्त की जा सकती है।
	1999	Union of India Vs. Merajuddin	(1999) 6 SCC 43	Honorable Supreme Court Has held that Bail-Grant of bail for offence under N.D.P.S. Act in violation of mandate of Section 37 there of Unsustainable-Bail liable to be cancelled.
13	1999	भारत संघ बनाम राम समुझ और अन्य	(1999) 9 एससीसी 429	इस मामले में जो मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया वह यह था कि क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 राम समुझ यादव को जमानत देने के आदेश को इस आधार पर अपास्त करने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय ने धारा 37 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की भी अनदेखी की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की विस्तार से जांच करने के बाद कहा कि जमानत देने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान द्वारा परिचालित है। यह उस मामले में दिया जा सकता है जहां यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह विधायिका का जनादेश है जिसका पालन करना आवश्यक है। अदालत ने प्रतिवादी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर

				दिया और उसे आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया
	1999	Union of India Vs. Ram Samujh and Another	(1999) 9 SCC 429	The issue which came up for consideration before Honorable Supreme Court in this case was whether the order passed by the High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, granting bail to respondent No. 1 Ram Samujh Yadav required to be set aside on the ground that the High Court ignored the provisions of Section 37 NDPS Act as well as the law laid down by this Court. The Supreme Court after examining the matter at length held that The jurisdiction of the Court to grant bail is circumscribed by the provision of Section 37 of the NDPS Act. It can be granted in case where there are reasonable grounds for believing that accused is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail. It is the mandate of the legislature which is required to be followed. The Court set-aside the order of the High Court granting bail to the respondent and directed him to surrender
14	2000	टीएन राज्य व अन्य बनाम ई. थलाईमलाई और अन्य	भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपील 160/2000	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या स्वापक ओपधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए कैदियों को नियम, 1958 के तहत पैरोल देने पर विचार किया जा सकता है। राजस्थान राज्य बनाम इस न्यायालय की डिवीजन बैंच। मन सिंह व अन्य। (सुप्रा) ने दादू बनाम महाराष्ट्र राज्य (AIR 2000 SC 3202) और NDPS अधिनियम के S.32A और पै रोल नियमों में शीर्ष अदालत के निर्णय पर ध्यान दिया, जिसमें यह देखा गया है कि पैरोल निलंबन की राशि

			<p>नहीं है, सजा में छूट या संशोधन; ऐसे अपराधी को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम के एस.32ए की आड़ में पैरोल के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने अंततः देखा कि नियम, 1958 के नियम 1 (सी) के मद्देनजर, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम के तहत दोषी व्यक्तियों को केवल केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत ही माना जा सकता है; और आगे देखा कि भारत संघ स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम के दोषियों को पैरोल पर रिहा करने या स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम के अधिनियमन के पीछे की वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए खुले हवाई शिविरों में स्थानांतरित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने वाले नियम बना सकता है; और जब तक इस तरह के नियम बनाए जाते हैं, अंतरिम व्यवस्था के रूप में, इस न्यायालय ने संबंधित प्राधिकरण और न्यायालयों के विज्ञापन के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए हैं।</p>
--	--	--	---

	2000	State Of T.N And Another vs. E. Thalaimalai And Another	Supreme Court Of India Criminal appeal 160/2000	Honorable Supreme Court answered the question as to whether prisoners convicted under NDPS Act can be considered for grant of parole under Rules, 1958. Division Bench of this Court in State Of Rajasthan Vs. Mana Singh & Ors. (supra), took note of decision of Apex court in Dadu v. State of Maharashtra (AIR 2000 SC 3202) and so also of S.32A of NDPS Act and parole Rules, wherein it has observed that the parole does not amount suspension, remission or commutation of sentence; as such a convict cannot be deprived of benefit of parole under the garb of S.32A of NDPS Act. The Division Bench finally observed that in view of Rule 1(c) of Rules, 1958, persons convicted under NDPS Act can be considered only under Rules framed by Central Government; and further observed that the Union of India may frame Rules providing guidelines for releasing the convicts of NDPS Act on parole or transfer to the open air camps keeping in view the objects behind enactment of NDPS Act; and till such Rules are framed, as interim arrangements, this Court provided guidelines for concerned authority & the Courts ad infra.
15	2000	भारत संघ बनाम। अहरवा दीन	एआईआर 2000 एससी 3512ए	सुप्रीम कोर्ट ने जवाबी हलफनामा प्राप्त करने का कोई कारण नहीं पाया, क्योंकि उच्च न्यायालय के जमानत देने के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि उच्च न्यायालय ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 37 के प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया है। स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अधिनियम की धारा 37 की अनिवार्य

				आवश्यकताओं की अनदेखी करते हुए दिए गए निर्णय को अलग रखा गया था।
	2000	Union of India Vs. Aharwa Deen	AIR 2000 SC 3512a	The Supreme Court found no reason to get counter affidavit, since on the face of the impugned order of the High Court granting bail cannot be sustained as the High Court has not looked into the provisions of Section 37 of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act. The impugned judgment was set-aside as being delivered overlooking the mandatory requirements of section 37 of the NDPS Act.
16	2000	दादू @ तुलसीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य	एआईआर 2000 एससी 3203	नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 32-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इस धारा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के मनमाने, भेदभावपूर्ण और उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए कैदियों और विभिन्न अन्य कानूनों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए कैदियों के बीच अनुचित भेद पैदा करता है। यह माना गया कि सजा देना, दोषसिद्धि पर, देश में स्थापित कानून के न्यायालयों द्वारा निर्वहन किया जाने वाला एक न्यायिक कार्य है। यह हमेशा न्यायिक विवेक का मामला है, हालांकि, कानून द्वारा निर्धारित किसी भी अनिवार्य न्यूनतम सजा के अधीन है। अपील के अधिकार के अधीन जहां कहीं भी आपराधिक अदालत द्वारा सजा का निर्णय किया जाता है, उसमें हस्तक्षेप या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जो न केवल हस्तक्षेप बल्कि वास्तव में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को छीन लेता है। सजा देना और अपील में इसकी वैधता या

			<p>पर्याप्तता पर विचार करना अनिवार्य रूप से एक न्यायिक कार्य है जो अपील के निपटारे तक लंबित प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में सजा को निलंबित करने की शक्ति को अपने दायरे में लेता है। अपील का कम से कम एक अधिकार प्रदान नहीं करना, आपराधिक न्याय के मामले में कानून की उचित प्रक्रिया को नकार देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपील का अधिकार एक कानून की रचना है और इसलिए प्रदत्त, एक मौलिक अधिकार है। अपील का अधिकार प्रदान करना लेकिन सजा के निलंबन के रूप में अंतिम राहत देने से न्यायालय को पूरी तरह से निरस्त करना संविधान के अनुच्छेद 21 का अन्यायपूर्ण, अनुचित और उल्लंघन होगा, खासकर जब अपील के शीघ्र निपटान के लिए कोई तंत्र प्रदान नहीं किया गया हो। आपराधिक मुकदमों का लंबित होना और लंबित मामलों से निपटने का अनुभव कम से कम कई उच्च न्यायालयों में अपील की शीघ्र सुनवाई और गुण-दोष के आधार पर इसके निपटान की कोई संभावना नहीं दर्शाता है।</p>
2000	Dadu @ Tulsidas Vs. State of Maharashtra	AIR 2000 SC 3203	<p>The Constitutional validity of Section 32-A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, was challenged. The section is alleged to be arbitrary, discriminatory and violative of Articles 14 and 21 of the Constitution of India which creates unreasonable distinction between the prisoners convicted under the Act and the prisoners convicted for the offences punishable under various other statutes.</p> <p>It was held that awarding sentence, upon conviction, is concededly a</p>

				<p>judicial function to be discharged by the Courts of law established in the country. It is always a matter of judicial discretion, however, subject to any mandatory minimum sentence prescribed by the Law. The award of sentence by a criminal court wherever made subject to the right of appeal cannot be interfered or intermeddled with in a way which amounts to not only interference but actually taking away the power of judicial review. Awarding the sentence and consideration of its legality or adequacy in appeal is essentially a judicial function embracing within its ambit the power to suspend the sentence under peculiar circumstances of each case, pending the disposal of the appeal. Not providing atleast one right of appeal, would negate the due process of law in the matter of dispensation of criminal justice. There is no doubt that the right of appeal is the creature of a statute and hence conferred, a substantive right. Providing a right of appeal but totally disarming the Court from granting interim relief in the form of suspension of sentence would be unjust, unfair and violative of Article 21 of the Constitution particularly when no mechanism is provided for early disposal of the appeal. The pendency of criminal litigation and the experience in dealing with pending matters indicate no possibility of early hearing of the appeal and its disposal on merits atleast in many High Courts.</p>
17	2000	अधीक्षक, नारकोटिक्स केंद्रीय व्यूरो बनाम आर. पॉलसामी	एआईआर 2000 एससी 3661,	नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 37 के तहत, किसी भी आरोपी को तब तक जमानत पर रखा नहीं किया जा सकता जब तक कि लोक अभियोजक द्वारा आवेदन का विरोध नहीं किया जाता है ,

				जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराधों का दोषी नहीं है। और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
	2000	Superintendent, Narcotics Central Bureau Vs. R. Paulsamy	AIR 2000 SC 3661,	Under Section 37 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, no accused can be released on bail when the application is opposed by the public prosecutor unless the Court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offences and that he is not likely to commit any offence while on bail.
18	2000	अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य	एआईआर 2000 एससी 821	माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि लिखित में दर्ज नहीं की गई जानकारी-वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी से अवगत नहीं-सूचना धारा 42 (1) के अंतर्गत आने वाली जानकारी-और धारा 42 के साथ गैर- अनुपालन-प्रभाव-परीक्षण उस स्कोर पर दूषित नहीं था-लेकिन अभियुक्त के लिए पूर्वाग्रह
	2000	Abdul Rashid Ibrahim Mansuri Vs. State of Gujarat	AIR 2000 SC 821,	Honorable Supreme Court Has held that information not recorded in writing-Superior officer not apprised of information-Information falling within Section 42 (1)-And there was noncompliance with Section 42-Effect-Trial not vitiated on that score-But prejudice caused to accused.
19	2001	आसूचना अधिकारी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम शंभू सोनकर और	एआईआर 2001 एससी 830	इस मामले में न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न आया था कि क्या स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अधिनियम की धारा 37 के तहत लगाए गए प्रतिबंध उस मामले में लागू होंगे जहां धारा 20 (बी) (आई) के तहत गांजा रखने के लिए

		अन्य	<p>अपराध दंडनीय है? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 37 की योजना से पता चलता है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत देने की शक्ति का प्रयोग न केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 के तहत निहित सीमाओं के अधीन है, बल्कि धारा द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन भी है। 37 जो कि गैर-अनिवार्य खंड से शुरू होता है। उक्त धारा का सक्रिय भाग अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति की जमानत को बढ़ाने के लिए निर्धारित करने में नकारात्मक है, जब तक कि दो शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। पहली शर्त यह है कि अभियोजन को आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए और दूसरी यह है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है। यदि इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो जमानत देने पर प्रतिबंध लागू होता है। धारा 37 के आदेश के अनुसार, अधिनियम के तहत 5 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा के अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है जब तक कि खंड (बी) के उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित शर्तों का उल्लेख नहीं किया जाता है।) संतुष्ट हैं।</p>
--	--	------	---

	2001	Intelligence Officer, Narcotics C. Bureau vs. Sambhu Sonkar and Anr.	AIR2001SC 830	Question came for consideration in this case before the Court was whether the restrictions imposed under Section 37 of the NDPS Act would be applicable in a case where offence is punishable under Section 20(b)(i) for possessing Ganja? The Supreme Court held that scheme of section 37 reveals that the exercise of the power to grant bail by the Special Judge is not only subject to the limitations contained under Section 439 of the Cr.P.C., but is also subject to the limitation placed by Section 37 which commences with nonobstante clause. The operative part of the said section is in negative in prescribing the enlargement of bail of any person accused of commission of an offence under the Act unless two conditions are satisfied. The first condition is that prosecution must be given an opportunity to oppose the application and the second is that the Court must be satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence. If either of these two conditions is not satisfied, the ban for granting bail operates. As per the mandate of Section 37, no person accused of an offence punishable for a term of imprisonment of 5 years or more under the Act can be released on bail unless the conditions mentioned in subclauses (i) and (ii) of Clause (b) are satisfied.
20	2001	दिल्ली एनसीटी राज्य, सरकार बनाम सुनील और अन्य।	2001 1 एससीसी 652	साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 27 - लेख की वसूली-आरोपी के बयान से परिणाम-वसूली का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं- क्या वस्तु की वसूली को त्याग दिया जा सकता है ? -आयोजित, "नहीं

	2001	State, Govt. of NCT of Delhi v. Sunil and Anr.	2001 1 SCC 652	Evidence Act, 1872 - Section 27 - Recovery of article-Resulting from statement of accused-No independent witness of recovery-Whether recovery of article can be discarded?-Held, "no
21	2001	बबुआ @ तजमुल हुसैन बनाम। उड़ीसा राज्य	एआईआर 2001 एससी 1052	सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब तक यह मानने के लिए उचित आधार नहीं है कि आरोपी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और केवल जमानत पर रहने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है, तब तक वह स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम। 1985 अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत जमानत का हकदार होगा। ध्यान में रखने वाला दूसरा पहलू यह है कि नागरिक की स्वतंत्रता को समाज के हित के साथ संतुलित करना होगा। ऐसे मामलों में जहां नशीले पदार्थ और मनोदहिक पदार्थ शामिल हैं, आरोपी ऐसी गतिविधियों में लिप्त होंगे जो समाज के लिए घातक हैं। इसलिए, यह निश्चित रूप से समाज के हित में होगा कि ऐसे व्यक्तियों को अदालत में लंबित कार्यवाही के दौरान सलाखों के पीछे रखा जाए, और धारा 37 (1) (बी) की वैधता को बरकरार रखा गया है, हम कोई अन्य दृष्टिकोण नहीं ले सकते हैं।
	2001	Babua @ Tazmul Hossain Vs. State of Orissa	AIR2001SC 1052	The Supreme Court held that unless there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail alone will entitle him to a bail under section 37 (1) of NDPS Act. The other aspect to be borne in mind is that the liberty of a citizen has got to be balanced with the interest of the society. In cases where narcotic drugs and psychotropic substances are involved, the accused would indulge in

				activities which are lethal to the society. Therefore, it would certainly be in the interest of the society to keep such persons behind bars during the pendency of the proceedings before the Court, and the validity of Section 37(1)(b) having been upheld, we cannot take any other view.
22	2001	विपिन शांतिलाल पांचाल बनाम गुजरात राज्य और अन्य एआई.आर 2001 एससी 1158	एआईआर 2001 एससी 1158	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब भी किसी सामग्री या मौखिक साक्ष्य की वस्तु की स्वीकार्यता के संबंध में साक्ष्य लेने के दौरान कोई आपत्ति उठाई जाती है , तो ट्रायल कोर्ट ऐसी आपत्ति का एक नोट बना सकता है और मामले में एक प्रदर्शन के रूप में आपत्तिजनक दस्तावेज को अस्थायी रूप से चिह्नित कर सकता है (या रिकॉर्ड मौखिक साक्ष्य का आपत्तिजनक हिस्सा) इस तरह की आपत्तियों के अधीन "अंतिम निर्णय में अंतिम चरण में। यदि न्यायालय को अंतिम चरण में पता चलता है कि इस तरह की गई आपत्ति टिकाऊ है तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे सबूतों को बाहर रख सकते हैं। विचार। हमारे विचार में इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने में कोई अवैधता नहीं है। (हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि आपत्ति किसी दस्तावेज के स्टांप शुल्क की कमी से संबंधित है तो न्यायालय को आगे बढ़ने से पहले आपत्ति का फैसला करना होगा। अन्य सभी के लिए आपत्तियां ऊपर सुझाई गई प्रक्रिया का पालन कर सकती हैं)।

	2001	Bipin Shantilal Panchal Vs. State of Gujarat and Anr. AIR2001SC 1158	AIR 2001 SC 1158,	Honorable Supreme Court Has held whenever an objection is raised during evidence taking stage regarding the admissibility of any material or item of oral evidence the trial Court can make a note of such objection and mark the objected document tentatively as an exhibit in the case (or record the objected part of the oral evidence) subject to such objections to be decided "at the last stage in the final judgment. If the Court finds at the final stage that the objection so raised is sustainable the Judge or Magistrate can keep such evidence excluded from consideration. In our view there is no illegality in adopting such a course. (However, we make it clear that if the objection relates to deficiency of stamp duty of a document the Court has to decide the objection before proceeding further. For all other objections the procedure suggested above can be followed).
23	2001	भारत संघ बनाम अशोक कुमार जायसवाल	(2007)15 एससीसी 569	सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जमानत देने से पहले धारा 37 में प्रदान की गई अनिवार्य शर्तों के तहत कोर्ट को संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और अधिनियम के तहत अपराध करने की संभावना नहीं है। जमानत। इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में अधिनियम के तहत अपराध के अभियुक्तों को जमानत देने के आदेशों को रद्द करते हुए अदालतों को धारा 37 की अनिवार्य आवश्यकताओं के बारे में आगाह किया है।

	2001	Union of India Vs. Ashok Kumar Jaiswal	(2007)15SC C569	Supreme Court held that Under the mandatory conditions provided in Section 37 before granting bail the Court is to be satisfied that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of offence and that he is not likely to commit offences under the Act while on bail. This Court in various judgments while quashing the orders granting bail to accused of offence under the Act have cautioned the courts about the mandatory requirements of Section 37.
24	2001	म.प्र. राज्य बनाम काजाद	2001) 7 एससीसी 673	शीर्ष अदालत ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम। 1985 अधिनियम की धारा 37 पर विचार करने के बाद, उस उद्देश्य पर विचार किया है जिसके लिए स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम। 1985 अधिनियम को अधिनियमित किया गया था और उक्त निर्णय के पैरा 5, 6, 7 और 8 के तहत मनाया गया था: "जिस उद्देश्य के लिए अधिनियम बनाया गया था। और नशीले पदार्थों की तस्करी के खतरे को कम करने का इरादा इसकी योजना से स्पष्ट है। अधिनियम की धारा 37 का एक अवलोकन अदालत के दिमाग में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि एक अपराध का आरोपी व्यक्ति, पांच की कारावास की सजा के लिए दंडनीय साल या उससे अधिक, आम तौर पर जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। जमानत की अस्वीकृति नियम है और इसका अनुदान धारा 37 (1) के खंड (बी) के उप खंड (ii) के तहत अपवाद है। जमानत देने के लिए अदालत को, उसके सामने पेश किए गए रिकॉर्ड के आधार पर, संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार है

			<p>कि आरोपी उन अपराधों के लिए दोषी नहीं है जिसके साथ उस पर आरोप लगाया गया है और यह भी कि जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टी . देने की शर्त वह जमानत, धारा 37 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट है , आपराधिक प्रक्रिया संहिता या जमानत के अनुदान को विनियमित करने वाले किसी अन्य कानून के तहत प्रदान की गई सीमाओं के अतिरिक्त है। अधिनियम के तहत जमानत के मामले में उदार दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है।</p>
2001	State of M.P.Vs. Kajad,	2001) 7 SCC 673,	<p>The apex court after considering section 37 of the NDPS act, has considered the purpose for which the NDPS Act was enacted and observed as under in para 5, 6, 7 and 8 of the said judgment: "The purpose for which the Act was enacted and the menace of drug trafficking which it intends to curtail is evident from its scheme. A perusal of section 37 of the Act leaves no doubt in the mind of the court that a person accused of an offence, punishable for a term of imprisonment of five years or more, shall generally be not released on bail. Negation of bail is the rule and its grant an exception under sub clause (ii) of clause (b) of section 37(1). For granting the bail the court must, on the basis of the record produced before it, be satisfied that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of the offences with which he is charged and further that he is not likely to commit any offence while on bail. It has further to be noticed that the conditions for granting the bail, specified in clause (b) of sub section (1) of section 37 are in addition to the</p>

				limitations provided under the Code of Criminal Procedure or any other law for the time being in force regulating the grant of bail. Liberal approach in the matter of bail under the Act is uncalled for.
25	2002	कर्नाटक राज्य बनाम ए कुंचिदान्द	एआईआर 2002 एससी 1875	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जव्ती सिविल दायित्व है जबकि जव्ती सजा है।
	2002	State of Karnataka v. A Kunchida nned	AIR 2002 SC 1875	Honorable Supreme Court held that confiscation is Civil Liability whereas Forfeiture is punishment.

26	2002	खेत सिंह बनाम भारत संघ	एआईआर 2002 एससी 1450	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के साथ किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। "इस मुद्दे पर कानून बहुत स्पष्ट है कि यदि तलाशी और जब्ती करने में किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक अवैधता है, तो भी एकत्र किए गए साक्ष्य अस्वीकार्य नहीं होंगे और न्यायालय सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा और पता लगाएगा कि क्या कोई गंभीर पूर्वाग्रह था। यदि तलाशी और जब्ती पूरी तरह से कानून और प्रक्रिया की अवहेलना में थी और इस तरह की तलाशी या जब्ती के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के साथ छेड़छाड़ या प्रक्षेपित होने की संभावना थी, तो यह हो सकता है कि कहा कि साक्ष्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, महाजार उस स्थान पर तैयार नहीं किया गया था जहां आरोपी व्यक्तियों के कब्जे में प्रतिबंधित सामग्री पाई गई थी, लेकिन ऐसा केवल कार्यालय में ही किया गया था। सीमा शुल्क विभाग के जबकि आरोपी व्यक्ति बहुत अधिक मौजूद थे, ऐसा कोई आरोप या सुझाव नहीं था कि अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह से प्रतिबंधित वस्तु में हस्तक्षेप किया गया था। इसलिए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता के पास अफीम का अधिकार होना सही पाया गया है। हम अपीलकर्ता के खिलाफ दी गई सजा और सजा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।"
----	------	------------------------------	----------------------------	---

	2002	Khet Singh Vs. Union of India	AIR 2002 SC 1450	Honorable Supreme Court held that no interference warranted with conviction and sentence against appellant. "Law on the point is very clear that even if there is any sort of procedural illegality in conducting the search and seizure, the evidence collected thereby will not become inadmissible and the Court would consider all the circumstances and find out whether any serious prejudice had been caused to the accused. If the search and seizure was in complete defiance of the law and procedure and there was any possibility of the evidence collected likely to have been tempered with or interpolated during the course of such search or seizure, then, it could be said the evidence is not liable to be admissible in evidence.though the mahazar was not prepared at the spot where the accused persons were found to be in possession of the contraband article but the same was done only at the Office of the Customs Department while the accused persons were very much present throughout, there was no allegation or suggestion that the contraband article was, in any way, meddled with by the officers. Therefore, we are of the view that the appellant has rightly been found to be in possession of the opium. We find no reason to interfere with the conviction and sentence entered against the appellant."
27	2003	मदन लाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	एआईआर 2003 एससी 3642	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अभिव्यक्ति 'कब्जा' एक बहुरूपी शब्द है जो विभिन्न संदर्भों में अलग-अलग रंगों को ग्रहण करता है। प्रासंगिक रूप से भिन्न पृष्ठभूमियों में इसके भिन्न-भिन्न अर्थ हो सकते हैं। यह असंभव है, जैसा कि अधीक्षक और कानूनी मामलों के स्मरणकर्ता, पश्चिम बंगाल बनाम

				<p>अनिल कुमार भुंजा और अन्य में देखा गया था। सभी विधियों के संदर्भ में सभी स्थितियों पर लागू। 'सचेत' शब्द का अर्थ है किसी विशेष तथ्य के बारे में जागरूकता। यह मन की एक स्थिति है जो जानबूझकर या इरादा है।</p> <p>एक बार कब्जा स्थापित हो जाने के बाद जो व्यक्ति दावा करता है कि यह एक सचेत कब्जा नहीं था, उसे इसे स्थापित करना होगा, क्योंकि वह कैसे कब्जा में आया, यह उसके विशेष ज्ञान के भीतर है। अधिनियम की धारा 35 कानून में उपलब्ध अनुमान के कारण इस स्थिति की वैधानिक मान्यता प्रदान करती है। धारा 54 के संदर्भ में भी यही स्थिति है जहाँ अवैध वस्तुओं के कब्जे से निकाले जाने का अनुमान भी उपलब्ध है।</p>
--	--	--	--	--

	2003	Madan Lal and Ors. Vs. State of Himachal Pradesh	AIR2003 SC 3642	<i>Honorable Supreme Court held that the expression 'possession' is a polymorphous term which assumes different colours in different contexts. It may carry different meanings in contextually different backgrounds. It is impossible, as was observed in Superintendent & Remembrancer of Legal Affairs, West Bengal v. Anil Kumar Bhunja and Ors. MANU/SC/0266/1979 : 1979 CriLJ1390, to work out a completely logical and precise definition of "possession" uniformly applicable to all situations in the context of all statutes. The word 'conscious' means awareness about a particular fact. It is a state of mind which is deliberate orientended. Once possession is established the person who claims that it was not a conscious possession has to establish it, because how he came to be in possession is within his special knowledge. Section 35 of the Act gives a statutory recognition of this position because of presumption available in law. Similar is the position in terms of Section 54 where also presumption is available to be drawn from possession of illicit articles</i>
28	2003	एम. प्रभुलाल बनाम राजस्व आसूचना निदेशालय	एआईआर 2003 एससी 4311	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बयान दर्ज करने में देरी से इसे अनैच्छिक प्रस्तुत नहीं करना - राजस्व खुफिया के अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयान - साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से प्रभावित नहीं हैं क्योंकि वे पुलिस अधिकारी नहीं हैं - मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई शिकायत नहीं है कि यातना द्वारा दर्ज बयान या उत्पीड़न - इसलिए, स्वैच्छिक बयानों को दोषसिद्धि के आधार पर बनाया जा सकता है - मामले के तथ्यों पर, स्वतंत्र गवाहों की गैर-परीक्षा के

				अभाव में वसूली को दोष नहीं दिया जा सकता है
	2003	M. Prabhulal versus Directorate of Revenue Intelligence	AIR 2003 SC 4311	Honorable Supreme Court held that delay in recording statement not to render it involuntary-Statements recorded by officers of Revenue Intelligence--Not hit by Section 25 of Evidence Act as they are not police officers--No complaint before Magistrate that statements recorded by torture or harassment--Hence, statements voluntary and can be made basis of conviction--On facts of case, recovery cannot be faulted for want of non-examination of independent witnesses
29	2003	भारत संघ बनाम गुरचरण सिंह	2003 11 एससीसी 764	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 37 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम के प्रावधान, उच्च न्यायालय के अभियुक्त-प्रतिवादी-अधिनियम को जमानत देने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया, अनुचित था-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया
	2003	Union of India Vs. Gurcharan Singh	2003 11 SCC 764	Honorable Supreme Court held that the provisions of section 37 NDPS Act , not borne in mind by the High Court before granting the bail to accused - respondent-Act of High Court, held , was improper-Order passed by the High Court set aside-
30	2004	सरिजा बानो बनाम राज्य	(2004)12एस सीसी266	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन अनिवार्य है और यह प्रासंगिक तथ्य है जिसे जमानत आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय का ध्यान

				आकर्षित करना चाहिए था।
	2004	Sarija Banu Vs. State,	(2004)12SC C266	Honorable Supreme Court held that compliance of Section 42 of NDPS Act is mandatory and that is relevant fact which should have engaged attention of Court while considering bail application.
31	2004	भारत संघ बनाम। महबूब आलम	(2004) 4 एससीसी 105	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस आधार पर कि सह-अभियुक्त को जमानत दी गई है क्योंकि वह पहली बार अपराधी था - जमानत का अनुदान नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 37 के तहत सख्ती से होना चाहिए - अधिनियम के धारा 32-ए की भाषा के बावजूद। न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर प्रतिवादी हिरासत में ऐसा करना जारी रखेगा।
	2004	Union of India Vs. Mahaboob Alam	(2004)4 SCC 105	Honorable Supreme Court held that On ground that co-accused has been granted bail as he was first time offender--Grant of bail should be strictly under Section 37 of as Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 --Inspite of language of S. 32-A of the Act-Respondent in custody by virtue of non-bailable warrants issued by this Court shall continue to do so.
32	2004	सीमा शुल्क, नई दिल्ली बनाम अहमदलीया नोदिरा	(2004) 3 एससीसी 549	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जमानत देने की कुछ सीमाएँ हैं- (i) लोक अभियोजक के लिए जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर और (2) अदालत की संतुष्टि कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि आरोपी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है - शर्तें संचयी हैं और वैकल्पिक नहीं हैं - 'उचित आधार' का अर्थ प्रथम

				दृष्ट्या आधार से कुछ अधिक है- जव्त की गई वस्तुएँ क्रम संख्या 43 के संदर्भ में विवरण के अनुरूप हैं। उक्त अधिनियम की अनुसूची - प्रयोगशाला रिपोर्ट का साक्ष्य मूल्य - जमानत देने का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।
	2004	Customs, New Delhi Vs. Ahmadaliev a Nodira	(2004) 3 SCC 549,	Honorable Supreme Court held that there are certain limitations to grant bail--(i) an opportunity for the public prosecutor to oppose the bail application and (2) satisfaction of court that there are reasonable grounds for believing that accused is not guilty of such offence and he is not likely to commit any offence while on bail-- Conditions are cumulative and not alternative--'Reasonable grounds' means something more than prima facie grounds--Seized articles conformed to the description with reference to Serial No. 43 of the schedule to the said Act--Evidentiary value of laboratory report--Impugned order of granting bail set aside.
33	2004	बशीर @ एन.पी. बशीर बनाम. केरल राज्य	(2004) 3 एससीसी 609	माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम 9) की धारा 41 की उप-धारा 1 के परंतुक की संवैधानिक वैधता के संबंध में कानून के प्रश्न का निर्णय लिया। यह आयोजित किया गया था "परिणाम में, हमारा विचार है कि 2001 के संशोधन अधिनियम 9 की धारा 41 (1) का प्रावधान संवैधानिक है और अनुच्छेद 14 से प्रभावित नहीं है। नतीजतन, उन सभी मामलों में, जिनमें परीक्षण किया गया था निष्कर्ष निकाला गया और अपीलें 2.10.2001 को लंबित थीं, जब 2001 का संशोधन अधिनियम 9 लागू हुआ, तो 2001 के संशोधन अधिनियम 9 द्वारा पेश किए गए संशोधन लागू

				नहीं होंगे और उन्हें स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम, 1985 के अनुसार निपटाया जाना होगा। , जैसा कि 2 अक्टूबर, 2001 से पहले था। चूंकि इनमें से प्रत्येक मामले में कानून के अन्य तर्क और तथ्य उठाए गए हैं, इसलिए उन्हें कानून के अनुसार निर्णय और निपटान के लिए उपयुक्त बेंच के समक्ष रखा जाना चाहिए।"
	2004	Basheer @ N.P. Basheer Vs. State of Kerala	(2004)3SCC 609	Honorable Supreme Court decided the question of law as to the Constitutional validity of the proviso to Sub-section 1 of Section 41 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 2001 (Act 9 of 2001). It was held "In the result, we are of the view that the proviso to Section 41 (1) of the Amending Act 9 of 2001 is Constitutional and is not hit by Article 14. Consequently, in all cases, in which the trials had concluded and appeals were pending on 2.10.2001, when Amending Act 9 of 2001 came into force, the amendments introduced by the Amending Act 9 of 2001 would not be applicable and they would have to be disposed off in accordance with the NDPS Act, 1985 , as it stood before 2nd October, 2001. Since there are other contentions of law and fact raised in each of these cases, they would have to be placed before the appropriate Benches for decision and disposal in accordance with the law."
34	2004	राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार	(2004) 5 एससीसी 223	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि क्या पु लिस अधिकारी ने स्वयं एफ.आई.आर. खुद मामले की जांच में न्यायोचित था ? आयोजित, "हाँ" - Cr.P.C में कुछ भी नहीं। उसे जांच करने से रोकने के लिए-उस संबंध में कोई सिद्धांत या बाध्यकारी प्राधिकरण नहीं-जांच को

		विरोधी, तिरुचिरापल्ली , तमिलनाडु बनाम जयपाली		केवल पूर्व ग्राहक के आधार पर चुनौती दी जा सकती है-उच्च न्यायालय विपरीत दृष्टिकोण लेने और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में स्पष्ट रूप से गलत है-उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया
	2004	State rep. by Inspector of Police, Vigilance and Anti Corruption, Tiruchirappalli, Tamil Nadu Vs. Jayapaul	(2004)5SCC 223	Honorable Supreme Court held decided whether police officer having himself recorded F.I.R. was justified in investigating case himself?--Held, "yes"--Nothing in Cr.P.C. to preclude him from taking up investigation--No principle or binding authority in that behalf--Investigation can only be assailed on ground of bias--High Court clearly erroneous in taking contrary view and quashing criminal proceedings--Order of High Court set aside
35	2004	पंजाब राज्य बनाम। माखन चांद	(2004) 3 एससीसी 453	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:- (1) बिना किसी पूर्व सूचना के संदिग्ध के साथ मुठभेड़ की संभावना - बॉक्स की तलाशी और व्यक्ति की नहीं - धारा 50 ऐसी स्थिति में आकर्षित नहीं होती है। (2) नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 - धारा 52ए क्या केंद्र सरकार को अभियुक्तों की तलाशी के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार देता है?-- आयोजित, "नहीं"--यह केवल जब्त प्रतिबंधित वस्तुओं के निपटान से संबंधित है।

	2004	State of Punjab Vs. Makhan Chand	(2004)3SCC 453	Honorable Supreme Court held:- (1)Chance encounter with suspect without any prior information—Search of box and not of person—Section 50 not attracted in such situation.(2)Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 -- Section 52A whether empowers Central Government to lay down procedure for search of accused?--Held, "no"—It only deals with disposal of seized contraband articles.
36	2205	राजस्थान राज्य बनाम राम चंद्र	(2005) 5 एससीसी 151	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कानून द्वारा निर्धारित अधिकारियों की उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी - सभी विकल्पों को आरोपी को ज्ञात कर दिया गया था और उसने स्वयं पुलिस उपाधीक्षक की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प चुना था - जैसा कि धारा के तहत। स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम। 1985 अधिनियम के 50 निष्पक्ष खेल और खोज की प्रक्रिया में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है - पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के प्रश्न को अभियुक्त द्वारा स्थापित किया जाना है और अनुमान नहीं लगाया गया है - यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया था कि जांच ने पू. वॉग्रह पैदा किया था या अभियुक्त-उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के विरुद्ध पक्षपाती था।

	2005	State of Rajasthan Vs. Ram Chandra,	(2005) 5 SCC 151	Honourable Supreme Court held that Search to be conducted in presence of officers stipulated by law--All the options were made known to the accused and he himself opted to be searched in the presence of the Deputy Superintendent of Police-as under Sec. 50 of NDPS Act fair play and transparency in the process of search has been given the primacy--The question of prejudice or bias has to be established by the accused and not inferred--Nothing was pointed out to show that the investigation had caused prejudice or was biased against the accused-High Court's conclusions untenable.
37	2005	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम. कर्म फुटसोक और अन्य।	(2005) 12 एससीसी 480	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम। 1985 की धारा 37 में निहित शर्त के बारे में कानाफूसी भी नहीं है। आरोपी को जमानत पर बड़ा करने के संबंध में कार्यवाई। इस तर्कमें कोई दम नहीं है कि विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध नहीं किया जैसा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम। 1985 की धारा 37(1)(बी)(ii) में निहित है। कार्य। इस तर्कमें कोई दम नहीं है कि जब तक लोक अभियोजक जमानत अर्जी का विरोध नहीं करता, तब तक धारा 37 लागू नहीं होगी। यह तर्क दिया गया था कि चूंकि अपीलकर्ताओं ने रिकॉर्ड में यह दर्ज नहीं किया है कि लोक अभियोजक ने जमानत देने का विरोध किया था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि यह धारा 37(3) के तहत धारा 439, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आने वाला आदेश है। कम से कम कहें, तो तर्क निराधार प्रतीत होता है। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि स्वापक ओषधि

				और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम जब लोक अभियोजक जमानत आवेदन के नोटिस पर पेश होता है तो वह एक मूक दर्शक के रूप में खड़ा होगा, जमानत अर्जी का विरोध नहीं करेगा जब तक कि वह आरोपी के पीछे न हो। हम इस तर्कमें कोई सार नहीं पाते हैं।
	2005	Narcotics Control Bureau Vs. Karma Phuntsok and Ors.	(2005)12SC C480	Honourable Supreme Court held that that there is not even a whisper about the condition contained in Section 37 of the N.D.P.S. Act with regard to enlarging of the accused on bail. There is no merit in contention that the learned Public Prosecutor did not oppose the bail as contained in Section 37(1)(b)(ii) of the N.D.P.S. Act. There is no substance in argument that , unless the Public Prosecutor opposes the bail application, Section 37 will not apply. It was contended that inasmuch as the Appellants have not put on record that the Public Prosecutor had opposed the granting of bail, it must be presumed that this is an order covered under Section 37(3) read with Section 439, Code of Criminal Procedure To say the least, the argument appears to be baseless. We cannot accept the contention that in a matter involving seizure of commercial quantity of a substance prohibited by the N.D.P.S. Act when the Public Prosecutor appears on notice of the bail application he would be standing there as a mute spectator not opposing the bail application unless he was at the back of the accused. We find no substance in this argument.
38	2005	पंजाब राज्य बनाम बलवंत	एआईआर (2005) एससी 1576	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना बै गों की तलाशी प्रतिवादी के व्यक्ति की तलाशी के

		राय		बराबर नहीं है - उच्च न्यायालय ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 50 के प्रावधानों को मानने में गलती की। अधिनियम लागू होगा - इस मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर साक्ष्य से, यह आरोपित साक्ष्य का मामला प्रतीत नहीं होता है - जघ्न पोस्त की भू सी की मात्रा इतनी बड़ी है कि आरोपण का सवाल ही नहीं उठता - प्रतिवादी का उसे झूठा फंसाए जाने के बचाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता - उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया गया - अपील की अनुमति दी गई।
	2005	State of Punjab Vs. Balwant Rai	AIR (2005) SC 1576	Honourable Supreme Court held The search of the bags does not amount to search of the person of the respondent—The High Court erred in holding that provisions of Section 50 of N.D.P.S. Act would apply—From the facts of this case and the evidence on record, it does not appear to be a case of implanted evidence—The quantity of seized poppy husk is so large that the question of implanting does not arise—Respondent's defence of his being falsely implicated cannot be accepted—High Court's impugned order set aside and Trial Court's order restored—Appeal allowed.
39	2006	मो. इरशाद @ शिव राज बनाम राज्य	दिल्ली उच्च न्यायालय 134 (2006) डीएलटी 507	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक और पहलू रखा, जिसे ध्यान में रखना है, वह है किशोर न्याय अधिनियम की धारा 18 पर विचार करना, जो दर्शाता है कि कोई भी किशोर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, बल, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आरोपित किया

			<p>जाएगा या किसी अपराध के लिए प्रयास किया जाएगा जो किशोर नहीं है। धारा 18(2) किशोर न्याय बोर्ड का यह अनिवार्य कर्तव्य बनाती है कि वह किशोर और अन्य व्यक्ति के लिए अलग-अलग सुनवाई का निर्देश दे। इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि एक किशोर पर केवल किशोर न्याय अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और वह किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष है। किशोर न्याय अधिनियम में निहित ये प्रावधान एक लाभकारी कानून का हिस्सा हैं और स्पष्ट और अनिवार्य हैं। इसके अलावा, मैंने दो अधिनियमों में गैर-बाधित खंडों के व्यापक होने के संबंध में जो विचार किया है, उसमें दो विशेष अधिनियमों के बीच कोई विरोध नहीं है। प्रावधानों के शब्दों के साथ-साथ अधिनियमों की प्रकृति को देखते हुए, किशोर न्याय अधिनियम प्रचल होगा।</p>
2006	Mohd. Irshad @ Shiv Raj vs State	Delhi High Court 134 (2006) DLT 507	<p>Honourable Delhi High Court held another aspect which has to be borne in mind is the consideration of Section 18 of the Juvenile Justice Act which shows that no juvenile, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure or in any other law for the time being in force, shall be charged with or tried for any offence together with a person who is not a juvenile. Section 18(2) makes it the mandatory duty of the Juvenile Justice Board to direct separate trials for the juvenile and the other person. This makes it more than clear that a juvenile can be tried only in terms of the Juvenile Justice Act and that is before the Juvenile Justice Board. These provisions contained in the Juvenile Justice Act, form part of a beneficial</p>

				legislation and are clear and mandatory. Moreover, in the view I have taken with regard to the sweep of the non obstante clauses in the two enactments, there is no conflict between the two special Acts. In view of the wordings of the provisions themselves as also the nature of the enactments, the Juvenile Justice Act would prevail.
40	2006	रामजी राय व अन्य बनाम बिहार राज्य	(2006) 13 एससीसी 229	<p>माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि :-</p> <p>(1) यह सच है कि आम तौर पर अभियोजन पक्ष को उन सभी गवाहों की जांच करनी चाहिए जिनके नाम आरोप पत्र में प्रकट किए गए हैं; लेकिन, तब इसे सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाला नियम नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मामले पर अपने स्वयं के तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए।</p> <p>(2) अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अभियोजन के मामले को साबित करने के लिए साक्ष्य की मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता आवश्यक है। न्यायालय समाज में मूल्य प्रणाली में परिवर्तन की अनदेखी नहीं कर सकता। जब किसी गांव में भू मि विवाद के कारण अपराध किया जाता है, तो स्वतंत्र गवाह सामने नहीं आ सकते हैं।</p> <p>(3) चिकित्सा विज्ञान ने इतनी पूर्ण ता हासिल नहीं की है कि एक चिकित्सक को मृत्यु के सही समय के संबंध में स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम बनाया जा सके। इस प्रकृति के मामले में, मृत्यु का सही समय बताना मुश्किल था। ऑटोप्सी सर्जन ने पोस्टमार्टम परीक्षा की तिथि और मृत्यु की संभावित तिथि के बीच अनुमानित समय</p>

				अंतराल के बारे में बताया। उन्होंने अपनी राय पर पहुंचने का आधार नहीं बताया।
	2006	Ramjee Rai and Ors. State of Bihar	(2006)13SC C229	<p>Honourable Supreme Court held that:-</p> <p>(1) It is true that ordinarily the prosecution should examine all witnesses whose names have been disclosed in the charge-sheet ; but, then the same cannot be said to be a rule having universal application. Each case has to be considered on its own facts.</p> <p>(2)It is now well-settled that what is necessary for proving the prosecution case is not the quantity but quality of the evidence. The Court cannot overlook the changes in the value system in the society. When an offence is committed in a village owing to land dispute, the independent witnesses may not come forward.</p> <p>(3)Medical science has not achieved such perfection so as to enable a medical practitioner to categorically state in regard to the exact time of death. In a case of this nature, it was difficult to pinpoint the exact time of death. The autopsy surgeon told about the approximate time lag between the date of post-mortem examination and the likely date of death. He did not explain the basis for arriving at his opinion.</p>
41	2007	उत्तरांचल राज्य बनाम. राजेश कुमार गुप्ता	2007 (1) एसीआर 1093 (एससी)	<p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा :-</p> <p>स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम। 1985 की प्रविष्टि 69 और 36 में उल्लिखित दो दवाएं। अधिनियम - ले किन उनमें से कोई भी अनुसूची I से N.D.P.S में जगह नहीं पाता है। नियम-इसलिए स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम। 1985 की धारा 8 के प्रावधान। अधिनियम</p>

				<p>लागू नहीं है, हालांकि प्रतिवादी ने उक्त अधिनियम की धारा 8/22 के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाया - औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली 5 दवाएं - एन.डी.पी.एस का अध्याय VIIA। नियम चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों के उपयोग की अनुमति देते हैं - नियमों के साथ पठित धारा 8 में निहित अपवाद को देखते हुए - स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 की धारा 37। अधिनियम का प्रथम दृष्टया कोई आवेदन नहीं होगा - जब प्रथम दृष्टया स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम लागू नहीं पाया गया - प्रतिवादी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की मांग नहीं की गई।</p>
	2007	State of Uttaranchal Vs. Rajesh Kumar Gupta	2007(1)ACR 1093(SC)	<p>Honourable Supreme Court held :- Two medicines mentioned in Entries 69 and 36 of N.D.P.S. Act--But none of them finds place in Schedule I to N.D.P.S. Rules--Hence, provisions of Section 8 of N.D.P.S. Act not applicable though respondent charged for offences under Sections 8/22 of said Act--Said 5 drugs used for medicinal purposes--Chapter VIIA of N.D.P.S. Rules permits use of narcotic drugs and psychotropic substances for medical and scientific purposes--In view of exception contained in Section 8 read with Rules--Section 37 of N.D.P.S. Act would prima facie have no application--When prima facie provisions of N.D.P.S. Act not found applicable--No interference with order of High Court granting bail to respondent called for.</p>
42	2007	भारत संघ	(2007) 7 एससीसी 798	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि

		बनाम श्री शिव शंकर केसरी	अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में जमानत के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को दोषी नहीं होने का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए नहीं कहा जाता है। यह सीमित उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से आरोपी को जमानत पर रिहा करने के सवाल तक ही सीमित है कि अदालत को यह देखने के लिए कहा जाता है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है और ऐसे आधारों के अस्तित्व के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करता है। लेकिन अदालत को इस मामले पर इस तरह विचार नहीं करना चाहिए जैसे कि वह दोषमुक्त होने का फैसला सुना रहा हो और दोषी न होने का निष्कर्ष दर्ज कर रहा हो। किसी भी व्यक्ति को तब तक जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि दोनों शर्तें पूरी न हो जाएं। ये; अदालत की संतुष्टि कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। दोनों शर्तों को पूरा करना होगा। यदि इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो बार संचालित होता है और आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।
--	--	--------------------------	---

	2007	Union of India Vs. Shri Shiv Shanker Kesari	(2007)7SCC 798	Honourable Supreme Court held that Court while considering the application for bail with reference to Section 37 of the Act is not called upon to record a finding of not guilty. It is for the limited purpose essentially confined to the question of releasing the accused on bail that the Court is called upon to see if there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty and records its satisfaction about the existence of such grounds. But the Court has not to consider the matter as if it is pronouncing a judgment of acquittal and recording a finding of not guilty. No person shall be granted bail unless the two conditions are satisfied. They are; the satisfaction of the Court that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty and that he is not likely to commit any offence while on bail. Both the conditions have to be satisfied. If either of these two conditions is not satisfied, the bar operates and the accused cannot be released on bail
43	2007	सईद अबुल अला बनाम भारत संघ और अन्य।	(2007) 15 एससीसी 208	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अधिनियम में अवैध यातायात की रोकथाम के तहत हिरासत में रखा - इस संतुष्टि पर पहुंचने के लिए कि जमानत पर रिहा होने की संभावना है, केवल जमानत के लिए आवेदन दाखिल करना पर्याप्त नहीं है - अपीलकर्ता और वापसी का पूर्ववृत्त स्वीकारोक्ति से निरोध का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं - आदेश अपास्त। अनुपात निर्णय: "निरोध - निरोध आदेश पारित करने से पहले हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को व्यक्तिपरक संतुष्टि तक पहुंचना चाहिए कि रिहा होने पर बंदी इसी तरह की गतिविधि में शामिल होंगे।"

	2007	Sayed Abul Ala Vs. Union of India and Ors.	(2007)15 SCC 208	Honourable Supreme Court held detention under the Prevention of illicit traffic in NDPS Act--For arriving at the satisfaction that there is likelihood of the detenu being released on bail, mere filing of application for grant of bail not enough--Antecedent of appellant and retraction from confession not sufficient to pass an order of detention--Order set aside. Ratio Decidendi: "Detention - Before passing detention Order detaining authority must reach the subjective satisfaction that detenu if released will indulge in similar activity. "
44	2008	नूर आगा बनाम पंजाब राज्य	(2008) 16 एससीसी 417	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 35 और 54 को निःसंदेह अभियुक्त की अपराधिक मानसिक स्थिति के संबंध में अनुमान लगाया और इस संबंध में सबूत का भार भी अभियुक्त पर रखा; लेकिन उक्त प्रावधान के एक तंगे अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि अनुमान अभियुक्त के मु कदमे में तभी काम करेगा जब उसमें निहित परिस्थितियाँ पूरी तरह से संतुष्ट हों। अभियोजन पर एक प्रारंभिक बोझ मौजूद है और केवल जब वह सं तुष्ट हो जाता है , तो कानूनी बोझ बदल जाएगा। फिर भी, अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आवश्यक सबूत का स्तर अभियोजन के जितना ऊँचा नहीं है। जबकि अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक "सभी उचित संदेह से परे" है, लेकिन यह अभियुक्त पर "संभावना की प्रधानता" है। यदि अभियोजन अधिनियम की धारा 35 की कठोरता को आकर्षित करने के लिए मूलभूत तथ्यों को साबित करने में विफल रहता

				है, तो एक्टस रीस, जो आरोपी द्वारा प्रतिबंधित है, को स्थापित नहीं कहा जा सकता है।
	2008	Noor Aga v. State of Punjab	(2008) 16 SCC 417	Honourable Supreme Court held sections 35 and 54 of the Act, no doubt, raise presumptions with regard to the culpable mental state on the part of the accused as also place the burden of proof in this behalf on the accused; but a bare perusal of the said provision would clearly show that presumption would operate in the trial of the accused only in the event the circumstances contained therein are fully satisfied. An initial burden exists upon the prosecution and only when it stands satisfied, would the legal burden shift. Even then, the standard of proof required for the accused to prove his innocence is not as high as that of the prosecution. Whereas the standard of proof required to prove the guilt of the accused on the prosecution is "beyond all reasonable doubt" but it is "preponderance of probability" on the accused. If the prosecution fails to prove the foundational facts so as to attract the rigours of Section 35 of the Act, the actus reus which is possession of contraband by the accused cannot be said to have been established.
45	2008	ई. माइकल राज मामला	(2008) 5 एससीसी 161	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिबंधित पदार्थ की वास्तविक प्रतिशत मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है। निर्णय के पैरा 13 को संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता है, "2001 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा वाक्य संरचना को युक्तिसंगत बनाना था ताकि यह सुनिश्चित

			<p>किया जा सके कि नशीली दवाओं के तस्करों, जो बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं का व्यापार करते हैं, उन्हें निवारक सजा के साथ दंडित किया जाता है, व्यसनी और कम गंभीर अपराध करने वालों को कम कठोर सजा दी जाती है। तर्क्संगत वाक्य संरचना के तहत, अपमानजनक सामग्री की मात्रा के आधार पर सजा अलग-अलग होगी। इस प्रकार, हमें प्रतिवादी की ओर से दिए गए तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि शुद्धता की दर अप्रासंगिक है क्योंकि कोई भी तैयारी जो 250 ग्राम की व्यावसायिक मात्रा से अधिक है। और इसमें 0.2% हेरोइन या अधिक है तो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम। 1985 अधिनियम की धारा 21 (सी) के तहत दंडनीय होगा, क्योंकि विधायिका का इरादा जैसा कि हमें प्रतीत होता है, मिश्रण में अपमानजनक दवा की सामग्री के आधार पर सजा देना है और नहीं इस तरह मिश्रण के वजन पर। इसका परीक्षण निम्नलिखित तर्क पर किया जा सकता है। मान लीजिए 4 ग्राम। एक आरोपी के पास से हेरोइन की बरामदगी थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन जब वही 4 ग्राम होती है। 50 किया के साथ मिलाया जाता है। संचालित चीनी की मात्रा को वाणिज्यिक मात्रा के रूप में निर्धारित किया जाएगा। एक या एक से अधिक तटस्थ पदार्थों के साथ एक मादक दवा या एक मनोदैहिक पदार्थ के मिश्रण में, एक मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ की छोटी मात्रा या व्यावसायिक मात्रा का निर्धारण करते समय तटस्थ पदार्थ की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। यह केवल स्वापक औषधि के भार के आधार पर वास्तविक सामग्री है जो यह</p>
--	--	--	---

			<p>निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है कि क्या यह छोटी मात्रा या व्यावसायिक मात्रा का गठन करेगी। विधायिका की मंशा संशोधन को पेश करने का है जैसा कि हमें लगता है कि कम गंभीर अपराध करने वालों को कम गंभीर सजा के साथ दंडित करना है और जो गंभीर अपराध करते हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण मात्रा में तस्करी, अधिक गंभीर सजा के साथ।</p> <p>तथापि, दिनांक 18.11.2009 की अधिसूचना के द्वारा डीओआर ने इस मुद्दे को स्पष्ट किया।</p>
2008	E. Michael Rajcase	(2008) 5 SCC 161	<p>Honourable Supreme Court held that actual percentage Of contraband is relevant to determine quantity of contraband. The Para 13 of the judgment is reproduced for reference,</p> <p>"It appears from the Statement of Objects and Reasons of the Amending Act of 2001 that the intention of the legislature was to rationalize the sentence structure so as to ensure that while drug traffickers who traffic in significant quantities of drugs are punished with deterrent sentence, the addicts and those who commit less serious offences are sentenced to less severe punishment. Under the rationalised sentence structure, the punishment would vary depending upon the quantity of offending material. Thus, we find it difficult to accept the argument advanced on behalf of the respondent that the rate of purity is irrelevant since any preparation which is more than the commercial quantity of 250 gms. and contains 0.2% of heroin or more would be punishable under Section 21(c) of the NDPS Act, because the intention of the legislature as it appears to us is to levy punishment based on the content of the offending drug in the mixture</p>

				<p>and not on the weight of the mixture as such. This may be tested on the following rationale. Supposing 4 gms. of heroin is recovered from an accused, it would amount to a small quantity, but when the same 4 gms. is mixed with 50 kgs. of the powdered sugar, it would be quantified as a commercial quantity. In the mixture of a narcotic drug or a psychotropic substance with one or more neutral substance/s, the quantity of the neutral substance/s is not to be taken into consideration while determining the small quantity or commercial quantity of a narcotic drug or psychotropic substance. It is only the actual content by weight of the narcotic drug which is relevant for the purposes of determining whether it would constitute small quantity or commercial quantity. The intention of the legislature for introduction of the amendment as it appear to us is to punish the people who commit less serious offences with less severe punishment and those who commit grave crimes, such as trafficking in significant quantities, with more severe punishment.”</p> <p>However, vide notification dated 18.11.2009 the DOR clarified the issue.</p>
46	2008	कन्हैयालाल बनाम भारत संघ	(2008) 4 एससीसी 668.	<p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 53 के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निहित एक अधिकारी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में 'पुलिस अधिकारी' नहीं माना - यह स्पष्ट है कि एक बयान दिया गया है स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 की धारा 67 के तहत अधिनियम संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए बयान के समान नहीं है जब तक कि धमकी या जबरदस्ती के तहत नहीं</p>

				बनाया गया हो - इस प्रकार, एन.डी.पी.एस की धारा 67 के तहत दिया गया बयान। अधिनियम को बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध स्वीकारोक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 27 के संचालन से बाहर रखा गया है -
	2008	Kanhaiyalal versus Union of India	(2008) 4 SCC 668.	Honourable Supreme Court held an officer vested with the powers of an Officer-in-charge of a Police Station under Section 53 of Act is not a 'Police Officer' within the meaning of Section 25 of Evidence Act - It is clear that a statement made under Section 67 of the N.D.P.S. Act is not the same as a statement made under Section 161 of the Code unless made under threat or coercion - Thus, statement made under Section 67 of the N.D.P.S. Act can be used as a confession against the person making it and excludes it from the operation of Sections 24 to 27 of the Evidence Act -
47	2009	भारत संघ बनाम। बाल मुकुंद व अन्य।	(2009) 12 एससीसी 161	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "एक दोषसिद्धि, केवल अधिनियम की धारा 67 के तहत दिए गए एक बयान के आधार पर बिना किसी स्वतंत्र पुष्टि के आधारित नहीं होनी चाहिए, खासकर अगर ऐसे बयानों को वापस ले लिया गया हो।"
	2009	Union of India (UOI) Vs. Bal Mukund and Ors.	(2009)12SC C161	Honourable Supreme Court held, "A conviction, should not be based merely on the basis of a statement made under Section 67 of the Act without any independent corroboration particularly if such statements have been retracted."
48	2009	करनैल सिंह बनाम.	(2009) 8 एससीसी 539	वर्तमान मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या स्वापक ओपधि

	हरियाणा राज्य	<p>और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम की धारा 42 बिना वारंट के तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की अनुमति देती है - यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त जानकारी को लिखने और एक प्रति भेजने के लिए स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन करने के लिए आयोजित किया गया था। उसके वरिष्ठ अधिकारी को अधिकारी द्वारा प्रवेश, तलाशी और जब्ती से पहले होना चाहिए - विशेष परिस्थितियों में, उक्त आवश्यकता को एक उचित अवधि के लिए स्थगित किया जा सकता है - प्रश्न तात्कालिकता और समीचीनता में से एक है - स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम की धारा 42 की आवश्यकताओं का पूर्ण गैर-अनुपालन अनुमेय है। - देरी के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ देरी से अनुपालन स्वीकार्य अनुपालन होगा - स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम! 1985 अधिनियम की धारा 42 के साथ पर्याप्त या पर्याप्त अनुपालन है या नहीं, यह एक तथ्य का सवाल है - प्रत्येक मामले में यह तय करने की आवश्यकता है -</p>
--	---------------	--

	2009	Karnail Singh Vs. State of Haryana	(2009)8SC C539	In the present case the question before Honourable Supreme Court was whether Section 42 of NDPS Act allows search, seizure and arrest without warrant – it was held by Honourable Supreme Court, compliance with Section 42 of NDPS Act for writing down information received and sending a copy thereof to superior officer must precede entry, search and seizure by officer - In special circumstances, said requirement may get postponed by a reasonable period - Question is one of urgency and expediency - Total non-compliance of requirements of Section 42 of NDPS Act is impermissible - Delayed compliance with satisfactory explanation about delay will be acceptable compliance - Whether there is adequate or substantial compliance with Section 42 of NDPS Act is a question of fact - It needs to be decided in each case -
49	2009	सामी उल्लाह बनाम अधीक्षक, नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो	एआईआर 2009 एससी 1357	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा :- जमानत को रद्द करने में पहले से किए गए निर्णय की समीक्षा शामिल है और इसकी अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब निगरानी परिस्थितियों के कारण, अभियुक्त को मुकदमे के दौरान अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देने के लिए निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं होगा। "
	2009	Sami Ullaha Vs. Superintendent, Narcotic Central Bureau	AIR 2009 SC 1357	Honourable Supreme Court held :- Cancellation of bail necessarily involves the review of a decision already made and can by and large be permitted only if, by reason of supervening circumstances, it would be no longer conducive to a fair trial to allow the accused to retain his freedom during the trial."

50	2009	रतन कुमार विश्वास बनाम. यू.पी. राज्य और अन्य	एआईआर 2009 एससी 581	<p>सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि अधिनियम के तहत दी गई सजा को केवल अपील्य न्यायालय द्वारा निलंबित किया जा सकता है और सख्ती से अधिनियम की धारा 37 में वर्णित शर्तों के अधीन किया जा सकता है। बाजार में खतरनाक दवाओं की बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए, संसद ने प्रावधान किया है कि अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि धारा 37 के तहत अनिवार्य शर्तें प्रदान नहीं की जाती हैं कि आरोपी को पकड़ने के लिए उचित आधार हैं। ऐसे पद का दोषी नहीं है और जमानत पर संतुष्ट होने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। जहां तक पहली शर्त का सवाल है, जाहिर तौर पर आरोपी को दोषी पाया गया है और उसे दोषी ठहराया गया है। अधिनियम की धारा 37.</p>
	2009	Ratan Kumar Vishwas Vs. State of U.P. and Anr.	AIR 2009 SC 581	<p>Supreme Court while dismissing the appeal held that a sentence awarded under the Act can be suspended by the Appellate Court only and strictly subject to the conditions as spelt out in Section 37 of the Act. To deal with the menace of dangerous drugs flooding the market, Parliament has provided that a person accused of offence under the Act should not be released on bail during trial unless the mandatory conditions provided under Section 37 that there are reasonable grounds for holding that the accused is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail are satisfied. So far as the first condition is concerned, apparently the accused has been found guilty and has been convicted. Section 37 of the Act.</p>

51	2009	संजय कुमार केडिया बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो	(2009) 17 एससीसी 631	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "जब तक उचित आधार स्थापित नहीं हो जाता, अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं करेगी।"
	2009	Sanjay KumarKedia v. Narcotics Control	(2009) 17 SCC 631	Honourable Supreme Court held "Court shall not release accused on bail, unless reasonable ground is established."
52	2009	सरजू बनाम राज्य	एआईआर 2009 एससी 3214	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं - किसी भी स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी - संदिग्ध हो जाती है - अपीलकर्ता ने किसी भी समय यह सूचित नहीं किया कि उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लेने का वैधानिक अधिकार है - अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद ही मिले सहमति पत्र-एसएचओ का बयान अदालत के सामने यह दिखा रहा है कि इसमें हेरफेर किया गया है - यहां तक कि एसएचओ भी। तलाशी करने का कोई अधिकार नहीं था - ऐसा कुछ भी नहीं जो यह दर्शाता हो कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 42. अधिनियम का काफी अनुपालन किया गया।

	2009	Sarju v. State	AIR2009SC 3214	Honourable Supreme Court held that there are Serious allegations made against police officials--Recovery of contraband not in presence of any independent witness--Becomes suspect--Appellant at no point of time informed that he had statutory right to be searched by Gazetted Officer--Consent letters obtained only after accused were arrested--Statement of S.H.O. before Court showing it to be manipulated--Even S.H.O. had no authority to make search--Nothing to show that Section 42 of N.D.P.S. Act substantially complied with--
53	2009	करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (29.07.2009 - एससी)	(2009)8एस सीसी539	माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्राप्त सूचना को लिखने और उसकी एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेजने के लिए स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन अधिकारी द्वारा प्रवेश, तलाशी और जब्ती से पहले होना चाहिए - विशेष परिस्थितियों में, उक्त आवश्यकता को एक उचित अवधि के लिए स्थगित किया जा सकता है - प्रश्न तात्कालिकता और समीचीनता में से एक है - स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम की धारा 42 की आवश्यकताओं का पूर्ण गैर-अनुपालन अनुमेय है - देरी के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ विलंबित अनुपालन स्वीकार्य अनुपालन होगा -

	2009	Karnail Singh vs. State of Haryana (29.07.2009 - SC)	(2009)8SC C539	Honourable Supreme Court held that , compliance with Section 42 of NDPS Act for writing down information received and sending a copy thereof to superior officer must precede entry, search and seizure by officer - In special circumstances, said requirement may get postponed by a reasonable period - Question is one of urgency and expediency - Total non-compliance of requirements of Section 42 of NDPS Act is impermissible - Delayed compliance with satisfactory explanation about delay will be acceptable compliance -
54	2009	दलेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य	आरसीआर 119 एससी 2010 (07.10.2009 - एससी); मनु/एससी/17 2 8/2009	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वायरलेस आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा धारा 41 का अनुपालन वायरलेस के माध्यम से प्रसारित किया गया है और हमारी राय में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अधिनियम की धारा 42 का पर्याप्त अनुपालन होगा क्योंकि स्थिति आपात स्थिति की थी।
	2009	Dalel Singh V/s State of Haryana	(2010)1SCC 149	Honourable Supreme Court held that Compliance of section 41 by electronic media like wireless Etc. information having been transmitted through wireless and in our opinion would be a substantial compliance of Section 42 of the NDPS Act since the situation was of emergency.
55	2009	पंजाब राज्य बनाम हरि सिंह में	(2009) 4 एससीसी 200	माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम की धारा 15 के तहत दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए उत्तरदाताओं के किसी भी सचेत कब्जे को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं होना चाहिए - यह साबित कर दिया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1963 की धारा 313 के

				तहत उत्तरदाताओं को उनकी परीक्षा में कच्चे के संबंध में कोई सवाल नहीं है। आपराधिक दोषसिद्धि के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना - कुछ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत प्रतिशोध का अभियोजन परिणाम - उच्च न्यायालय ने सही उत्तरदाताओं को बरी कर दिया
	2009	In State of Punjab v. Hari Singh	(2009) 4 SCC 200	Honourable Supreme Court held, no evidence to show any conscious possession of respondents being must for recording conviction under section 15 of NDPS Act - Proved that no question regarding possession put to respondents in their examination under section 313 of Cr.P.C. Follow up of procedure must for criminal conviction - Prosecution outcome of personal vendetta by some officials - High Court rightly acquitted the respondents
56	2009	बलवीर कौर बनाम राज्य	(2009) 15 एससीसी 795	जब 70 वर्ष की एक महिला पर अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा रहा था, तो अफीम की भू सी की थै लियों पर बै ठी और सं दिग्ध आचरण ने आपराधिक मानसिक स्थिति का गठन किया
	2009	Balbir Kaur v. State	(2009) 15 SCC 795	When a lady of 70 years was being prosecuted under the Act, sitting on the bags of poppy husk and suspicious conduct constituted Culpable Mental State.
57	2009	राजू प्रेमजी बनाम सीमा शुल्क	(2009) 16 एससीसी 496	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दोषी मानसिक स्थिति और अन्य अनुमानों के लिए (धारा 35/54/60 (3)/66) कच्चे को सावित करने के लिए अभियोजन पर प्रारंभिक बोझ है।

	2009	Raju Premji v. Customs	(2009) 16 SCC 496.	Honourable Supreme Court held that for culpable Mental State & Other presumptions (Section 35/54/60(3)/66) the initial burden is on the prosecution to prove the possession.
58	2010	धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य	(2010) 9 एससीसी 608.	माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दोषी मानसिक स्थिति और अन्य अनुमानों (धारा 35/54/60 (3) 66) के लिए प्रारंभिक बोझ अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने के लिए है कि कब्जा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार दोहराया गया है:
	2010	Dharampal Singh v. State of Punjab	(2010) 9 SCC 608.	Honourable Supreme Court held that for culpable Mental State & Other presumptions (Section 35/ 54/ 60 (3) 66) the initial burden is on the prosecution to prove the possession has been time and again reiterated by the Supreme Court:
59	2010	देहल सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	2010) 9 एससीसी 85.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना, अधिनियम की धारा 35 ने माना कि एक बार कब्जा स्थापित हो जाने के बाद, न्यायालय यह मान सकता है कि आरोपी की मानसिक स्थिति है, जिसका अर्थ है सचेत कब्जा - सचेत कब्जे का अनुमान अधिनियम की धारा 54 के तहत उपलब्ध था, बशर्ते कि आरोपी को माना जा सकता है अपराध किया है जब तक कि वह संतोषजनक रूप से प्रतिबंधित सामग्री के कब्जे के लिए जिम्मेदार नहीं है -:

	2010	Dehal Singh v. State of Himachal Pradesh	2010) 9 SCC 85.	Honourable Supreme Court held, Section 35 of Act recognized that once possession was established, Court could presume that accused had culpable mental state, meaning thereby conscious possession - Presumption of conscious possession was available under Section 54 of Act, which provided that accused might be presumed to have committed offence unless he account for satisfactorily possession of contraband -:
60	2011	विजयसिंह चंदूभा जडेजा	एआईआर 2011 एससी 77	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में संदिग्ध को सूचित करना अनिवार्य है और यदि वह ऐसे अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी करने में विफल रहता है तो वह वस्तु की बरामदगी को संदिग्ध बना देगा और यदि यह केवल वसूली के आधार पर दर्ज किया गया है तो दोषसिद्धि को नष्ट करें। सूचना को निर्धारित प्रपत्र या लिखित रूप में सं प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।
	2011	Vijaysinh Chandubha Jadeja	AIR 2011 SC 77	Honourable Supreme Court held that it is mandatory to inform the suspect of existence of his right to be searched before a Gazetted Officer or a Magistrate and in case he so opts failure to conduct search before such officer or Magistrate would render the recovery of article suspect and vitiate conviction if it is recorded on the base of recovery alone. Information need not be communicated in a prescribed form or in writing.
61	2011	निर्मल सिंह पहलवान बनाम.	(2011)12एस सीसी298	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम यह भी देखते हैं कि कन्हैया लाल के मामले में खंडपीठ ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के

		इंस्पेक्टर, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क हाउस पंजाब		तहत सिद्धांतों और अवधारणाओं की जांच नहीं की थी। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 सीमा शुल्क अधिकारी की शक्तियां हैं जो एक मादक पदार्थ के मामले में एक आरोपी की जांच और मुकदमा चला सकती हैं। उक्त मामला विशेष रूप से राजकुमार के मामले (सुप्रा) के फैसले पर निर्भर था। समय का नवीनतम निर्णय नूर आगा का मामला है जिसने इस मामले को बहुत विस्तृत रूप से निपटाया है। इस प्रकार हमें लगता है कि नूर आगा के मामले में निर्णय के अनुपात का पालन करना हमारे लिए उचित होगा, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान जो अनिवार्य हैं, उनका भी पालन नहीं किया गया है।
	2011	Nirmal Singh Pehlwan Vs. Inspector, Customs, Customs House Punjab	(2011)12SC C298	Honourable Supreme Court held we also see that the Division Bench in Kanahiya Lal's case had not examined the principles and the concepts underlying Section 25 of the Evidence Act vis.-a-vis. Section 108 of the Customs Act the powers of Custom Officer who could investigate and bring for trial an accused in a narcotic matter. The said case relied exclusively on the judgment in Raj Kumar's case (Supra). The latest judgment in point of time is Noor Aga's case which has dealt very elaborately with this matter. We thus feel it would be proper for us to follow the ratio of the judgment in Noor Aga's case particularly as the provisions of Section 50 of the Act which are mandatory have also not been complied with.
62	2011	भोला सिंह बनाम पंजाब राज्य	(2011) 11 एससीसी 653.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दोषी मानसिक स्थिति और अन्य अनुमानों के लिए (धारा 35/54/60(3)/66) प्रारंभिक बोझ

				अभियोजन पक्ष पर है कि यह साबित करने के लिए कि कब्जा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार दोहराया गया है:
	2011	Bhola Singh v. State of Punjab	(2011) 11 SCC 653.	Honourable Supreme Court held that for culpable Mental State & Other presumptions (Section 35/54/60(3)/66) the initial burden is on the prosecution to prove the possession has been time and again reiterated by the Supreme Court:
63	2011	राम सिंह बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स	(2011) 11 एससीसी 347	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नौकर के पास कब्जा, जिस पर कोई पूर्ण नियंत्रण नहीं है, यह दोषी मानसिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
	2011	Ram Singh versus Central Bureau of Narcotics	(2011) 11 SCC 347	Honourable Supreme Court held possession with servant on which there is no absolute control is not enough to determine the culpable mental state .
64	2011	अशोक बनाम म.प्र. राज्य	एससीसी 123.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इसका कोई सबूत उचित नहीं है जल्दी के बाद एफएसएल तक मादक पदार्थ को कहाँ रखा गया था. बरी करना जायज है।
	2011	Asok v. State of M.P.	(2011) 5 SCC 123.	Honourable Supreme Court held that no evidence as to where narcotic was kept since seizure till FSL led to acquittal is justified.
65	2011	जरनैल सिंह में v. राज्य,	AIR 2011 SC 964	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नमूने भेजने में देरी स्वयं घातक नहीं थी।

	2011	In Jarnail Singh v. State,	AIR2011SC964,	Honourable Supreme Court held that the delay in sending samples per se was not fatal.
66	2011	हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य	(2011)4 SCC 441	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अफीम में मोर्फिन का प्रतिशत प्रासंगिक नहीं माना
	2011	Harjit Singh versus State of Punjab	(2011)4 SCC 441	Honourable Supreme Court held Percentage of Morphine in opium is not relevant
67	2012	शहजादखान महबूबखान पठान बनाम. गुजरात राज्य	(2013)1SCC 570	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जुर्माना अदा न करने पर कारावास की सजा सजा नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए, यह एक दंड है जो एक व्यक्ति को जुर्माना का भुगतान न करने के कारण लगता है।
		Shahejadh Khan Mahebub Khan Pathan Vs. State of Gujarat	(2013)1SCC 570	Honourable Supreme Court held that the term of imprisonment in default of payment of fine is not a sentence. To put it clear, it is a penalty which a person incurs on account of non-payment of fine.
68	2012	श्री फेलिक्स ओहिमैन इवबोरोखाई बनाम गोवा राज्य	MANU-MH-1041-2012	माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि एक बार न्यायाधीश द्वारा रिमांड की शक्ति का प्रयोग एक अनियमितता से दूषित नहीं पाया जाता है, तो सभी और आवेदक जमानत पर रिहा होने के सही दावे के रूप में नहीं होंगे
	2012	Mr. Felix Ohimain Evborokhai Vs. State of Goa	MANU-MH-1041-2012	Honourable Bombay High Court held that once exercise of power of remand by Judge is not found to be vitiated by an irregularity, then all more Applicants shall not as of right claim to be released on bail
69	2012	उदय कुमार	2012 ALL MR (Cri)	यह सच है कि स्वापक ओषधि और

		अभेवर्धन बनाम. भारत संघ	2619	मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित जांच के मामले में प्रतिबंधित वस्तु की तलाशी और जब्ती एक गंभीर पहलू है। स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों ने एक विस्तृत प्रक्रिया और दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं कि किस तरीके से तलाशी और जब्ती की जानी है। यदि इन दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन होता है, तो अदालतें इस पर गंभीरता से विचार करेंगी और इसका लाभ अभियुक्तों को दिया जाएगा।
	2012	Uday Kumar Abhevardhan Vs. The Union of India & Anr.	2012 ALL MR (Cri) 2619	It is true that the search and seizure of contraband article is a serious aspect in the matter of investigation related to offences under the NDPS Act. The NDPS Act and the Rules framed thereunder have laid down a detailed procedure and guidelines as to the manner in which search and seizure are to be effected. If there is any violation of these guidelines, the courts would take a serious view and the benefit would be extended to the accused.
70	2012	मोहम्मद शहाबुद्दीन बनाम असम राज्य	(2012) 13 एससीसी 491	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह कहा कि एक ट्रक से फेन्सेडिल / कोडीन सिरप जप्त किया गया था जो कि बिना किसी वैध दस्तावेज के ले जाई जा रही थी। कोर्ट ने यह माना कि यदि उक्त कोडीन सिरप चिकित्सीय आवश्यकता के पैमाने पर खरी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में कोडीन फॉस्फेट अवस्थिति कफ सिरप का पूरा 100 मिलीलीटर की निषिद्ध मात्रा मानव उपभोग के लिए माना जाएगा और यह निश्चित रूप से एन.डी.पी.एस के

				दंड प्रावधानों के अंतर्गत आएगा और दोषी उचित दंड पाने का भागीदार होगा, इसलिए कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
	2012	Md Sahabuddin versus State of Assam	(2012) 13 SCC 491	Honourable Supreme Court held that in this case Phensedyl / codeine syrup was seized from a truck and the consignment was being undertaken without any documents. The Court observed that if the said requirement meant for therapeutic practice is not satisfied then in the event of the entire 100 ml. content of the cough syrup containing the prohibited quantity of codeine phosphate is meant for human consumption, the same would certainly fall within the penal provisions of the N.D.P.S. Act calling for appropriate punishment to be inflicted upon the appellants. Therefore, the Court denied bail to the accused.
71	2013	राम स्वरूप बनाम दिल्ली राज्य (एन.सी.टी. सरकार)	एआईआर 2013 एससी 2068	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र गवाहों की गैर-परीक्षण के लिए अभियोजन पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि आम जनता आपराधिक अपराधों के मामले में अदालत के समक्ष पेश होने के लिए अनिच्छुक होता है - अपील खारिज कर दी गई। जब एक बैग आरोपी के बंधे पर हो और जब उक्त बैग की तलाशी ली गई और प्रतिबंधित सामग्री को जब्त कर लिया गया है तब धारा 50 के अनुपालन की आवश्यकता नहीं है - तलाशी अवैध नहीं - अपील खारिज कर दी गई। निर्णय का औचित्य: "अभियोजन मामले को साबित करने के

				लिए सबूत की मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता आवश्यक थी।"
	2013	Ram Swaroop Vs. State (Govt. NCT) of Delhi	AIR 2013 SC 2068	Honourable Supreme Court held that prosecution cannot be doubted for non-examination of independent witnesses as general public is reluctant to depose before the court in case of criminal offences - Appeal dismissed. Compliance of section 50 is not required when a bag is on the shoulder of accused and when the said bag was searched and contraband articles were seized - Search not illegal - Appeal dismissed. Ratio Decidendi: "For proving prosecution case quality and not quantity of evidence was essential."
72	2013	थाना सिंह बनाम सेंट्रल व्यूरो ऑफ नारकोटिक्स	(2013) 2 एससीसी 603	निर्णय का सारांश बिंदुवार विश्लेषण में व्यवस्थित किया गया है। न्यायालय ने एनडीपीएस मामलों में आरोपी व्यक्तियों को लंबे समय तक जेल में बंद रखने और लंबे समय तक सुनवाई शुरू न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने एनडीपीएस मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए वर्तमान आदेश के माध्यम से कुछ निर्देश दिए हैं- 1. स्थगन: न्यायालय ने सामान्य रूप से न्यायालयों में दिए गए स्थगन पर नाराजगी व्यक्त की है और निर्देश दिया है कि किसी एक पक्ष के अनुरोध पर स्थगन प्रदान करें, सिवाय इसके कि परिस्थितियां पार्टों के नियंत्रण से बाहर हैं। कोर्ट ने पी.सी. एक्ट की धारा 22 का संदर्भ दिया है जिसमें अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज किए जा सकते

हैं।

2. साक्षियों की परीक्षा:

पैरा 11 में, माननीय न्यायालय ने सत्र परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला है अर्थात् लगातार दिनों में गवाह की परीक्षा और जिरह आयोजित करना और संबंधित न्यायालयों को सत्र परीक्षण की पद्धति अपनाने और गवाहों की परीक्षा के लिए ब्लॉक तिथियां निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया है।

3. कार्यभार:

पैरा 14 में, न्यायालय ने कहा है कि प्रत्येक राज्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और जम्मू और कश्मीर के राज्यों में एक विशेष न्यायालय होगा और विशेष न्यायालयों की संख्या मामलों की मात्रा के अनुपात में होगा। यह भी कहा गया है कि एनडीपीएस न्यायालयों की स्थापना तक, एनडीपीएस मामलों को अन्य सभी मामलों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

4. नारकोटिक लैब्स:

पैरा 15 में, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि प्रत्येक राज्य को राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय स्तर की फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। ऐसी प्रयोगशालाओं की संख्या राज्य में मामलों के बैकलॉग पर निर्भर करेगी।

5. पुनः परीक्षण प्रावधान:

सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर प्रकाश

डाला है कि एनडीपीएस अधिनियम नमूनों के पुनः परीक्षण / पुनः परीक्षण की अनुमति नहीं देता है, इस प्रकार न्यायालय ने आदेश दिया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत पुनः परीक्षण / पुनः नमूने का लिए जाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में, पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए जाने वाले ठोस कारणों से इनकी अनुमति दी जा सकती है। ऐसे दुर्लभ मामलों में एक आवेदन परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, उसके बाद पुनः परीक्षण / पुनः नमूने के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. निगरानी:

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एनडीपीएस मामलों से निपटने वाले सभी विभागों में जांच और मुकदमे की प्रगति की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। यह नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक के पद के समकक्ष होना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करेगा कि दस्तावेजों की आपूर्ति न होने, गवाहों की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से मुकदमे में देरी न हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रत्येक न्यायालय के लिए एक पैरवी अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी होना चाहिए जो प्रत्येक न्यायालय के लिए निर्दिष्ट नोडल अधिकारी को उस दिन की

			<p>कार्यवाही की रिपोर्ट करेगा।</p> <p>7. लोक अभियोजक: सर्वोच्च न्यायालय ने एसपीपी की गुणवत्ता पर जोर दिया है और निर्देश दिया है कि जिला और सत्र न्यायाधीश ऐसी नियुक्तियों के लिए न्यायाधीश /पोर्टफोलियो न्यायाधीश/ निरीक्षण न्यायाधीश, संबंधित सत्र संभाग के प्रशासन को कार्यवाहक प्रभारी के परामर्श से सिफारिश करेंगे।</p> <p>8. अन्य सिफारिशें: शीर्ष अदालत ने कहा है कि उपरोक्त विस्तृत प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए चार्जशीट दाखिल करने और दस्तावेजों की आपूर्ति भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जानी चाहिए। हालाँकि, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इसे हार्ड कॉपी के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जो कोर्ट की कार्यवाही के लिए अपरिहार्य हैं।</p>
2013	Thana Singh V/s Central Bureau of Narcotics	(2013) 2 SCC 603	<p>The summary of the Judgment is organized into a point wise analysis. The Court has expressed deep concern for prolonged confinement of accused persons in jail in NDPS cases and non-commencement of trial for a long time. The Court has given some directions by way of present order for the speedy trial of the NDPS cases.</p> <p>1. ADJOURNMENTS: The Court has expressed displeasure at the adjournments granted in the Courts in general and has directed that, grant adjournments at the request of a party except where the circumstances are beyond the control of the party. The Court has made a reference to the S.22 of the P.C. Act wherein the evidence</p>

can be recorded in the absence of the accused.

2 EXAMINATION OF WITNESSES:

In Para 11, the Hon'ble Court has highlighted the importance of Sessions Trial i.e conducting examination and cross examination of a witness on consecutive days and has directed the concerned Courts to adopt the method of sessions trial and assign block dates for examination of witnesses.

3. WORKLOAD:

In Para 14, the Court has stated that each state particularly states of Uttar Pradesh, West Bengal and Jammu & Kashmir will have a Special Court and that the number of Special Courts will be in proportion to volume of cases. It is also stated that until establishment of NDPS Courts, NDPS cases will be prioritized over all other matters.

4. NARCOTIC LABS:

In Para 15, Apex Court has pointed out that each state is directed to establish state level and regional level forensic labs. The number of such labs will be dependent upon the backlog of cases in the state.

5. RE-TESTING PROVISIONS:

The Apex Court has highlighted the fact that NDPS Act does not permit resampling/re-testing of samples, thus the Court ordered that any requests as to re-testing/re-sampling shall not be entertained under the NDPS Act as a matter of course. These may, however, be permitted, in extremely exceptional circumstances, for cogent reasons to be recorded by the Presiding judge. An application in such rare cases must be made within a period of fifteen days from the receipt of the test report No

				<p>applications for re-testing /re-sampling shall be entertained thereafter.</p> <p>6. MONITORING: The Apex Court has directed that nodal officers be appointed in all the departments dealing with the NDPS Cases for monitoring of the progress of investigation and trial. This nodal officer must be equivalent to the rank of Superintendent of Police, who shall ensure that the trial is not delayed due to account of non-supply of documents, non-availability of the witnesses, or for any other reason.</p> <p>The Apex Court has also stated that there must be one Pairvi Officer or any other officer for each Court who shall report that days proceeding to the nodal officer assigned for each Court.</p> <p>7. PUBLIC PROSECUTORS: The Apex Court has stressed upon the quality of the SPPs and directed that, the District and Sessions Judge shall make recommendations for such appointments in consultation with the Administrative Judge/Portfolio Judge/Inspecting Judge, in-charge of looking after the administration of the concerned Sessions Division."</p> <p>8. OTHER RECOMMENDATIONS: The Apex Court has observed that for simplification of the above detailed process, the filing of the charge-sheet and supply of the documents must also be provided in electronic form. However, the Court also directed that this must not be treated as a substitute for hard copies which are indispensable for Court proceedings.</p>
73	2013	सुखदेव सिंह बनाम हरियाणा	एआईआर 2013 एससी 953	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की धारा 42 को दो अलग-अलग भागों में विभाजित

	राज्य	<p>किया जा सकता है। पहला है प्रवेश, तलाशी जब्ती और बिना वारंट या प्राधिकरण के गिरफ्तारी की शक्ति जैसा कि उक्त धारा की उप-धारा (1) के तहत विचार किया गया है। दूसरा, उस अनुभाग की उप-धारा (2) के अनुरूप एक उच्च अधिकारी को लिखित रूप में जानकारी की रिपोर्ट करना, धारा 42 की उप-धारा (2) न्यायिक व्याख्या के साथ-साथ विधायी चिंता का विषय था। पूर्व में संसद द्वारा उप-धारा (2) को 2001 के अधिनियम 9, 2001 द्वारा 2 अक्टूबर 2001 से संशोधित किया गया था। इस उप-धारा के संशोधन के बाद, 'तुरंत' शब्द '72 घंटों के भीतर' शब्दों द्वारा संशोधित किया गया। दूसरे शब्दों में, असंशोधित प्रावधान के तहत जो भी अस्पष्टता या लाभ प्रदान किया गया था, उसे स्पष्ट किया गया था और परिणामस्वरूप, संबंधित अधिकारी को सूचना प्राप्त होने के 72 घंटे के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना भेजने के लिए बाध्य करके पूर्ण निश्चितता लाई गई थी। संशोधन विधायी मंशा का संकेत है कि सूचना न केवल शीघ्र या तत्काल बल्कि निश्चित रूप से धारा 42 की संशोधित उप-धारा (2) के तहत निर्धारित समय के भीतर वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचनी चाहिए। यह उस समय को अधिक निश्चितता प्रदान करता है जिसमें कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही आरोपी को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को अधिक सार्थक बनाना चाहिए। वर्तमान मामले में अधिकार प्राप्त अधिकारी को यह सूचना 4</p>
--	-------	---

			<p>फरवरी, 1994 को तब प्राप्त हुई जब असंशोधित प्रावधान लागू था। अपराध के कमीशन के समय जो कानून मौजूद था, वही कानून लागू होगा जो एन.डी.पी.एस अधिनियम के तहत पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करेगा।</p>
2013	Sukhdev Singh Vs. State of Haryana	AIR2013SC 953	<p>Honourable Supreme Court held that section 42 of the N.D.P.S. Act, 1985 can be divided into two different parts. First is the power of entry, search seizure and arrest without warrant or authorization as contemplated under sub-section (1) of the said section. Second is reporting of the information reduced to writing to a higher officer in consonance with sub-section (2) of that section, Sub-section (2) of Section 42 had been a matter of judicial interpretation as well as of legislative concern in the past Sub-section (2) was amended by the Parliament vide Act 9 of 2001 with effect from 2nd October, 2001. After amendment of this sub-section, the words 'forthwith' stood amended by the words 'within 72 hours'. In other words, whatever ambiguity or leverage was provided for under the unamended provision was clarified and resultantly, absolute certainty was brought in by binding the officer concerned to send the intimation to the superior officers within 72 hours from the time of receipt of information. The amendment is suggestive of the legislative intent that information must reach the superior officer not only expeditiously or forthwith but definitely within the time contemplated under the amended sub-section (2) of Section 42. This, provides a greater certainty to the time in which the action should be taken as well as renders the safeguards provided to an accused more meaningful. In the</p>

				present case, the information was received by the empowered officer on 4th February, 1994 when the unamended provision was in force. The law as it existed at the time of commission of the offence would be the law which will govern the rights and obligations of the parties under the N.D.P.S. Act.
74	2013	अशोक कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य	2013(1) स्केल 39	<p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपने तलाशी के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए - अधिकारी की ओर से यह अनिवार्य है - केवल उसे सूचित करना कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली जा सकती है - धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का गैर-अनुपालन है - और पूरी कार्यवाही का उल्लंघन है- अभियुक्त-अपीलकर्ता पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को रद्द करना।</p> <p>एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की धारा 50 के तहत तलाशी लेने वाले व्यक्ति को उसके अधिकार से अवगत कराना अधिकारी की ओर से अनिवार्य है की किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली जानी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार के बारे में अवगत कराया, यदि अभियुक्त के लिए</p>

			<p>ऐसा आवश्यक है और तो इस अनिवार्य प्रावधान के सख्त अनुपालन की आवश्यकता है। संदिग्ध व्यक्ति, उक्त प्रावधान के तहत उसे प्रदान किए गए अधिकार का प्रयोग करना चुन सकता है या नहीं भी कर सकता है, लेकिन जहां तक अधिकारी का संबंध है, उस पर एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार से व्यक्ति को अवगत कराने का दायित्व डालता है।</p>
2013	Ashok Kumar sharma Vs. State of Rajasthan	2013(1) SCALE 39	<p>Honourable Supreme Court held suspect has to be informed of his right to be searched in presence of Gazetted Officer or Magistrate--It is imperative on part of officer--Merely informing him that he may be searched before Gazetted Officer or Magistrate--is total noncompliance with mandatory provisions of Section 50--And entire proceedings vitiated--Conviction and sentence imposed on accused-appellant set aside.It is imperative on the part of the officer to apprise the person intended to be searched of his right under Section 50 of the N.D.P.S. Act, 1985 to be searched before a Gazetted Officer or a Magistrate. It is mandatory on the part of the authorized officer to make the accused aware of the existence of his right to be searched before a Gazetted Officer or a Magistrate, if so required by him and</p>

				<p>this mandatory provision requires strict compliance. The suspect may or may not choose to exercise the right provided to him under the said provision, but so far as the officer is concerned, an obligation is cast on him under Section 50 of the N.D.P.S. Act to apprise the person of his right to be searched before a Gazetted Officer or a Magistrate.</p>
75	2013	अब्बास अली बनाम पंजाब राज्य	(2013) 2 एसएससीसी 195	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 35/60(3) के तहत खंडन करने में विफलता को भी अपराधिक मानसिक स्थिति का अनुमान होगा
	2013	Abbas Ali versus State of Punjab	(2013) 2 SSCC 195.	Honourable Supreme Court held failure to rebut under Section 35/60(3) would also be presumption of Culpable mental State
76	2013	किशन चंद बनाम राज्य	(2013) 2 एससीसी 502	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 52 और धारा 57 के बीच का अंतर स्पष्ट किया
	2013	Kishan Chand v. State.	(2013) 2 SCC 502	Honourable Supreme Court chalked out the difference between Section 52 and Section 57.

77	2013	सुमित तोमर बनाम पंजाब राज्य	(2013) 1 एससीसी 395	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र गवाह की परीक्षा न होना धातक नहीं है
	2013	Sumit Tomar v. State of Punjab.	(2013) 1 SCC 395	Honourable Supreme Court held that non examination of independent witness is not fatal.
78	2013	राजस्थान राज्य बनाम भेरु लाल	2013 70 स्केल 428	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि सिद्धांत को एक अलग संदर्भ में कहा गया था, फिर भी उसमें निर्धारित सिद्धांत क्रिस्टल रूप में स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 42 (1) की शाब्दिक व्याख्या नहीं हो सकती है।
	2013	State Of Rajasthan Vs. Bheru Lal	2013 70 SCALE 428	Honourable Supreme Court held that though the principle was stated in a different context, yet the dictum laid down therein is clear as crystal that there cannot be literal interpretation of Section 42(1) of the Act.
79	2013	गुरजंत सिंह बनाम. पंजाब राज्य	2013 (13) स्केल 295	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राजपत्रित अधिकारी को मौके पर बुलाने और फिर तलाशी प्रक्रिया को दोहराने से पहले की गई तलाशी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 और 50 का स्पष्ट उल्लंघन है।
		Gurjant Singh Vs. State of Punjab	2013 (13) SCALE 295	Honourable Supreme Court held that the search conducted before calling the gazetted officer on the spot and then repeating the search process is a clear violation of section 42 & 50 of NDPS Act.
80	2013	विजय जैन बनाम. मध्य प्रदेश राज्य	मनु/एससी/07 09/2013, 2013 (9)स्केल 439	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष ब्राउन शुगर का उत्पादन नहीं किया और

				साथ ही अपीलकर्ताओं से कथित तौर पर जब्त की गई ब्राउन शुगर के गैर-उत्पादन के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया - गवाहों के साक्ष्यों से ब्राउन शुगर, अपीलकर्ताओं के कब्जे से जब्ती स्थापित नहीं होती है। अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने वाले ट्रायल कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट का फैसला दोषसिद्धि बनाए रखना - टिकाऊ नहीं है।
	2013	Vijay Jain Vs. State of Madhya Pradesh	MANU/SC/0709/2013, 2013 (9)SCALE 439	Honourable Supreme Court held that prosecution not produced brown sugar before trial court and also not offered any explanation for non-production of brown sugar alleged to have been seized from appellants--Evidence of witnesses to seizure of materials does not establish seizure of brown sugar from possession of appellants--Judgment of trial court convicting appellants and judgment of High Court maintaining conviction--Not sustainable--
81	2013	ज्ञान चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य	2013 (9) स्केल 544	माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह कानूनी प्रस्ताव था कि एक बार प्रतिबंधित वस्तुओं का कब्जा स्थापित हो जाने के बाद, अभियुक्त पर यह स्थापित करने के लिए बोझ स्थानांतरित कर दिया गया कि उसे इसका कोई ज्ञान नहीं था - एक बार अभियुक्त के पास प्रतिबंधित सामग्री का कब्जा स्थापित हो जाने के बाद, आरोपी को यह स्थापित करना होगा कि वह कैसे आया जैसा कि उनके विशेष ज्ञान में था, उसी के कब्जे में होना माना जाएगा- अपीलकर्ता यह इंगित नहीं कर सकते थे कि यदि उन्हें सचेत कब्जे का तथ्य नहीं

			<p>दिया गया था, तो उनके साथ क्या पूर्वग्रह हुआ था - अन्यथा भी इस तरह के मुद्दे को मौजूदा तथ्यों में नहीं उठाया जा सकता था और मामले की परिस्थितियाँ जिसमें अभियुक्त पर यह दिखाने का भार था कि किस प्रकार वाहन में प्रतिबंधित सामग्री पाई गई जो उनमें से एक द्वारा चलाई जा रही थी और अन्य दो उस वाहन में यात्रा कर रहे थे - अपील खारिज कर दी गई।</p> <p>निर्णय का औचित्य:</p> <p>"एक बार जब प्रतिबंधित वस्तुओं का कब्जा स्थापित हो जाता है तो अभियुक्त पर यह साबित करने के लिए भार स्थानांतरित हो जाता है कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी।"</p>
2013	Gian Chand and Ors. Vs. State of Haryana	2013 (9) SCALE 544	<p>Honourable Supreme Court held that it was settled legal proposition that once possession of contraband articles was established, burden shifted on Accused to establish that he had no knowledge of same - Once possession of contraband material with Accused was established, Accused has to establish how he came to be in possession of same as it was within his special knowledge - Appellants could not point out what prejudice had been caused to them if fact of conscious possession had not been put to them - Even otherwise such an issue could not be raised in existing facts and circumstances of case wherein burden was on Accused to show how contraband material came to be found in vehicle which was driven by one of them and other two were travelling in that vehicle - Appeal dismissed.</p>

				<p>Ratio Decidendi:</p> <p>"Once possession of contraband articles is established burden shifts on Accused to establish that he had no knowledge of same."</p>
82	2014	याशिण योविन और अन्य बनाम सीमा शुल्क विभाग	2014(1) स्केल 39	<p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि :-</p> <p>धारा 42 का अवलोकन दो स्थितियों पर विचार करता है। यह अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय किसी भी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश और तलाशी लेने पर विचार करता है, इस कारण से कि कोई भी मादक पदार्थ या कोई अन्य नियंत्रित पदार्थ ऐसे परिसर में रखा या छुपाया गया है और दूसरा यदि तलाशी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाती है, तो धारा 42 के प्रावधान की आवश्यकता का पालन किया जाना है इस अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी को अपने विश्वास के आधार दर्ज करना है। लेकिन यदि</p>

				<p>तलाशी अधिनियम की धारा 41(2) के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाती है तो उक्त अधिकारी धारा 41 (2) के तहत कार्य कर रहा है और इसलिए धारा 42 के तहत अनुपालन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यह सिद्धांत एम. प्रभुलाल बनाम सहायक निदेशक, राजस्व खुफिया निदेशालय, (2003) 8 एससीसी 449 और मो. हुसैन फराह बनाम भारत संघ और अन्य, 2001 1 एससीसी 329, जिसमें यह देखा गया है कि एक राजपत्रित अधिकारी एक अधिकार प्राप्त अधिकारी होता है। इसलिए जब उसकी उपस्थिति एवं देखरेख में तलाशी ली जाती है, तो धारा 42 के प्रावधान का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है।</p>
--	--	--	--	---

	2014	Yasihey Yobin and anr.Vs. The Department of customs	2014(1) SCALE 39	<p>Honourable Supreme Court held that :-</p> <p>A perusal of <u>Section 42</u> contemplates two situations. It contemplates entry into and search of any building, conveyance or enclosed place in anytime between sunrise and sunset by an officer authorized under the Act with a reason to believe that any narcotic substance or any other controlled substance is kept or concealed in such premises and secondly, if the search is made between the sunset and sunrise, the requirement of the proviso to <u>Section 42</u> is to be complied with under which the officer authorized under the Act is to record the grounds of his belief. But if the search is made by an officer authorized under <u>Section 41(2)</u> of the Act then the said officer is said to be acting under <u>Section 41(2)</u> and therefore compliance under <u>Section 42</u> is not necessary at all. This principle is reiterated in the case of <u>M. Prabhulal v. The Assistant Director, Directorate of Revenue Intelligence</u>, (2003) 8 SCC 449 and in <u>Mohd. Hussain Farah v. Union of India & Anr.</u>, 2001 1 SCC 329, wherein it is observed that a gazetted officer is an empowered officer and so when a search is carried out in his presence and under his supervision, the provision of <u>Section 42</u> has no application.</p>
83	2014	भारत संघ बनाम शेओ शंबुगिरी	2014 (4) स्केल 58	<p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हम एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 के निर्माण पर प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण से सहमत हैं, उसमें होने वाली अभिव्यक्ति "ट्रांसशिप्स" को प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा सुझाए अनुसार समझा जाना चाहिए। धारा 23 की भाषा के निर्माण के अलावा एक और कारण है जो हमें प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा</p>

			<p>किए गए अनुरोध को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। धारा 9(1)(ए)(vii) भी व्यंजक ट्रांसशिपमेंट को नियोजित करता है। उक्त धारा की भाषा से यह देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार ऐसे नियम बनाने के लिए अधिकृत है जो विभिन्न गतिविधियाँ जैसे कि खेती, संग्रह, उत्पादन, कच्चा, बिक्री, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात जैसे कोका पत्तियाँ, खसखस, अफीम पोस्ट और अफीम डेरिवेटिव आदि विभिन्न पदार्थों के निर्यात को अनुमति और विनियमित कर सकते हैं। जबकि संसद ने उप-धारा 1 (ए) (vi) में ऐसी सामग्री के अंतर-राज्य आयात या निर्यात के संदर्भ में अभिव्यक्ति परिवहन का उपयोग किया, आयात के संदर्भ में भारत के लिए और भारत से बाहर निर्यात, संसद ने धारा 9(i)(a)(vii) में ट्रांसशिपमेंट अभिव्यक्ति को नियोजित किया।</p>
2014	Union of India Vs. Sheo Shambugiri	2014 (4) SCALE58	<p>Honourable Supreme Court held that we agree with the submission made by the respondent on the construction of <u>Section 23</u> of the NDPS Act, the expression "tranships" occurring therein must necessarily be understood as suggested by the learned counsel for the respondent. There is yet another reason apart from the construction of the language of <u>Section 23</u> which compels us to accept the submission made by the learned counsel for the respondent. <u>Section 9(1)(a)(vii)</u> also employs the expression transshipment. It can be seen from the language of the Section that the Central Government is authorized to make rules which may permit and regulate various activities</p>

				such as cultivation, gathering, production, possession, sale, transport, inter state import or export of various substances like coca leaves, poppy straw, opium poppy and opium derivatives etc., while the Parliament used the expression transport in the context of inter- state import or export of such material in sub- <u>Section 1(a)(vi)</u> , in the context of importing to India and export out of India, Parliament employed the expression transshipment in <u>Section 9(i)(a)(vii)</u> .
84	2014	कृष्णन और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2014 (4) स्केल 1	<p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं-</p> <p>(i) क्या एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 32ए संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 का उल्लंघन है? तथा</p> <p>(ii) क्या एन.डी.एस.पी.एस. अधिनियम की धारा 32ए संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है, क्योंकि एन.डी.पी.एस. अधिनियम को छूट/संशोधन आदि प्रदान किया जाना है - मामले को सी.जे.आई के पास बड़ी बेंच द्वारा विचार करने के उचित आदेश का अनुरोध के साथ भेज दिया गया था।</p>

	2014	Krishnan and Ors. Vs. State of Haryana and Ors.	2014 (4) SCALE 1	Honourable Supreme Court held that in the present matter substantial questions of law involved— (i) Whether Section 32A of N.D.P.S. Act is violative of Articles 72 and 161 of the Constitution? and (ii) whether Section 32A of N.D.P.S. Act is violative of Articles 14 and 21 of the Constitution, inasmuch, as same abrogates rights of accused/convict under N.D.P.S. Act to be granted remission/commutation etc.—Matter requires to be considered by larger Bench—Matter referred to C.J.I. for appropriate orders.
85	2014	कृष्ण कुमार बनाम हरियाणा राज्य	मनु/एससी/0509/2014	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस के पास अपीलकर्ता पर निर्दिष्ट मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ आरोपित करने का कोई कारण नहीं था - आधिकारिक गवाहों के बयान केवल उनकी आधिकारिक स्थिति के कारण खारिज नहीं किए जा सकते थे - अपीलकर्ता के बैग से प्रतिबंधित पदार्थ की बसूली अभियोजन पक्ष द्वारा साबित हुई थी - अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया था प्रमुख ठोस साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता का दोष और अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुआ - अपील खारिज कर दी गई। [पैरा 8 और 14]
	2014	Krishan Kumar Vs. State of Haryana	MANU/SC/0509/2014	Honourable Supreme Court held that there was no reason for police to plant specified amount of contraband upon Appellant - Statements of official witnesses could not be rejected merely because of their official status - Recovery of contraband from bag of Appellant was proved by prosecution - Prosecution had established guilt of Appellant by leading cogent evidence

				and guilt was proved beyond reasonable doubt - Appeal dismissed. [paras 8 and 14]
86	2014	राजस्थान राज्य बनाम परमानंद और अन्य	2014(2) आरसीआर (आपराधिक) 40 (एससी)	<p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक आरोपी को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि उसके पास निकटतम राजपत्रित अधिकारी के समक्ष या निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने का कानूनी अधिकार है- आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 (1) के तहत उपलब्ध अधिकार का संयुक्त संचार धारा 50 के अर्थ को विफल कर देगा- अभियुक्त को उसके अधिकार के बारे में ठीक तरह से समझाया नहीं गया है- दोषसिद्धि और सजा को खारिज कर दिया गया।</p> <p>छापेमारी दल के सदस्य के समक्ष तलाशी का प्रस्ताव या संयुक्त प्रस्ताव - अवैध ठहराया; व्यक्ति की तलाशी और उसके बाद बैग (नारकोटिक से संबंधित) की तलाशी के लिए धारा 50 लागू होगी</p>

	2014	State of Rajasthan v/s Parmanand and another	2014(2) RCR (Criminal) 40 (SC)	Honourable Supreme Court held each accused must be individually informed that he has a legal right to be searched before a nearest Gazetted officer or before a nearest Magistrate- A joint communication of the right available under section 50(1) of the NDPS Act to the accused would frustrate the very purport of section 50- Right has not been properly communicated- conviction and sentence set aside. Joint Offer or offer to search before member of raiding party- Illegal ; Search of person and thereafter search of bag (yielding Narcotic) will attract Section 50
87	2014	विनोद कुमार और अन्य एस बनाम पंजाब राज्य और अन्य एस	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय सीडब्ल्यूपी 11699/2012	माननीय उच्चतम न्यायालय ने विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य, 2013 1 आरसीआर (सीआरई) 428 के मामले में इस सवाल पर विचार किया कि क्या एक थोक दवा विक्रेता एक फुटकर विक्रेता और उनके कर्मचारी जो उचित एवं वैध लाइसेंस रखते हैं वे अनुसूची सी और अनुसूची सी 1 में निर्दिष्ट दवाओं तथा ऐसी दवाएं जो अनुसूची डी एंड सी अधिनियम और 1945 के नियमों में निर्दिष्ट नहीं हैं के कारोबार के लिए उन्हें एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। धारा 80 एनडीपीएस अधिनियम का संदर्भ देने के बाद, यह माना गया कि उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक व्यक्ति पर एनडीपीएस अधिनियम के साथ-साथ डी एंड सी अधिनियम के तहत एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। यह माना गया कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति पर डी एंड

सी अधिनियम के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाता है जो एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उस पर मुकदमा चलाने के लिए एक अवरोध के रूप में कार्य नहीं करेगा। बल्कि यदि डी एंड सी अधिनियम के तहत किए गए अपराध भी एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति पर एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रतिबंधित पदार्थों के कब्जे के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।, यद्यपि, दोनों अधिनियम स्वतंत्र हैं परन्तु यह माना गया कि एक किसी एक अधिनियम के उल्लंघन का मतलब दूसरे का उल्लंघन है और केवल इसलिए कि अभियोजन शुरू हो गया है और विचारण एनडीपीएस अधिनियम के तहत किया गया है, जिसे एक कठोर और कठिन प्रावधान माना जाता है, कार्यवाही को अनुचित या बुरा नहीं कहा जा सकता है। यदि यह किन्हीं बाहरी कारणों या परिस्थितियों के लिए या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से न्यायिक जांच और समीक्षा के अधीन होगा।

उन परिस्थितियों में, जब एक निश्चित निर्मित दवा या एक मनःप्रभावी पदार्थ का उल्लंघन किया गया है और जो एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के दायरे में आता है, जिसका कब्जा, विक्री और परिवहन निषिद्ध है, या उचित लाइसेंस या उचित प्राधिकरण के बिना किया जा रहा है,

				तो एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और इसे किसी भी तरह से अवैध नहीं कहा जा सकता है।
2014	Vinod Kumar And Others S vs. State Of Punjab And Others S	Punjab & Haryana High Court CWP 11699/2012		Honourable Supreme Court in the case of Vinod Kumar v. State of Punjab, 2013 1 RCR (Cri) 428 considered the question as to whether a wholesale drug dealer, a retailer and their employees possessing proper and valid licence for dealing in drugs specified in Schedule C and Schedule C1 as well as drugs not specified in those Schedules of the D&C Act and the 1945 Rules can be held liable for an offence punishable under the NDPS Act. After making a reference to Section 80 NDPS Act, it was held that a person can very well be prosecuted both under the NDPS Act as well as under the D&C Act simultaneously for violation of the provisions of the said Acts. It was held that merely because a person is prosecuted for violation of D&C Act that would not operate as a bar to prosecute him under the provisions of the NDPS Act. Rather if the offences made out under the D&C Act also comes within the scope of the provisions of the NDPS Act such person shall be prosecuted for possession of the contrabands violating the provisions of the NDPS Act. Both the Acts, it was held are independent and violation of one Act does not mean no violation of the other. Therefore, merely, because prosecution is launched and trial is conducted under the NDPS Act, which is considered a harsher and an onerous provision, the initiation of the proceedings cannot be said to be improper or bad. In case it is done for any extraneous reasons or circumstances or with a mala fide

				<p>intention, the same would of course be subject to judicial scrutiny and review. In the circumstances, when there has been a contravention of a certain manufactured drug or a psychotropic substance and which falls within the purview of NDPS Act and the NDPS Rules, the possession, sale and transportation of which is prohibited, or is being done without proper licence or with no proper authorization, the prosecution under the provisions of the NDPS Act would not be prohibited and it cannot be said to be in any manner illegal.</p>
88	2016	<p>भारत संघ बनाम मोहनलाल और अन्य (सीआरएल अपील 652/2012)</p>	<p>(2016) 3 एससीसी 379</p>	<p>माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान मामले में इस तथ्य का संज्ञान लिया था कि जद्द किए गए भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री को केंद्र और राज्य एजेंसियों के पास रखा जा रहा है और इस तरह के प्रतिबंधित पदार्थों को नष्ट करने की दिशा में किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने पाया है कि प्रतिबंधित पदार्थ समाज में वापस अपना रास्ता खोज रहा</p>

			<p>है। जव्त सामग्री की जव्ती, भंडारण, निपटान और नष्ट करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों और उच्च न्यायालयों से एकत्रित आंकड़ों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, अदालत ने एनडीपीएस कानून के इन पहलुओं पर फैसला सुनाया है। न्यायालय ने देखा है कि धारा 52ए में यह निर्दिष्ट है कि जव्ती के तुरन्त पश्चात्, प्रतिबंधित पदार्थ को पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या अधिकार प्राप्त अधिकारी को अग्रेषित किया जाए। ऐसा अधिकारी तब नमूने लेने और उन्हें प्रमाणित करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए बाध्य होता है। न्यायालय ने निर्देश पारित किया कि एजेंसियां एनसीबी के स्थायी आदेश 1/89 में जारी निर्देशों के अनुसार जव्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का भंडारण करेंगी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि भंडारण सुविधाओं को राज्य और केंद्र स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा और एक राजपत्रित अधिकारी की निगरानी में रखा जाएगा और डबल लॉक सिस्टम आदि के तहत रखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी पाया कि कि भंडारण कक्षाओं का समय-समय पर निरीक्षण भी नहीं किया जा रहा है।</p> <p>एनडीपीएस पदार्थों का निपटान/विनाश</p> <p>जव्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों और वाहनों के निपटान के संबंध में न्यायालय ने निम्नवत कहा:</p> <p>ऐसे मामले जहां विचारण समाप्त हो गया है और अपील/पुनरीक्षण में सभी कार्यवाही समाप्त हो गई है (यदि कोई हो तो</p>
--	--	--	--

29.5.1989 से पहले):

न्यायालय ने कहा कि 29.5.1989 से पहले जिन मामलों में विचारण, अपील, पुनरीक्षण और आगे की अपील, अंतिम रूप से समाप्त हो गई तो ऐसी स्थिति में एनडीपीएस, नियंत्रित पदार्थों और वाहनों के निरंतर भंडारण का कोई परिणाम नहीं है और निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों की ड्रग डिस्पोजल समितियां ऐसे सभी जव्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों का जायजा लेंगी और बिना किसी और सत्यापन उनके निपटान के लिए कदम उठाएंगी।

ड्रग्स जो मई, 1989 के बाद जव्त की गई हैं और जहां विचारण और अपील/पुनरीक्षण में कार्यवाही पूरी हो चुकी है:

यह बरामदगी की श्रेणी है जो धारा 52 ए की शुरुआत के बाद की गई है। इस श्रेणी के मामलों में न्यायालय ने कहा है कि यदि पैरा 5.5 के अनुसार दवाओं का परीक्षण किया जाता है तो यह एक निरर्थक अभ्यास होगा। एसओ 1/89 का कोर्ट ने इस प्रकार निर्देश दिया है कि सभी ड्रग डिस्पोजल कमेटी ऐसे सभी जव्त किए गए कॉन्ट्रैबैंड का जायजा लें, जिनमें ट्रायल खत्म हो गया है।

ऐसे मामले जहां कार्यवाही अभी भी विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं:

				न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी मामलों में विभागाध्यक्ष बिना समय गंवाए अधिसूचना दिनांक 16.01.2015 के तहत उचित आवेदन पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे।
2016	Union of India v/s Mohanlal & Anr (Crl. Appeal 652/2012)	(2016) 3 SCC 379		<p>The Hon'ble Supreme Court in the present matter had taken cognizance of the fact that a lot of seized contraband is being kept with the Central and State agencies and that the efforts taken towards the destruction of such contraband are not adequate. The Court has observed that the contraband is finding its way back into the society. After careful scrutiny of the collected data from different agencies and High Courts in regard to seizure, storage, disposal and destruction of the seized contraband, the Court has delivered a judgment on these aspects of NDPS law. The Court has observed that S.52 A requires that no sooner the seizure is done, the contraband is to be forwarded to the officer in charge of a police station or the officer empowered. Such an officer is then duty bound to approach the Magistrate for drawing samples and getting them certified. The Court passed directions that the agencies will store the seized contraband as per the directions issued in NCB Standing order 1/89. The Court also ordered that the storage facilities will be upgraded at the State and Central level and will be placed under the overall supervision of a gazetted officer and put under double lock system and etc. The Court has also observed that periodical inspection of the storage facilities is also missing.</p> <p>Disposal / Destruction of NDPS substances</p> <p>With regards to the disposal of seized</p>

			<p>contraband and conveyances the Court stated the following</p> <p>â€” Cases where Trial is concluded and proceedings in appeal / revision have all concluded (if any before 29.5.1989) :</p> <p>The Court states that in cases that stood finally concluded at Trial, appeal, revision and further appeals, if any before 29.5.1989, the continued storage of NDPS, controlled substances and conveyances is of no consequence and has thus directed that all the Drugs Disposal Committees of the States and the Central agencies shall take stock of all such seized contrabands and take steps for their disposal without any further verification.</p> <p>â€” Drugs that are seized after May, 1989 and where Trial and proceedings in appeal / revision have all concluded:</p> <p>This is the category of seizures that have been undertaken after introduction of S. 52 A. In this category of the cases Court has opined that it will be a futile exercise if the drugs are tested as per Para 5.5. of SO 1/89. The Court has thus directed that all the Drugs Disposal Committees shall take stock of all such seized contrabands in which trial has concluded</p> <p>â€” Cases where proceedings are still pending before Trial Court, Appellate Courts or before the Supreme Court :</p> <p>The Court has directed that in all such cases the Head of the Department shall ensure the filing of appropriate applications under the notification dated 16.1.2015 without any further loss of time.</p>
--	--	--	--

89	2017	दीबाग सिंह बनाम पंजाब राज्य	(2017) 11 एससीसी 290	अपीलकर्ता, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ एक्ट, 1985 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 15 के तहत एक अन्य के साथ सजा में परिणत होने वाले समवर्ती निर्धारणों का सामना कर रहा है, और इस न्यायालय के समक्ष निवारण की मांग कर रहा है। यह कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को 10 साल और छह महीने तथा प्रत्येक को 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी और जुर्माने की राशि न जमा करने की दशा में एक वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई थी जिसे उच्च न्यायालय ने अपील में आक्षेपित निर्णय की पूर्ण रूप से पुष्टि की है।
	2017	Dibagh Singh Vs. State of Punjab	(2017) 11 SCC 290	The appellant, faced with concurrent determinations culminating in his conviction along with another, under <u>Section 15 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985</u> (for short "the Act") is before this Court seeking redress. Whereas the Trial Court, upon the entering finding of guilt had sentenced the accused persons with rigorous imprisonment for 10 years and six months each and fine of Rs.1 lac each with default sentence of rigorous imprisonment for one year, the High Court in appeal has confirmed the verdict in toto by the decision impugned herein.
90	2018	सलीम जमशेद अली शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य	2018 सभी एमआर (सीआरई) 3729	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जैसे वर्तमान मामले में, यदि मूल्यांकन के दो सेट हैं, जैसा कि एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 50 के तहत विचार किया गया है अर्थात् मौखिक और लिखित रूप में और यदि दोनों में से कोई भी

				मूल्यांकन अधिनियम की धारा -50 के अनुपालन में और उसके अनुरूप दिया गया है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। वर्तमान मामले में हालांकि अपीलकर्ता को दिया गया मौखिक मूल्यांकन एक संयुक्त मूल्यांकन था, लिखित में मूल्यांकन के पत्र अभियुक्त व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत थे और वही अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में साबित हुए हैं।
	2018	Salim Jamshed Ali Shaikh Vs. The State of Maharashtra	2018 ALL MR (Cri) 3729	Honourable Supreme Court held that in a case like in hand, if there are two sets of appraisals as contemplated under Section 50 of the N.D.P.S. Act, i.e. oral and in writing and if either of the appraisals are proved to be given in compliance of and in conformity with Section-50 of the Act, then the same can be safely relied upon. In the present case though the oral appraisal given to the appellant was a joint appraisal, the letters of appraisal in writing were individual to the accused persons and the same have been proved to be in compliance of Section 50 of the Act.
91	2018	हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप कुमार व अन्य	एआईआर 2018 एससी 1345	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय द्वारा बरी करने का निर्णय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के उलट है, जिसने 12 वर्ष के कठोर कारावास और 1,50,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। प्रत्येक आरोपी पर जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि अभियुक्त-प्रतिवादी को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी होगी। स्वतंत्र

			<p>गवाहों की परीक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है और इस तरह की गैर-परीक्षा अभियोजन मामले के लिए आवश्यक रूप से घातक नहीं है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अत्यधिक ठंड के कारण प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के लिए स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं थे। पुलिस पार्टी और आरोपी के बीच किसी भी तरह की दुश्मनी के अभाव में और बड़ी मात्रा में बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ (18.85 किलोग्राम) के संबंध में, हमारा विचार यह है कि इस बात की संभावना नहीं है कि प्रतिबंधित सामग्री को आरोपियों के वाहन में आरोपित किया गया था। । जहां तक प्रतिबंधित पार्सल की स्थिति का संबंध है, अभिलेख पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि उक्त पार्सल को फटी हालत में 15.9.2009 को विद्वान विचारण न्यायालय में लाया गया था।</p>
2018	Himachal Pradesh State vs. Pradeep Kumar & Anr.	AIR 2018 SC 1345	<p>Honourable Supreme Court held that The judgment of acquittal by the High Court is in reversal of the conviction recorded by learned trial Court which had imposed a sentence of rigorous imprisonment for 12 years and fine of Rs. 1,50,000/- on each of the accused. On default of payment of the fine amount, it was ordered by the learned trial Court that the accused-Respondents will suffer imprisonment for a further period of one year. examination of independent witnesses is not an indispensable requirement and such non-examination is not necessarily fatal to the prosecution case. In the present case, according to the prosecution, independent witnesses</p>

				were not available to witness the recovery of the contraband due to extreme cold. In the absence of any animosity between the police party and the accused and having regard to the large quantity of contraband that was recovered (18.85 Kgs.), we are of the view that it is unlikely that the contraband had been planted/foisted in the vehicle of the accused persons. Insofar as the condition of the contraband parcel is concerned, the materials on record indicate that the said parcel was brought to the learned trial Court on 15.9.2009 in a torn condition.
92	2018	आरिफ खान @ आगा खान बनाम उत्तराखंड राज्य	आपराधिक अपील संख्या 273 2007	मामला उत्तराखंड पुलिस का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को ढाई किलो चरस के साथ पकड़ा गया. आरोपी को पुलिस द्वारा धारा 50 एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत सूचित किया गया था कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का कानूनी अधिकार है, जिस पर आरोपी ने लिखित में जवाब दिया कि उसे छापा मारने वाले दल पर विश्वास है और वे उसे खोज सकते हैं। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उक्त सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की थी। इसके बाद आरोपी ने मौजूदा एसएलपी को प्राथमिकता दी।

	2018	Arif Khan @Agha Khan v/s State of Uttrakhand	Criminal Appeal No. 273 of 2007	The case is of Uttrakhand police, where on the basis of a secret information the accused was apprehended with 2.5 Kgs of charas. The accused was informed by the Police u/s 50 NDPS Act, 1985 that he has a legal right to be searched in the presence of a Gazetted Officer or a Magistrate to which the accused replied in writing that he has faith on the raiding party and they can search him. The trial Court convicted the accused and sentenced him to undergo rigorous imprisonment for 10 years and fine of Rs.1,00,000/-. The said sentence was confirmed by the High Court. The accused then preferred the present SLP.
93	2018	मोहिंदर सिंह बनाम. पंजाब राज्य	एआईआर 2018 एससी 3798 (3 न्यायाधीश)	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए कहा: (i) एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि अभियुक्त के कब्जे से कथित रूप से जव्त किए गए प्रतिबंधित सामान की मात्रा और सबसे अच्छा सबूत अदालत के रिकॉर्ड होंगे जो कि पेश करने के सं बंध में होंगे। मालखाना या प्रतिबंधित पदार्थ के विनाश को दर्शाने वाले दस्तावेज के समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष जमा करना और उसे जमा करना। [12] (ii) ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों के मौखिक साक्ष्य से चला गया है कि अभियुक्त से कथित रूप से जव्त की गई सामग्री को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। जब निचली अदालत, जिसके पास मामले के रिकॉर्ड थे, ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि मजिस्ट्रेट का कोई आदेश नहीं था जो अदालत के सामने मादक द्रव्य पेश करता

			<p>था और उस आधार पर आरोपी को बरी कर देता था, तो उच्च न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। कहा बरी करने का आदेश। [14]</p> <p>(iii) निचली अदालत के निष्कर्षों को विवृत निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अभियोजन पक्ष के गवाहों के मौखिक साक्ष्य के आधार पर, उच्च न्यायालय को बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता था। [16]</p>
--	--	--	---

	2018	Mohinder Singh Vs. The State of Punjab	AIR 2018 SC 3798 (3 Judges)	<p>Honourable Supreme Court held, while allowing the appeal:</p> <p>(i) For proving the offence under the NDPS Act, it is necessary for the prosecution to establish that the quantity of the contraband goods allegedly seized from the possession of the Accused and the best evidence would be the court records as to the production of the contraband before the Magistrate and deposit of the same before the Malkhana or the document showing destruction of the contraband. [12]</p> <p>(ii) The High Court appears to have gone by the oral evidence of prosecution witnesses that the contraband allegedly seized from the Accused was produced before the Magistrate. When the trial court which was in possession of the case records recorded a finding that there was no order of the Magistrate showing the production of the contraband before the court and acquitted the Accused on that basis, the High Court ought not to have interfered with the said order of acquittal. [14]</p> <p>(iii) The findings of the trial court could not be said to be distorted conclusions warranting interference. Based on the oral evidence of prosecution witnesses, the High Court ought not to have interfered with the order of acquittal and the conviction of the Appellant under Section 18 of the NDPS Act could not be sustained. [16]</p>
94	2018	पंजाब राज्य बनाम राकेश कुमार:	एआईआर 2019 एससी 84	<p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत नशीले पदार्थों या मनोदैहिक पदार्थों से युक्त निर्मित दवाओं के अनधिकृत थोक कब्जे में भी जिन व्यक्तियों को बिना किसी वैध प्राधिकरण के निर्मित</p>

				दवाओं के थोक कब्जे में पाया जाता है, उन पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अलावा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
	2018	State of Punjab vs. Rakesh Kumar :	AIR 2019 SC 84	Honourable Supreme Court held that unauthorized bulk possession of manufactured drugs containing narcotic drugs or psychotropic substances triable under NDPS Act as well – Held – The Supreme Court has held that persons who are found in bulk possession of manufactured drugs without any valid authorization can be tried under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, apart from the Drugs and Cosmetics Act, 1940.
95	2018	सुरिंदर कुमार खन्ना बनाम. खुफिया अधिकारी राजस्व खुफिया निदेशालय:	एआईआर 2018 एससी 3574	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत दोषसिद्धि पूरी तरह से एक सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान पर आधारित नहीं हो सकती है, एक ठोस सबूत के अभाव में।
	2018	Surinder Kumar Khanna vs. Intelligence Officer Director ate of Revenue Intelligence:	AIR 2018 SC 3574	Honourable Supreme Court held that conviction under Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 , cannot be based solely on the confessional statement of a co-accused, in the absence of a substantive piece of evidence.

96	2018	धर्मवीर बनाम राज्य	एससीसी ऑनलाइन डेल 12305	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 50 एनडीपीएस अधिनियम का अनुपालन अनिवार्य है ; दलील कि आरोपी ने छापेमारी करके तलाशी की सहमति दे कर अधिकार को माफ कर दिया, वह टिकाऊ नहीं है:
	2018	Dharam bir v. State	2018 SCC OnLine Del 12305	Honourable Delhi High Court held that compliance of Section 50 NDPS Act mandatory; plea that accused waived off right by consenting to search by raiding party not sustainable:
97	2018	पी. अब्दु लखदरी v. केरल राज्य	2018 एससीसी ऑनलाइन केर 4657	पी। उबैद, जे। की एक एकल न्यायाधीश बेंच ने घोषणा की कि यदि पहले परीक्षण को स्पष्ट रूप से आइटम की संरचना के रूप में परिभाषित किया गया है, तो पुनः परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
	2018	P. Abdulkhad er v. State of Kerala,	2018 SCC OnLine Ker 4657	A Single Judge Bench comprising of P. Ubaid, J. declared that re-testing cannot be allowed if the first testing clearly defined as to the composition of the item.
98		जोगिंदर सिंह v. हिमाचल प्रदेश राज्य	2018(2) शिमएलसी 1044	माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने धारा 50 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम के तहत आरोपी के अधिकार को संप्रेषित करने में पुलिस की विफलता के कारण दोषसिद्धि को उलट दिया उच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम परमानंद, (2014) 5 एससीसी 345 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह यह निर्धारित किया गया था कि धारा 50

				स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम की शर्तों का अनुपालन एक अनिवार्य प्रावधान था।
	2018	Joginder Singh v. State of H.P.,	2018(2) ShimLC 1044	Honourable Himachal Pradesh High Court reversed the conviction due to failure of police to communicate right of the accused under Section 50 NDPS Act. The High Court relied on the Supreme Court decision in State of Rajasthan v. Parmanand, (2014) 5 SCC 345, wherein it was laid down that compliance with the condition of Section 50 NDPS Act, was a mandatory provision.
99	2018	हिमाचल प्रदेश	2018 एससीसी ऑनलाइन एचपी 265	माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम के तहत दोषी सजा में छूट के लाभ के हकदार नहीं हैं
	2018	State of H.P.	2018 SCC OnLine HP 265	Honourable Supreme Court held that convicts under NDPS Act are not entitled to benefits of remission in sentence.
100	2018	कमलेश बनाम राजस्थान राज्य,	2018 एससीसी ऑनलाइन राज 1227,	माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए अपने निर्णय का निष्कर्ष निकाला कि परीक्षण के बाद वाहन को जप्त किए जाने की संभावना है जो "स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम" पर वाहन की सशर्त रिहाई की ओर जाता है और उस आधार पर वाहन की अंतरिम हिरासत दी जा सकती है।
	2018	Kamlesh v. State of Rajasthan,	2018 SCC OnLine Raj 1227,	The Hon'ble Court concluded its judgment by stating that the vehicle is likely to be confiscated after the trial which leads to the conditional release of the vehicle on "NDPS Act" and interim custody of the vehicle can be granted on that basis.

101	2018	एसके राजू बनाम. पश्चिम बंगाल राज्य	एआईआर 2018 एससी 4255	<p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए कहा:</p> <p>(i) अधिनियम की धारा 42(1) के तहत एक अधिकार प्राप्त अधिकारी उसके द्वारा प्राप्त जानकारी को केवल तभी लिखने के लिए बाध्य है, जब अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किसी भवन, वाहन या संलग्न स्थान में किया गया हो, या जब एक दस्तावेज या एक लेख एक इमारत, वाहन या एक संलग्न जगह में छुपाया गया है।</p> <p>(ii) अपीलकर्ता पिकनिक गार्डन रोड पर चल रहा था। उन्हें क्लब के सामने छापेमारी करने वाले दल द्वारा तुरंत रोका गया और हिरासत में लिया गया, जो एक इमारत, वाहन या एक संलग्न जगह नहीं थी।</p>
	2018	SK Raju Vs. State of West Bengal	AIR 2018 SC 4255	<p>Honourable Supreme Court held, while dismissing the appeal:</p> <p>(i) An empowered officer under Section 42(1) of Act is obligated to reduce to writing the information received by him, only when an offence punishable under the Act has been committed in any building, conveyance or an enclosed place, or when a document or an Article is concealed in a building, conveyance or an enclosed place.</p> <p>(ii) The Appellant was walking along the Picnic Garden Road. He was intercepted and detained immediately by the raiding party in front of Club, which was not a building, conveyance or an enclosed place.</p>
102	2019	मोहम्मद फासरीन	ए.आईआर 2019 एससी 4427	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि

		बनाम राज्य प्रतिनिधि। खुफिया अधिकारी द्वारा		स्वीकारोक्ति स्वीकार्य थी। यहां तक कि अगर यह स्वीकार्य था, तो अदालत को संतुष्ट होना पड़ा कि यह एक स्वैच्छिक बयान था, किसी भी दवाव से मुक्त और यह भी कि अभियुक्त को स्वीकारोक्ति दर्ज करने से पहले उसके अधिकारों से अवगत कराया गया था।
	2019	Mohammed Fasin v/s state rep. by the intelligence officer	AIR 2019 SC 4427	Honourable Supreme Court held, that this Court proceed on the premise that the confession was admissible. Even if it was admissible, the Court had to be satisfied that it was a voluntary statement, free from any pressure and also that the Accused was apprised of his rights before recording the confession.
103	2019	युसुजी हिनागाटा बनाम राज्य,	2019(4)बॉम सीआर(Cri)846	स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम की धारा 50 के दायरे पर चर्चा करते हुए, उच्च न्यायालय ने आरिफ खान बनाम उत्तराखंड राज्य, (2018) 18 एससीसी 380 पर भरोसा किया, और नोट किया कि संबंधित अधिकारी को अपने तलाशी के अधिकार के संदिग्ध को अवगत कराना अनिवार्य है। राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष। न्यायालय का मत था कि धारा 50 की अनिवार्य आवश्यकता वर्तमान मामले में संतुष्ट नहीं थी, और इसलिए आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य था।

	2019	Yusuji Hinagata v. State,	2019(4)Bo mCR(Cri)846	Discussing the scope of Section 50 of NDPS Act, the High Court relied on Arif Khan v. State of Uttarakhand, (2018) 18 SCC 380, and noted that it is obligatory upon the officer concerned to apprise the suspect of his right to be searched before a Gazetted Officer or Magistrate. The Court was of the opinion that the mandatory requirement of Section 50 was not satisfied in the present case, and therefore the impugned order was liable to be set aside.
104	2019	राजस्थान राज्य बनाम। सही राम	ए.आईआर 2019 एससी 4723	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना, यदि जब्ती को अन्यथा साबित कर दिया गया था, तो जो साबित करने की आवश्यकता थी वह यह था कि प्रतिबंधित सामग्री से लिए गए और बाहर के नमूने बरकरार रखे गए थे, कि जब नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए प्रस्तुत किए गए थे, तो मुहरें बरकरार थीं।
	2019	State of Rajasthan Vs. Sahi Ram	AIR2019SC 4723	Honorable Rajasthan High Court Held, If the seizure was otherwise proved, what was required to be proved was the fact that the samples taken from and out of the contraband material were kept intact, that when the samples were submitted for forensic examination the seals were intact
105	2019	हनीफ खान @ अन्नू खान बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स	(2020)16 एससीसी 709	माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना, नारकोटिक्स इंग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट सबूत का उल्टा बोझ रखता है, यह अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने से मुक्त नहीं करता है।

	2019	Hanif Khan @ Annu Khan Vs Central Bureau Of Narcotics	(2020)16S CC709	Honourable Supreme Court held, Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act carries reverse burden of proof, it does not absolve the prosecution from establishing a prima facie case against the accused.
106	2019	मंजूर अहमद ख्वाजा बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य	2019 एससीसी ऑनलाइन जम्मू और कश्मीर 579	माननीय जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा कि मूल कानून के तहत अपराध करने के संबंध में पहले से ही राज्य की हिरासत में एक व्यक्ति की निवारक हिरासत का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए।
	2019	Manzoor Ahmad Khawaja v. State of Jammu and Kashmir	2019 SCC OnLine J&K 579	Honourable Jammu and Kashmir High Court said that preventive detention of a person who is already in custody of State in connection with commission of offence under substantive law must not be ordered.
107	2019	दीपेंद्र कुमार बनाम राज्य	2019(1)JC C644	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि :- जिन कैदियों को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, वे फरती के हकदार नहीं हैं, जो पैरोल के विपरीत अच्छे आचरण के लिए एक तरह की छूट है, जिसे स्थिति की आपात स्थिति में भी दिया जा सकता है।
	2019	Deepender Kumar v. State	2019(1)JC C644	Honourable Delhi High Court held that:- Prisoners who have been convicted for offences punishable under the NDPS Act are not entitled to furlough which is a kind of remission granted as a reward for good conduct unlike parole which can be granted in exigencies of situation as well.

108	2019	वरिंदर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	(2020) 3 एससीसी 321,	<p>माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि :-</p> <p>(1) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम की धारा 50 में कोई आवेदन नहीं था क्योंकि वसूली अपीलकर्ता के व्यक्ति से नहीं बल्कि स्कूटर पर रखे बोरे से की गई थी।</p> <p>(2) आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली, अपराधी के लाभ के लिए विशेष रूप से इसे एक-दिशात्मक अभ्यास बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली का एक उचित प्रशासन, इसलिए अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के संतुलन अधिकारों की आवश्यकता है, ताकि मोहन लाल में निर्धारित कानून को अन्य सभी विचारों के बावजूद, इससे पहले के मुकदमों में बरी होने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बनने की अनुमति न हो। मोहन लाल में निर्धारित कानून से पहले सभी लंबित आपराधिक मुकदमे, मुकदमे और अपील मामले के व्यक्तिगत तथ्यों द्वारा शासित होते रहेंगे।</p>
-----	------	--	----------------------------	--

	2019	Varinder Kumar vs. State of Himachal Pradesh :	(2020) 3 SCC 321,	<p>Honourable Supreme Court held that:-</p> <p>(1)Section 50 of NDPS Act patently had no application since recovery was not from person of Appellant but gunny bags carried on scooter.</p> <p>(2)Criminal justice delivery system, could not be allowed to veer exclusively to benefit of offender making it uni-directional exercise. A proper administration of criminal justice delivery system, therefore required balancing rights of Accused and prosecution, so that law laid down in Mohan Lal was not allowed to become a spring board for acquittal in prosecutions prior to same, irrespective of all other considerations. All pending criminal prosecutions, trials and appeals prior to law laid down in Mohan Lal shall continue to be governed by individual facts of case.</p>
109	2019	शाहजहां, v. आबकारी निरीक्षक आदि	सीआरएल.रेव. पेट नं.1440/ 2018	<p>माननीय उच्च न्यायालय, केरल ने माना कि किसी भी मादक दवाओं और मन:प्रभावी नियंत्रित पदार्थों और वाहनों की जब्ती होने पर, उसे निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा। संबंधित अधिकारी तब अधिनियम की धारा 52-ए (2) के तहत एक आवेदन के साथ मजिस्ट्रेट से संपर्क करेगा, जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 52-ए की उप-धारा (3) के तहत जितनी जल्दी हो सके अनुमति दी जाएगी, जैसा कि इस निर्णय के मुख्य भाग में हमारे द्वारा "जब्ती और नमूनाकरण" शीर्षक के तहत चर्चा की गई है। नमूना इस आदेश के पैरा 15 से 19 में वर्णित मजिस्ट्रेट की देखरेख में</p>

				किया जाएगा।
	2019	Shajahan, V. Inspector of Excise etc.	Crl.Rev.Pet No.1440/2018	Hon'ble High Court of Kerala held that No sooner the seizure of any narcotic drugs and psychotropic and controlled substances and conveyances is effected, the same shall be forwarded to the officer in charge of the nearest police station or to the officer empowered under <u>Section 53</u> of the Act. The officer concerned shall then approach the Magistrate with an application under <u>Section 52-A(2)</u> of the Act, which shall be allowed by the Magistrate as soon as may be required under sub-section (3) of <u>Section 52-A</u> , as discussed by us in the body of this judgment under the heading "seizure and sampling". The sampling shall be done under the supervision of the Magistrate as discussed in Paras 15 to 19 of this order.
110.	2020	एयर कस्टम बनाम मोसाफियर अलीजाही व अन्य	सीआरएल एम.सी. 1490/2020 और सीआरएल.एम. ए 7224/2020	माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नमूने लेने के लिए धारा 52 ए (2) के प्रावधान प्राथमिक रूप से एक न्यायिक कार्य है और इसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। सूची के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही, नशीले पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों की तस्वीरों और धारा 52ए (2) के तहत तैयार किए गए नमूनों की कोई सूची और ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाता है।
	2020	Air Customs Vs. Mosafier Alizahi and ors.	Crl. MC. 1490/2020 & Crl.M.A. 7224/2020	Honorable High Court of Delhi held that the provisions of section 52A(2) for drawing of samples is primarily a judicial function and it must be done in

				the presence of judicial magistrate. The proceedings before the judicial magistrate in relation to inventory, the photographs of narcotics drugs and psychotropic substances and any list of samples drawn under section 52A (2) and certified by the magistrate as being the primary evidence in respect of such offence.
111	2020	केरल राज्य आदि बनाम राजेश आदि	आपराधिक अपील संख्या (एस) 2020 का 154-157	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "उचित आधार" अभिव्यक्ति का अर्थ प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त संभावित कारणों पर विचार करता है कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है। प्रावधान में विचार किए गए उचित विश्वास के लिए ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के अस्तित्व की आवश्यकता होती है जो अपने आप में संतोष का औचित्य साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने धारा 37 के अंतर्निहित उद्देश्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि सीआरपीसी, या किसी अन्य कानून के तहत प्रदान की गई सीमाओं के अलावा, जमानत के अनुदान को विनियमित करने के लिए, इसके उदारवादी एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत के मामले में दृष्टिकोण वास्तव में अनावश्यक है।
	2020	State of Kerala etc. Vs. Rajesh Etc	CRIMINAL APPEAL NO(S). 154-157 OF 2020	Hon'ble Supreme Court of India held that the expression "reasonable grounds" means something more than prima facie grounds. It contemplates substantial probable causes for believing that the accused is not guilty of the alleged offence. The reasonable

				belief contemplated in the provision requires existence of such facts and circumstances as are sufficient in themselves to justify satisfaction that the accused is not guilty of the alleged offence. In the case on hand, the High Court seems to have completely overlooked the underlying object of <u>Section 37</u> that in addition to the limitations provided under the <u>CrPC</u> , or any other law for the time being in force, regulating the grant of bail, its liberal approach in the matter of bail under the <u>NDPS Act</u> is indeed uncalled for.
112	2020	मेसर्स स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, V. केरल राज्य	डब्ल्यूपी (सी) संख्या 5042 ऑफ 2020(ई)	माननीय उच्च न्यायालय, केरल ने माना कि ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा अधिनियम के तहत जब्त की गई वस्तुओं के निपटान के लिए मोहनलाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश न केवल मादक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों के संबंध में हैं, बल्कि इस अधिनियम के तहत जब्त वाहनों के लिए भी है।
	2020	M/S.SMART LOGISTICS, V. State of Kerala	WP(C).No.5 042 OF 2020(E)	Hon'ble High Court of Kerala held that the directions issued by the Apex Court in Mohanlal for disposal of seized items under the Act by the Drug Disposal Committee pertain with regard to not only narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances but also conveyances seized under the Act.
113	2020	मुकेश सिंह बनाम. राज्य (दिल्ली की नारकोटिक शाखा)	एआईआर 2020 एससी 4297	न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम के साथ-साथ सीआरपीसी की सभी टिप्पणियों और प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए। निर्णय दिया कि सूचना देने वाला की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है और अभियोजन पक्ष के पूरे

				मामले पर केवल इस आधार पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि सूचना देने वाला ने मामले की जांच की है। केवल कुछ आशंकाओं या संदेहों के आधार पर, अभियोजन पक्ष के पूरे संस्करण को खारिज नहीं किया जा सकता है और आरोपी को तब तक सीधे बरी नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आरोपी पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह को स्थापित करने और साबित करने में सक्षम न हो। (पैरा 11)
	2020	Mukesh Singh Vs. State (Narcotic Branch of Delhi)	AIR 2020 SC 4297	The Court after citing all the observations and relevant provisions of NDPS Act as well as that of Cr.P.C. held that there is no reason to doubt the credibility of the informant and doubt the entire case of the prosecution solely on the ground that the informant has investigated the case. Solely on the basis of some apprehension or the doubts, the entire prosecution version cannot be discarded and the accused is not to be straightway acquitted unless and until the accused is able to establish and prove the bias and the prejudice. (Para 11)
114	2020	रिजवान खान बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य	एआईआर 2020 एससी 4297	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि :- (I) ऐसा कोई कानून नहीं था कि पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य, जब तक कि स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा समर्थित न हों, को त्याग दिया जाना चाहिए और/या स्वीकृति के योग्य नहीं होना चाहिए। (II) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम के तहत मामले को साबित करने के लिए, वाहन के स्वामित्व को स्थापित करने और साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यह साबित करने और

			<p>साबित करने के लिए पर्याप्त था कि आरोपी द्वारा खरीदे गए वाहन से प्रतिबंधित सामग्री आरोपी से मिली थी। वाहन का स्वामित्व महत्वहीन था। जिस चीज को स्थापित करने और साबित करने की आवश्यकता थी, वह थी प्रतिबंधित वस्तुओं की बरामदगी और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम के तहत एक अपराध का कमीशन। इसलिए, केवल वाहन के स्वामित्व के कारण स्थापित नहीं किया गया था और साबित नहीं हुआ था और/या वाहन बाद में बरामद नहीं किया गया था, परीक्षण को खराब नहीं किया गया था, जबकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त से प्रतिबंधित वस्तुओं की वसूली को साबित करने और स्थापित करने में सफल रहा था। स्थान।</p>
2020	Rizwan Khan Vs. State of Chhattisgarh	AIR 2020 SC 4297	<p>Honourable Supreme Court held that:-</p> <p>(I) There was no law that the evidence of police officials, unless supported by independent evidence, was to be discarded and/or unworthy of acceptance.</p> <p>(II) To prove the case under the NDPS Act, the ownership of the vehicle is not required to be established and proved. It was enough to establish and prove that the contraband articles were found from the Accused from the vehicle purchased by the Accused. Ownership of the vehicle was immaterial. What was required to be established and proved was the recovery of the contraband articles and the commission of an offence under the NDPS Act. Therefore, merely because of the ownership of the vehicle was not established and proved and/or the vehicle was not recovered subsequently, trial was not vitiated, while the prosecution had been</p>

				successful in proving and establishing the recovery of the contraband articles from the Accused on the spot.
115	2020	गुरमेल चंद बनाम पंजाब राज्य	एआईआर 2020 एससी 2161	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सच है कि तत्काल वरिष्ठ को एक रिपोर्ट के रूप में संचार नहीं किया गया है, लेकिन हम पाते हैं, जो उच्च न्यायालय द्वारा भी दर्ज किया गया है, कि पीडब्ल्यू 5 ने एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां भेजी हैं प्रदर्शनी पी-9 से पता चलता है कि प्राथमिकी की प्रतियां अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और प्रतिबंधित सामग्री की जब्ती के संबंध में अन्य अभिलेखों के साथ पीडब्ल्यू 5 द्वारा उक्त मामला दर्ज करने के तुरंत बाद अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजी गई थी। इसलिए, एक रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी भेज दी गई थी। यह पर्याप्त अनुपालन का गठन करता है और ऐसी किसी भी रिपोर्ट की अनुपस्थिति को अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

	2020	Gurmail Chand v. State of Punjab	AIR 2020 SC 2161	Honourable Supreme Court held that It is true that the communication to the immediate superior has not been made in the form of a report, but we find, which is also recorded by the High Court, that PW5 has sent copies of FIR and other documents to his superior officer, which is not in dispute. Ext. P-9 shows that the copies of the FIR along with other records regarding the arrest of the Appellant and seizure of the contraband articles were sent by PW5 to his superior officer immediately after registering the said case. So, all the necessary information to be submitted in a report was sent. This constitutes substantial compliance and mere absence of any such report cannot be said to have prejudiced the Accused.
116	2020	शेरू बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2020 (4) आरसीआर (आपराधिक) 242	2020(4) आरसीआर (आपराधिक) 242	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हमने इस मामले पर विचार कर लिया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी दोषी की सजा को निलंबित करने और जमानत देने से पहले धारा 37 की कठोरता को पूरा करना होगा और केवल समय बीतने का कारण कोई आधार नहीं हो सकता है। हालांकि, हम असामान्य समय का सामना कर रहे हैं जहां कोविड की स्थिति व्याप्त है। हम यह भी जानते हैं कि इस न्यायालय ने जेल में भीड़भाड़ कम करने के लिए जमानत पर रिहा किए गए व्यक्तियों को रिहा करने के आदेश पारित किए हैं, लेकिन यह सात साल तक की सजा के मामलों पर लागू होता है।

	2020	Sheru v. Narcotics Control Bureau	2020(4)RC R(Criminal) 242	Honourable Supreme Court held that we have given a thought to the matter and there is no doubt that the rigors of Section 37 would have to be met before the sentence of a convict is suspended and bail granted and mere passage of time cannot be a reason for the same, However, we are faced with unusual times where the Covid situation permeates, We are also conscious that this Court has passed orders for release of persons on bail to de-congest the jail but that is applicable to cases of upto seven years sentence.
117	2020	जीत राम बनाम. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़	एआईआर 2020 एससी 4313	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम की धारा 50 को केवल व्यक्तिगत तलाशी के मामले में लागू किया जा सकता है, ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रावधान पालन नहीं किया गया, का कोई आधार नहीं है।।
	2020	Jeet Ram Vs. Narcotics Control Bureau, Chandigarh	AIR 2020 SC 4313	Honourable Supreme Court held Section 50 of the NDPS Act is applicable only in the case of personal search, as such, there is no basis for the findings recorded by the trial court that there was non compliance of provision under Section 50 of the NDPS Act.
118	2020	रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ	2021 CriLJ 248	माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं।

	2020	Rhea Chakraborty vs Union of India	2021 CriLJ 248	Honorable Bombay High court inter alia held that all offences under NDPS Act are cognizable and non bailable.
119	2020	रवीन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	2011 की आपराधिक अपील संख्या 2187-88	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र गवाहों की कमी अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है। हालांकि, इस तरह की चूक ने पुलिस अधिकारियों की गवाही की जांच करते समय अधिक से अधिक देखभाल करने के लिए न्यायालयों पर एक अतिरिक्त कर्तव्य डाला, जो कि विश्वसनीय पाए जाने पर एक सफल सजा का आधार बन सकता है।
	2020	Raveen Kumar vs. State of Himachal Pradesh	Criminal Appeal No. 2187-88 of 2011	Hon'ble Supreme Court held that it would be gainsaid that lack of independent witnesses are not fatal to the prosecution case. However, such omission cast an added duty on Courts to adopt a greater-degree of care while scrutinising the testimonies of the police officers, which if found reliable can form the basis of a successful conviction.

120	2020	एम रवींद्रन बनाम खुफिया अधिकारी	एस.एल.पी. (अपराधी) संख्या 2333 ऑफ 2020	<p>इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एचसी द्वारा पारित फैसले को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अगर आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन किया है, तो जमानत आवेदन के लंबित होने के बावजूद, डिफॉल्ट जमानत पर रिहा होने का अधिकार लागू रहता है; या बाद में आरोप पत्र दाखिल करना या अदालत के समक्ष अभियोजन द्वारा समय बढ़ाने की मांग करने वाली रिपोर्ट; या अंतराल के दौरान आरोप पत्र दाखिल करना जब जमानत आवेदन को अस्वीकार करने की चुनौती उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो। हालांकि, यह उल्लेख किया गया है कि जहां आरोपी डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करने में विफल रहता है और जब उसे अधिकार मिल जाता है, तो बाद में चार्जशीट, अतिरिक्त शिकायत या समय के विस्तार की मांग करने वाली रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाती है; डिफॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त हो जाएगा। मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेने या जांच पूरी करने के लिए और समय देने के लिए स्वतंत्र होगा, जैसा भी मामला हो, हालांकि आरोपी को अभी भी सीआरपीसी के अन्य प्रावधानों के तहत जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इसने आदेश दिया कि अदालत द्वारा पारित डिफॉल्ट</p>
-----	------	--	---	--

			<p>जमानत के आदेश के बावजूद, हिरासत से आरोपी की वास्तविक रिहाई सक्षम न्यायालय द्वारा जमानत देने के निर्देशों पर निर्भर है। यदि अभियुक्त न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर जमानत प्रस्तुत करने और/या जमानत आदेश के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो हिरासत में उसकी निरंतर हिरासत वैध है</p>
2020	M Ravindran vs The Intelligence Officer	S.L.P. (Criminal) No. 2333 of 2020	The Supreme Court in this case, struck down the judgement passed by the HC on the grounds that the right to be released on default bail continues to remain enforceable if the accused has applied for such bail,

				<p>notwithstanding the pendency of the bail application; or subsequent filing of the charge sheet or a report seeking an extension of time by the prosecution before the Court; or filing of the charge sheet during the interregnum when the challenge to the rejection of the bail application is pending before a higher Court. It, however, mentioned that where the accused fails to apply for default bail and when the right accrues to him, subsequently a charge sheet, additional complaint or a report seeking an extension of time is preferred before the Magistrate; the right to default bail would be extinguished. The Magistrate would be at liberty to take cognizance of the case or grant further time for completion of the investigation, as the case may be, though the accused may still be released on bail under other provisions of the CrPC. It ordered that notwithstanding the order of default bail passed by the Court, the actual release of the accused from custody is contingent on the directions passed by the competent Court granting bail. If the accused fails to furnish bail and/or comply with the terms and conditions of the bail order within the time stipulated by the Court, his continued detention in custody is valid.</p>
121	2021	मो. जाहिद बनाम राज्य एनसीबी के माध्यम से	2021 की आपराधिक अपील संख्या 147	<p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी पाए जाने वाले आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। वे व्यक्ति जो नशीले पदार्थों का कारोबार कर रहे हैं, वे कई निर्दोष युवा पीड़ितों को मौत का कारण बनाने या मौत के घाट उतारने में साधन हैं जो कमजोर</p>

				<p>हैं। ऐसे आरोपी समाज पर हानिकारक प्रभाव और घातक प्रभाव डालते हैं। वे समाज के लिए खतरा हैं। इस देश में नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों की गुप्त तस्करी और ऐसी दवाओं और पदार्थों की अवैध तस्करी की इस तरह की संगठित गतिविधियों का समग्र रूप से समाज पर घातक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम के मामले में सजा या सजा देते समय, समग्र रूप से समाज के हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 427 के तहत विवेकाधिकार लागू करते हुए भी, विवेक उस आरोपी के पक्ष में नहीं होगा जो नशीले पदार्थों और नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त पाया जाता है। जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, पिछली सजा के साथ-साथ बाद की सजा को चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 427 के तहत विवेक का प्रयोग करते हुए भी, विवेकपूर्ण तरीकेसे और किए गए अपराध/अपराधों के आधार पर विवेक का प्रयोग किया जाना है। इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों को ध्यान में रखते हुए, जो प्रकृति में बहुत गंभीर हैं और बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ हैं, ऐसे अभियुक्तों के पक्ष में कोई विवेक का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध में शामिल हैं। "</p>
	2021	Mohd. Zahid vs. State through NCB	Criminal Appeal No. 147 of 2021	<p>Hon'ble Supreme Court held that no leniency should be shown to an accused who is found to be guilty for the offence under the NDPS Act. Those persons who are dealing in narcotic drugs are instruments in</p>

				<p>causing death or in inflicting death blow to a number of innocent young victims who are vulnerable. Such accused causes deleterious effects and deadly impact on the society. They are hazard to the society. Such organized activities of clandestine smuggling of narcotic drugs and psychotropic substances into this country and illegal trafficking in such drugs and substances have a deadly impact on the society as a whole. Therefore, while awarding the sentence or punishment in case of NDPS Act, the interest of the society as a whole is required to be taken into consideration. Therefore, even while applying discretion under Section 427 of Cr.PC, the discretion shall not be in favour of the accused who is found to be indulging in illegal trafficking in the narcotic drugs and psychotropic substances. As observed hereinabove, even while exercising discretion under Section 427 of Cr.PC to run subsequent sentence concurrently with the previous sentence, the discretion is to be exercised judiciously and depending upon the offence/offences committed. Therefore, considering the offences under the NDPS Act which are very serious in nature and against the society at large, no discretion shall be exercised in favour of such accused who is indulging into the offence under the NDPS Act. "</p>
122	2021	आर्यन एस खान बनाम भारत संघ	2021 की आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 3624	माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि स्वापक ओपधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयानों का इस्तेमाल जांच के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन इकबालिया बयान के रूप में

				नहीं और केवल अभियुक्त के खिलाफ सामग्री के रूप में।
	2021	Aryan S Khan vs Union of India	Criminal Bail Application No. 3624 of 2021	Honorable BOM HC recently clarified that Statements recorded under Section 67 of NDPS Act can be used for Investigation purposes but not as confessional statement and only material against the Accused.
123	2021	सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो	2021 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5191	इस फैसले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों द्वारा जमानत देने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। जांच पूरी होने और मुकदमे की शुरुआत के बीच की अवधि में कमी को भरने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं, यानी वह चरण जब जांच समाप्त हो गई है और आरोप पत्र/शिकायत दायर की गई है, लेकिन जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देने के लिए अपराधों को वर्गीकृत किया है।
	2021	Satender Kumar Antil vs. Central Bureau of Investigation	SLP (Crl.) No. 5191 of 2021	In this judgment, Hon'ble Supreme Court of India has laid down guidelines for grant of bail by lower courts. The guidelines are issued to fill the lacuna in the intervening period between the completion of investigation and the initiation of trial, that is, the stage when investigation has concluded and chargesheet/complaint has been filed, but the accused was not arrested during the investigation. Hon'ble Supreme Court has categorized the offences for grant of bail.

124	2021	भारत संघ बनाम प्रतीक शुक्ला	2021 की आपराधिक अपील संख्या 284	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरसीएस आदेश के उल्लंघन और एसिटिक एनहाइड्राइड के कब्जे के आरोप में आरोपी की जमानत रद्द कर दी।
	2021	Union of India v. Prateek Shukla	Criminal Appeal No 284 of 2021	Hon'ble Supreme Court cancelled the bail of the accused for violation of RCS Order and possession of Acetic Anhydride.
125	2021	भारत संघ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से बनाम मोहम्मद नवाज खान	2021 की आपराधिक अपील संख्या 1043	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल अभियुक्त के साथ प्रतिबंधित पदार्थ की अनुपस्थिति जमानत देने का एक अकेला कारण बन जाती है। जमानत मिलने के बाद भी, आरोपी आपराधिक मुकदमे से बचते रहे और संबंधित मुद्दों को तय करना मुश्किल हो गया। इसलिए, न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने अपराध की भयावहता और उसके प्रभाव को उचित महत्व नहीं दिया और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। व्यक्ति पर प्रतिबंध के कब्जे की अनुपस्थिति एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(बी)(II) के तहत आवश्यक जांच को समाप्त नहीं करती है।
	2021	Union of India through Narcotics Control Bureau vs Md. Nawaz Khan	Criminal Appeal No. 1043 of 2021	Hon'ble Supreme Court held that mere absence of contraband with the accused does become a solitary reason for granting bail. Even after the bail was granted, the accused avoided criminal trials and it became difficult for framing relevant issues. Hence, the Court held that the High Court did not give due weight to the magnitude of the offence and its impact and set aside the High Court order. Absence Of Possession Of The Contraband On The Person Does Not

				Absolve The Scrutiny Required U/S 37(1)(B)(ii) Of The NDPS Act.
126	2022	दयालू कश्यप बनाम छत्तीसगढ़ राज्य	2022 की आपराधिक अपील संख्या 130	“मामले के तथ्यों के संदर्भ में, हम पाते हैं कि बरामदगी एक पॉलीथिन बैग में थी जिसे एक कांवड़ पर ले जाया जा रहा था। वसूली व्यक्तिगत रूप से नहीं थी। विद्वान अधिवक्ता यह तर्क दे कर की गई टिप्पणियों के दायरे का विस्तार करना चाहते हैं कि यदि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के उल्लंघन से व्यक्तिगत तलाशी खराब होती है, तो अन्यथा की गई वसूली भी खराब हो जाएगी और इस प्रकार, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम इस तरह का विस्तृत दृष्टिकोण नहीं दे सकते हैं, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देने की मांग की गई है।”
	2022	Dayalu Kashyap vs. the State of Chhatisgarh	Criminal Appeal No.130 of 2022	“In the conspectus of the facts of the case, we find the recovery was in a polythene bag which was being carried on a Kanwad. The recovery was not in person. Learned counsel seeks to expand the scope of the observations made by seeking to contend that if the personal search is vitiated by violation of Section 50 of the NDPS Act, the recovery made otherwise also would stand vitiated and thus, cannot be relied upon. We cannot give such an extended view as is sought to be contended by learned counsel for the appellant.”

127	2022	सुखदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य	2016 की आपराधिक अपील संख्या 1004	एनडीपीएस अधिनियम के गैर- अनुपालन के मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सामग्री की भौतिक प्रकृति यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं है कि विश्लेषण किए गए नमूने की सामग्री वास्तव में अफीम थी या नहीं, और भौतिक विश्लेषण प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं है। अफीम की जांच के लिए एनडीपीएस एक्ट
	2022	Sukhdev Singh vs. State of Punjab	CRIMINAL APPEAL No.1004 OF 2016	While hearing a case of non-compliance of NDPS Act, the Supreme Court has held that physical nature of the material is not relevant for determining whether the contents of the sample analyzed were actually opium or not, and physical analysis is not prescribed under the provisions of the NDPS Act for testing the opium.
128	2022	संजीव और एन. बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	2016 की आपराधिक अपील संख्या 870; मार्च 09, 2022	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि व्यक्तिगत तलाशी के परिणामस्वरूप किसी भी प्रतिबंधित सामग्री की वसूली नहीं हुई थी, लेकिन एक सक्षम राजपत्रित अधिकारी के मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के विकल्प की आवश्यकता का अनुपालन न करने पर - आरोपी को बरी कर दिया गया। जिन कारणों से अभियुक्त को बरी करने में ट्रायल कोर्ट के साथ वजन हुआ था, उन्हें निपटारा जाना चाहिए, अगर अपीलीय कोर्ट का यह विचार है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई बरी को पलट दिया जाना चाहिए - ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश के साथ, एक आपराधिक मामले में बेगुनाही की सामान्य धारणा मजबूत हो जाती है - यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से दो विचार संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को बरी के खिलाफ

				अपील में हस्तक्षेप करने में वे हद धीमा होना चाहिए।
	2022	Sanjeev & Anr. Versus State Of Himachal Pradesh	Criminal Appeal No.870 Of 2016; March 09, 2022	Hon'ble Supreme Court held that the personal search did not result in recovery of any contraband material but the non-compliance of requirement of affording an option to be searched before a Magistrate of a competent Gazetted Officer - Accused acquitted. Reasons which had weighed with the Trial Court in acquitting the accused must be dealt with, in case the appellate Court is of the view that the acquittal rendered by the Trial Court deserves to be upturned - With an order of acquittal by the Trial Court, the normal presumption of innocence in a criminal matter gets reinforced - If two views are possible from the evidence on record, the appellate Court must be extremely slow in interfering with the appeal against acquittal.
129	2022	गुलाम मो. भट बनाम एनसीबी	जमानत याचिका नंबर 409/2021	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत पुलिस अधिकारी हैं। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज एक इकबालिया बयान एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अपराध के मु कदमे में अस्वीकार्य रहेगा।
	2022	Ghulam Mohd. Bhat vs. NCB	Bail App. No. 409/2021	The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently held that the officers of the Narcotics Control Bureau are police officers within the meaning of Section 25 of the Evidence Act. A confessional statement recorded under Section 67 of the NDPS Act would remain inadmissible in the trial for an

				offence under the NDPS Act.
130	2022	ओडिशा राज्य बनाम। रजिस्ट्रार जनरल, उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक	रिट याचिका (सिविल) 2021 की संख्या 32580	उड़ीसा उच्च न्यायालय ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत आवेदनों को दाखिल करने की तारीख से दस दिनों के भीतर सभी संबंधित अदालतों द्वारा जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को नष्ट करने की अनुमति देने के लिए एक निर्देश जारी किया है।
	2022	State of Odisha vs. Registrar General, Orissa High Court, Cuttack	Write Petition (Civil) No. 32580 of 2021	The Orissa High Court has issued a direction to dispose of applications under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act seeking permission for destruction of the seized contraband by all courts concerned within ten days from the date of filing.
131	2022	भारत संघ बनाम मोहम्मद जमाल	2022 की आपराधिक अपील संख्या 752	इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर अभियुक्त की जमानत रद्द कर दी कि उच्च न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की दोहरी शर्तों को लागू करने में विफल रहा है। माननीय एससी ने आगे कहा कि पूर्व दृष्टया, उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों पर विचार नहीं करता है। इस न्यायालय द्वारा धारा 37 के प्रावधानों की व्याख्या यू नियन ऑफ इंडिया बनाम रतन मलिक उर्फ हाबुल और यू नियन ऑफ इंडिया बनाम मोहम्मद नवाज खान में की गई है।
	2022	Union of India vs. Md. Jamal	Criminal Appeal No 752 of 2022	In this case, Hon'ble Supreme Court cancelled the bail of the accused on the ground that the High Court failed to apply the twin conditions of section 37 of NDPS Act. Hon'ble SC further held that ex facie , the

				<p>impugned order of the High Court does not consider the provisions of Section 37 of the NDPS Act. The provisions of Section 37 have been interpreted by this Court in <i>Union of India v Rattan Malik alias Habul</i> and <i>Union of India v Md Nawaz Khan</i>.</p>
132	2022	जोसविन लोबो बनाम कर्नाटक राज्य	आपराधिक याचिका संख्या 6916/2021	<p>माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि सहायक पुलिस आयुक्त भी एक राजपत्रित अधिकारी है। ऐसे अधिकारी के सामने तलाशी पर कोई रोक नहीं है और कोई कानून यह निर्धारित नहीं करता है कि उसकी (संदिग्ध/आरोपी) की व्यक्तिगत तलाशी उस राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में की जानी चाहिए जो किसी विशेष विभाग से संबंधित नहीं है।</p>
	2022	Joswin Lobo vs. State of Karnataka	Criminal Petition no. 6916/2021	<p>Hon'ble Karnataka High Court held that the Assistant Commissioner of Police is also a Gazetted Officer. There is no bar on search before such officer and no law prescribes that he(suspect/accused) should be subjected to the personal search in the presence of the Gazetted Officer not belonging to the particular department.</p>

133	2022	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम मोहित अग्रवाल	2022 की अपराधिक अपील संख्या 1001-1002	इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 37 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उचित आधार" का अर्थ न्यायालय के लिए यह विश्वास करने के लिए विश्वसनीय, स्वीकार्य आधार होगा कि आरोपी व्यक्ति कथित अपराध का दोषी नहीं है। इस तरह के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, ऐसे तथ्य और परिस्थितियाँ मौजूद होनी चाहिए जो अदालत को यह मानने के लिए राजी कर सकें कि आरोपी व्यक्ति ने ऐसा अपराध नहीं किया होगा। अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में जमानत के लिए एक आवेदन की जांच के चरण में, न्यायालय को यह निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी व्यक्ति दोषी नहीं है। इस स्तर पर अदालत से जो पूरी कवायद करने की उम्मीद है, वह उसे जमानत पर रिहा करने के सीमित उद्देश्य के लिए है। इस प्रकार, यह विश्वास करने के लिए उचित आधारों की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि अभियुक्त उन अपराधों के लिए दोषी नहीं है जिन पर उस पर आरोप लगाया गया है और जमानत पर रहते हुए अधिनियम के तहत अपराध करने की संभावना नहीं है।
	2022	Narcotics Control Bureau v. Mohit Aggarwal	Criminal Appeal Nos. 1001-1002 of 2022	Hon'ble Supreme Court in this case summed up that the expression "reasonable grounds" used in clause (b) of Sub-Section (1) of Section 37 would mean credible, plausible grounds for the Court to believe that the accused person is not guilty of the alleged offence. For arriving at any such conclusion, such facts and circumstances must exist in a case that can persuade the Court to believe that the accused person would not have committed such an offence. At the stage of examining an application for bail in the context of the Section 37 of the Act, the Court is not required to record a finding that the accused person is not guilty. The entire exercise that the Court is expected to undertake at this stage is for the limited purpose of releasing him on bail. Thus, the focus is on the availability of reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of the offences that he has been charged with and he is unlikely to commit an offence under the Act while on bail.

NARCOTICS CONTROL BUREAU

Ministry of Home Affairs, Government of India
West Block-1, Wing-V, R.K. Puram, New Delhi-110066
Phone No. : 011-26181553, Fax No. : 011-26185240
Email : narcoticsbureau@nic.in
Facebook : [narcoticscontrolbureauindia](https://www.facebook.com/narcoticscontrolbureauindia)
Website : www.narcoticsindia.nic.in

NOTE